اركان اسلام والايمان

इस्लाम और ईमान के स्तम्भ (अरकान)

क़ुरआन व सुन्नत से संकलित

मकतबा अलफहीम
मऊनाथ भंजन-उ.प्र.

लेखक
मुहम्मद बिन जमील ज़ैनू

أركان الإسلام والإيمان

इस्लाम और ईमान के स्तम्भ (अरकान)

क़ुरआन व सुन्नत से संकलित

पुस्तक का नाम	:	इस्लाम और ईमान के स्तम्भ अरकान
लेखक	:	मुहम्मद बिन जमील ज़ैनू
प्रकाशन वर्ष	:	2012
मूल्य	:	80/-
प्रकाशक	:	मकतबा अलफहीम मऊ

MAKTABA AL-FAHEEM
Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101
Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224
Email : maktabaalfaheemmau@gmail.com
WWW.faheembooks.com

أركان الإسلام والإيمان

इस्लाम और ईमान के स्तम्भ (अरकान)

क़ुरआन व सुन्नत से संकलित

लेखक

मुहम्मद बिन जमील ज़ैनू

अनुवाद

एम. आर. रहमान

MAKTABA AL-FAHEEM

Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101
Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224
Email :faheembooks@gmail.com
WWW.faheembooks.com

विषय सूची

इस्लाम के अरकान

जिस तरह किसी भी इमारत को क़ायम रखने के लिए बुनियादों और स्तम्भों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही इस्लाम के कुछ स्तम्भ और बुनियादें हैं जिस पर इस्लाम की इमारत क़ायम है, इन को इस्लाम के अरकान का नाम दिया जाता है।

अल्लाह के रसूल ﷺ ने फरमाया : इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है।

"شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ."

१. गवाही देना कि : अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं जिनकी अल्लाह के दीन में पैरवी करना ज़रूरी है।

२. नमाज़ क़ायम करना : यानी उसे सभी अरकन और वाजिबात के साथ ख़ुशूअ् व ख़ुज़ूअ् (तन्मयता) से अदा करना।

३. ज़कात देना : जो उस समय फ़र्ज होती है जब कोई ८७ ग्राम सोना या उसके मूल्य की किसी चीज़ का या नकदी का मालिक हो जाये,

इस में से साल पूरा होने के बाद २.५ प्रतिशत निकालना ज़रूरी है और नकदी के अलावा हर चीज़ में उसकी मात्रा तय है।

४. **अल्लाह के घर का हज करना :** उस व्यक्ति के लिए जो सेहत और आर्थिक दृष्टि से वहाँ तक पहुँचने का सामर्थ्य (ताक़त) रखता हो।

५. **रमज़ान के रोज़े रखना :** रोज़े की नीयत से खाने पीने और हर चीज़ से जो रोज़ा तोड़ने वाली हो, फ़ज्र से लेकर सूरज के डूबने तक तक बचे रहना। (बुख़ारी, मुस्लिम)

ईमान के अरकान

जिन चीज़ों पर प्रत्येक मुसलमान के लिए ईमान लाना फ़र्ज और ज़रूरी है, उन्हें ईमान के अरकान के नाम से जाना जाता है, जो निम्न हैं।

१. **अल्लाह तआला पर ईमान लाना :** यानी अल्लाह के वजूद (अस्तित्व) और सिफ़ात (विशेषतायें) और इबादत में उस की वहदानियत (अकेला) होने पर ईमान लाना।

२. **फ़रिश्तों पर ईमान लाना :** जो कि नूरी मख़लूक हैं और अल्लाह के आदेशों को लागू करने के लिए पैदा किये गये हैं।

३. **अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना :** जिन में तौरात, इंजील, ज़बूर और क़ुरआन करीम जो सब से बेहतर (श्रेष्ठ) है।

४. **उस के रसूलों पर ईमान लाना :** जिन में सब से पहले नूह और सब से अन्तिम मुहम्मद ﷺ हैं।

५. **आख़िरत के दिन पर ईमान लाना :** जो हिसाब का दिन है और उसी दिन लोगों के अमलों (कर्मों) की पूछ-गछ होगी।

६. **प्रत्येक अच्छे या बुरे भाग्य पर ईमान रखना :** यानी जायेज़ स्रोत से हर इंसान को अच्छे या बुरे भाग्य (तक़दीर) पर राज़ी रहना चाहिये, क्योंकि सभी अल्लाह की ओर से तय किये हुए हैं जैसाकि सही मुस्लिम की हदीस में इस बात को स्पष्ट (वाज़ेह) किया गया है।

इस्लाम, ईमान और एहसान का अर्थ

इस्लाम, ईमान और एहसान का स्पष्टीकरण (वज़ाहत) अल्लाह के रसूल ﷺ की इस हदीस से होता है।

हज़रत उमर ؓ से उल्लिखित है, फरमाते हैं:

((بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: "الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً - قَالَ: صَدَقْتَ- فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ-قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟-قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟-قَالَ: مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ)). ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي: ((يَاعُمَرُ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟)) قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ)).

एक दिन जबकि हम अल्लाहे के रसूल ﷺ के पास बैठे हुए थे, तो उजले सफेद कपड़ों और काले सियाह बालों वाला एक व्यक्ति आया जिस पर यात्रा करने के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे और न ही हम में से कोई उसे जानता था। वह आगे बढ़ा और नबी अकरम ﷺ के समाने इस तरह बैठा कि उस ने अपने घुटने उन के घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ आप ﷺ की रानों पर रख लिए, फिर कहा: ऐ मुहम्मद, मुझे बताईये, इस्लाम क्या है? आप ﷺ ने फ़रमाया : इस्लाम यह है कि तू गवाही दे कि अल्लाह तआला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं। नमाज़ क़ायम कर, ज़कात अदा कर, रमज़ान के रोज़े रख और यदि सामर्थ्य हो तो अल्लाह के घर (बैतुल्लाह) का हज कर, उस ने कहा : आप (ﷺ) ने सही फ़रमाया।

(हज़रत उमर ؓ फ़रमाते हैं) हम आश्चर्यचकित थे कि यह कैसा आदमी है जो सवाल कर के खुद ही उसका समर्थन कर रहा है।

फिर उस ने कहा कि मुझे ईमान के बारे में बताईये, आप ﷺ ने फ़रमाया : (ईमान का अर्थ) यह है कि तू अल्लाह, उस के फ़रिश्तों, उस की किताबों, उस के रसूलों, आख़िरत के दिन (क़ियामत का दिन) और हर अच्छे या बुरे भाग्य पर ईमान लाये, उस ने कहा : आप (ﷺ) ने सही फ़रमाया। फिर उस ने कहा: मुझे बताईये कि एहसान क्या है ? आप ने फ़रमाया : एहसान यह है कि तू अल्लाह की इस तरह इबादत कर जैसे तू उसे देख रहा हो, लेकिन अगर तू उसे देखने की कल्पना न पैदा

कर सके तो फिर यह सोच कि अल्लाह तआला तुझे देख रहा है।

उस ने कहा : मुझे क़यामत के बारे में बताईये कि कब आयेगी?

आप ने फ़रमाया : उस के बारे में जिस से पूछा जा रहा है वह पूछने वाले से अधिक नहीं जानता। (यानी उस के बारे में मुझे तुम से अधिक ज्ञान नहीं) उस ने कहा : तो फिर मुझे उस की अलामतें (निशानियाँ) बताईये, आप ने फ़रमाया : उस की अलामतें यह है कि लौंडी अपने आक़ा को जन्म दे और तुम देखोगे कि बकरियों के चरवाहे जो नंगे पांव, नंगा शरीर और मोहताज हैं (इतने धनवान हो जायेंगे) कि एक-दूसरे से बढ़ कर बुलन्द इमारतें बनाने में मुक़ाबला करेंगे।

फिर उस के चले जाने के बाद आप ﷺ ने फ़रमाया : ऐ उमर, जानते हो यह पूछने वाला कौन था ? तो मैंने कहा अल्लाह और उस के रसूल ही बेहतर जानते हैं, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, वह जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आये थे। (मुस्लिम)

ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ

१. इसका अर्थ यह है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा पूज्य (माबूद) नहीं, इस में अल्लाह के सिवाय की बन्दगी को नकारा गया है और उसे केवल अल्लाह जो अकेला है और जिस का कोई साझी नहीं के लिए साबित किया गया है। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ﴾

"अत: जान लो कि अल्लाह तआला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं।" (मुहम्मद : १९)

और आप ﷺ ने फ़रमाया :

((مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ)). [رواه البزار وصححه الألباني في صحيح الجامع: ٦٤٣٣]

जिस व्यक्ति ने ख़ुलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वह जन्नत में दाख़िल होगा। (इस हदीस को बज़्ज़ार ने रिवायत किया और अलबानी ने उसे अलजामेअ में सही क़रार दिया है।

मुख़्लिस कौन है ?

२. "मुख़्लिस" वह है जो इस कलिमा को समझ-बूझ कर उस पर अमल करे और इस तौहीद के कलमे से अपनी दावत की शुरूआत करे, क्योंकि यह कलिमा ऐसे तौहीद पर आधारित है जिस के लिए अल्लाह तआला ने जिनों और इंसानों को पैदा किया।

३.और जब अल्लाह के रसूल ﷺ के चचा अबू तालिब का देहान्त हो रहा था तो आप ﷺ ने उन से फ़रमाया :

((يا عَمِّ قُلْ: لا إِلَهَ إِلاَّ الله، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ الله، وأَبَى أَنْ يَقُولَ لا إِلَهَ إِلاَّ الله)). [رواه البخاري ومسلم]

चचाजान (आप ला इलाहा इल्लल्लाह) कह दीजिए, इस कलिमा के आधार पर मैं आप के लिए अल्लाह तआला से सिफ़ारिश करूँगा, लेकिन उन्होंने (ला इलाहा इल्लल्लाह) कहने से इंकार कर दिया।

४.अल्लाह के रसूल ﷺ मक्का में १३ वर्ष तक मुश्रिकों को यही दावत देते रहे कि (ला इलाहा इल्लल्लाह) कह दो, तो उन का जवाब जैसाकि क़ुरआन में आया है, यह था कि :

﴿وعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ○ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ○ وانطَلَقَ المَلأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا واصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ○ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي المِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاقٌ﴾

"और उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्ही में से एक डराने वाला कैसे आ गया ? और काफ़िरों ने कहा यह तो झूठा जादूगर है, कैसे उस ने सब माबूदों को छोड़कर एक ही माबूद बना लिया ? यह तो बहुत ही अजीब बात है, तो उन में से जो प्रतिष्ठित लोग थे वे चल खड़े हुए, चलो अपने माबूदों की पूजा (इबादत) पर क़ायम रहो । बेशक यह ऐसी बात है जिस से (तुम बाइज़्ज़त और

प्रतिष्ठित) हो । यह पिछले धर्म में हम ने कभी नहीं सुनी ।"
(सूरह साद : ४-७)

और अरबों में यह बात इसलिए कही कि वे इस कलिमा का अर्थ समझते थे और इसलिए उन्होंने यह कलिमा पढ़ने से इंकार किया कि यह कलिमा पढ़ने वाला ग़ैरुल्लाह को नहीं पुकारा करता । जैसाकि अल्लाह तआला उन के बारे में कहता है :

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ○ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ○ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ﴾

"इन (काफ़िरों) से जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता तो घमन्ड करते और कहते कि यह कैसे हो सकता है कि हम उस पागल शायर (कवि) की बात मान कर अपने माबूदों को छोड़ दें। (अल्लाह तआला ने जवाब दिया) बल्कि वह रसूल तो हक़ लेकर आये हैं और रसूलों का समर्थन करने वाले हैं ।" (सूरह साफ्फ़ात : ३५-३७)

आप ﷺ ने फ़रमाया :

((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)) [رواه مسلم]

"जिस ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और हर उस चीज़ का इंकार किया जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाती है तो ऐसा करने से उसकी जान और माल हराम हो गई और उसका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है ।" (मुस्लिम)

इस हदीस से मालूम हुआ कि शहादत का सूत्र पढ़ने का उद्देश्य यह है

कि हर ग़ैरुल्लाह की इबादत से बचा और इंकार किया जाये जैसाकि मरे हुए लोगों से दुआ करने जैसे कर्म हैं।

और अजीब बात यह है कि कुछ मुसलमान अपनी ज़ुबान से यह कलिमा पढ़ते हैं लेकिन उन के अमल ग़ैरुल्लाह को पुकार कर उस के अर्थ की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करते हैं।

५. 'ला इलाहा इल्लल्लाह' वह कलिमा है जो तौहीद और इस्लाम की बुनियाद और सम्पूर्ण जीवन व्यवस्था है जिसे हर प्रकार की इबादत अल्लाह ही के लिए विशेष करने से अपनाया जा सकता है, और यह उस समय संभव (मुमकिन) है जब कोई मुसलमान अल्लाह के लिए फ़रमांबरदार हो जाये और केवल उस को ही पुकारे और उसकी शरीयत (क़ानून) की हाकमियत क़ुबूल करे।

६. अल्लामा इब्ने रजब 'इलाह' का अर्थ बयान करते हुए फ़रमाते हैं: 'इलाह' (माबूद) वह है जिस की पैरवी, उस का भय, उस की प्रतिष्ठा, उस से प्रेम और उसी से आशा, उसी पर संतोष, उसी से सवाल और दुआ करते हुए की जाये, और अवज्ञा (नाफ़रमानी) से बचा जाये, और ये सभी वे चीज़ें हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरे के लिए करना जायज़ नहीं, जिस किसी ने भी 'इलाह' के इन विशेषताओं में किसी सृष्टि को साझी बना लिया तो यह अमल इस बात की दलील है कि उस ने 'ला इलाहा इल्लल्लाह' मन से नहीं कहा, और जितनी उस में शिर्क की ऐसी आदत होगी उतना ही वह मख़लूक की इबादत में फंसा होगा।

७. आप ﷺ ने फ़रमाया :

«لَقِّنوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِلَهَ إِلاَّ الله

دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ)).

[رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في صحيح الجامع]

"अपने मरने वालों को 'ला इलाहा इल्लल्लाह' पढ़ने का आग्रह किया करो क्योंकि (दुनिया से विदा होते हुए) जिसकी आख़िरी बोली 'ला इलाहा इल्लल्लाह' होगी, वह कभी न कभी जन्नत में ज़रूर दाख़िल होगा, चाहे उस से पहले जो लिखा अज़ाब उसे भुगतना पड़े।" (इसे इब्ने हिब्बान ने बयान किया है और अलबानी ने इसे सही क़रार दिया है)

और कलिमा शहादत की ताकीद करने से मतलब केवल मरने वाले के पास कलिमा पढ़ना ही नहीं, जैसाकि कुछ लोगों का ख़्याल है, उसे पढ़ने का हुक्म देना है जिसकी दलील हज़रत अनस बिन मालिक की हदीस है:

((أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - عَادَ رَجُلاً مِنَ الأَنصَارِ، فَقَالَ: يَا خَالُ، قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، فَقَالَ: أَخَالٌ أَمْ عَمٌّ؟ فَقَالَ: بَلْ خَالٌ، فَقَالَ: فَخَيرٌ لِي أَنْ أَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: نَعَمْ)). [أخرجه الإمام أحمد ١٥٢/٣ بإسناد صحيح على شرط مسلم، انظر أحكام الجنائز للألباني ص ١١]

"अल्लाह के रसूल ﷺ ने एक अंसारी की अयादत (बीमारी का हाल-चाल पूछना) की तो नबी ﷺ ने फ़रमाया : मामूजान, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, उस ने कहा, मामू या चचा ? आप ने फ़रमाया: बल्कि तुम मेरे लिए मामू की हैसियत से हो, तो उस ने कहा : मेरे लिए 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहना बेहतर है, आप ने फ़रमाया : हाँ, बेहतर है।"

इसे इमाम अहमद ने मुस्लिम की शर्त पर १०२ या १०३ सही सनदों से बयान किया है।

और फिर यह भी कि मरने वाले को इसकी ताकीद उसकी मौत से पहले होनी चाहिए न कि बाद में इसलिए कि मैयत (मुर्दा) व्यक्ति न तो 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कह सकता है और न उस में सुनने का सामर्थ्य है। उपरोक्त हदीस के अन्त में है कि (जिसकी आख़िरी बोली 'ला इलाहा इल्लल्लाह' हो वह जन्नत में दाख़िल हो गया)

८. कलिमा 'ला इलाहा इल्लल्लाह' उसी समय किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है जब वह उस के अर्थ को अपने लिए जीवन व्यवस्था बनाता है, और मुर्दों या अनुपस्थित प्राणियों को पुकारने जैसे शिर्क वाले कर्म से इस कलिमा की ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं करता और जिस किसी ने ऐसा किया उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी ने वुज़ू करके तोड़ दिया हो, अतएव जैसे वुज़ू करके तोड़ देने वाले व्यक्ति को अपने उस वुज़ू का कोई लाभ नहीं होता, वैसे ही यदि किसी ने ईमान लाने के बाद कोई शिर्क का काम किया तो उसे उस ईमान का कोई फ़ायेदा नहीं होगा।

मुहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ

मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उसका मतलब यह है कि वह अल्लाह की ओर से भेजे हुए हैं, अतएव जो कुछ उन्होंने बताया हम उसकी तसदीक करें और उन के हुक्मों की पैरवी करें और जिस चीज़ से रोका और मना किया है उसे छोड़ दें और उनकी सुन्नत को अपनाते हुए अल्लाह की इबादत करें।

१. मौलाना अबुल हसन अली नदवी किताबुल ईमान में फ़रमाते हैं :

अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हर ज़माने और हर जगह पर सब से पहली दावत और सब से बड़ा उद्देश्य (मक़सद) यही था कि अल्लाह के बारे में लोगों की आस्था सही किया जाये और बन्दे और उस के रब के बीच संबन्ध सही बुनियाद पर क़ायम हो कि केवल अल्लाह ही नफ़ा नुकसान का मालिक, इबादत, दुआ, निवेदन और क़ुर्बानी का हक़दार है, और उन का हमला उन के ज़माने में पायी जाने वाली बुतपरस्ती पर केन्द्रित था, जो बुतपरस्ती ज़िन्दा और मुर्दा बुर्जग हस्तियों की इबादत के साथ में पायी जाती थी।

और यह कि अल्लाह के रसूल ﷺ हैं जिनसे उनका रब फ़रमा रहा है:

﴿قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

"ऐ पैग़म्बर, कह दीजिए कि मैं तो अल्लाह की मर्ज़ी के बिना

अपने लिए भी किसी नफ़ा, नुकसान का मालिक नहीं हूँ, और अगर मैं ग़ैब का इल्म जानता तो अपने लिए बहुत सी भलाईयाँ जमा कर लेता और मुझे कोई तकलीफ़ न पहुँचती, मैं तो केवल ईमानवालों को डराने और जन्नत की ख़ुशख़बरी देने वाला हूँ।" (अल-आराफ़ : १८८)

और आप ﷺ ने फ़रमाया :

«لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ». [رواه البخاري]

"मेरी शान ऐसे न बढ़ाना जैसाकि ईसाईयों ने ईसा बिन मरियम की शान बढ़ा दी, मैं तो केवल अल्लाह का बन्दा और रसूल हूँ, इसलिए तुम भी मुझे अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल ही कहना।" (बुख़ारी)

और शान बढ़ाने का मतलब यह है कि उनकी तारीफ़ बढ़ा चढ़ा कर करना, इसलिए यह हमारे लिए जायेज़ नहीं कि हम उन्हें अल्लाह के सिवा पुकारें जैसे कि ईसाईयों ने ईसा बिन मरियम (عليه السلام) के साथ किया तो शिर्क में घिर गये, बल्कि आप ﷺ ने हमें हुक्म दिया है कि हम यह कहें कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के बन्दे और उस के रसूल हैं।

३. अल्लाह के रसूल ﷺ से सच्ची मुहब्बत यह है कि उन की पैरवी करते हुए केवल अल्लाह से दुआ की जाये और उस के अलावा किसी इंसान को न पुकारा जाये चाहे वह (इंसान) कोई भी पहुँचा हुआ वली ही क्यों न हो।

अल्लाह के रसूल ﷺ का कथन है :

((إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله)) [رواه الترمذي وقال حسن صحيح]

"जब माँगो तो केवल अल्लाह से माँगो और जब मदद लो तो केवल अल्लाह से मदद लो।" (तिर्मिज़ी हसन सही)

अल्लाह के रसूल ﷺ को कोई ग़म या मुसीबत आन पड़ती तो आप फ़रमाते :

((يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ)) [رواه الترمذي وقال حسن صحيح]

"ऐ ज़िन्दा और क़ायम रहने वाली जान, मैं तेरी रहमत के ज़रिये तुझ से मदद माँगता हूँ।" (तिर्मिज़ी हसन)

और अल्लाह तआला उस शायर (कवि) पर रहमतें नाज़िल करे जिस ने सच्ची मुहब्बत बयान करते हुए कहा :

((لَو كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لأَطَعتَه - إِنَّ المُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ يُطِيعُ))

"अगर तुम अपनी मुहब्बत में सच्चे होते तो उनकी इताअत करते क्योंकि चाहने वाला अपने महबूब का फ़रमाँबरदार होता है।"

और सच्ची मुहब्बत की निशानी में से यह भी है कि उस तौहीद (एकेश्वरवाद) की दावत से जिस से आप की दावत की शुरूआत हुई उस से मुहब्बत की जाये और तौहीद की दावत देने वालों से प्यार हो और शिर्क और उसकी दात देने वालों से नफ़रत हो।

अल्लाह तआला कहाँ है ?

अल्लाह तआला आसमान पर है ।

हज़रत मुआविया बिन हकम सुलमी ﷺ ने फ़रमाया :

((... وكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ (أُحُدٍ والجَوَّانِيَّةِ) فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا بِالذِّئْبِ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: ائْتِنِي بِهَا، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ الله؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله، قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ)) [رواه مسلم وأبو داود].

मेरी लौंडी थी जो उहुद और जौवानिया के क़रीब बकरियाँ चराया करती थी, एक दिन जब मैंने निरीक्षण किया तो पाया कि एक बकरी भेड़िया उठा ले गया, इंसान होने के नाते मुझे भी वैसे ही दुख हुआ जैसे दूसरे लोगों को दुख होता है, तो मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया, फिर रसूलुल्लाह ﷺ के पास आया, जब उन्हें बताया तो उन्हें बुरा लगा, मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं उसे आज़ाद कर दूँ ? तो आप ﷺ ने फ़रमाया कि उसे मेरे पास ले आओ। (अतएव मैं उस लौंडी को लेकर आप ﷺ की सेवा में हाज़िर हुआ) आप ﷺ ने उस से पूछा : बताओ अल्लाह कहाँ है? उस ने कहा : आसमान पर है। आप ने पूछा: मैं कौन हूँ ? उस लौंडी ने जवाब दिया, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप ﷺ ने फ़रमाया, उसे आज़ाद कर दो, क्योंकि वह ईमान वाली है। (मुस्लिम, अबू दाऊद)

उपरोक्त हदीस से निम्नलिखित बातों का पता चलता है :

१. सहाबा केराम हर मामूली बात में भी अल्लाह के रसूल ﷺ से सम्पर्क बनाते थे ताकि उस बारे में अल्लाह का हुक्म मालूम करें।

२. अल्लाह तआला के आदेशों पर चलते हुए केवल अल्लाह और उस के रसूल से फैसला लेना चाहिए जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"ऐ पैग़म्बर, तेरे रब की क़सम ! उस समय तक लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने झगड़ों का फैसला तुम से न करवायें, फिर तुम्हारे इस फ़ैसले पर दिल में कोई तंगी महसूस न करें, और उस के सामने सिर न झुका लें।" (सूरह अल-निसा : ६५)

३. सहाबी ने लौंडी को मारा तो अल्लाह के रसूल ﷺ ने उसे बुरा समझा और इस बात का महत्व (अहमियत) दिया।

४. केवल मोमिन ग़ुलाम को आज़ाद करना चाहिए न कि काफ़िर को, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उस लौंडी से पूछ-गछ की ताकि मालूम करें कि वह मुसलमान है या नहीं, लेकिन जब मालूम हुआ कि मुसलमान है तो आज़ाद करने का हुक्म दिया।

५. तौहीद (एकेश्वरवाद) के बारे में जानकारी हासिल करना ज़रूरी है और यह कि अल्लाह तआला आसमान पर है और उसका ज्ञान (इल्म) ज़रूरी है।

६. अल्लाह तआला के बारे में पूछना कि वह कहाँ है, सुन्नत है जैसा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने लौंडी से पूछा।

७. इस सवाल के जवाब में यह कहना चाहिए कि अल्लाह तआला आसमान पर है, क्योंकि आप ﷺ ने लौंडी के जवाब को ठीक क़रार दिया, इस तरह क़ुरआन करीम ने भी लौंडी के इस जवाब का समर्थन (ताईद) किया है। जैसा कि आया है :

﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ﴾

"क्या तुम आसमान पर जो ज़ात है उस से बेख़ौफ़ व ख़तर हो गये हो कि वह तुम्हें ज़मीन में धंसा दे।" (सूरह अल-मुल्क : १६)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं कि वह ज़ात अल्लाह तआला की है।

८. मुहम्मद ﷺ की रिसालत की गवाही देने से ही ईमान सही साबित होता है।

९. यह अक़ीदा रखना कि अल्लाह तआला आसमान पर है सच्चे ईमान की निशानी है और यह अक़ीदा अपनाना हर मुसलमान पर वाजिब है।

१०. इस हदीस से उस व्यक्ति की ग़लती का रद्द हो गया जो यह कहता है कि अल्लाह तआला व्यक्तिगत रूप में हर जगह मौजूद है और सही यह है कि वह हमारे साथ अपने इल्म से है ज़ात से नहीं।

११. रसूलुल्लाह ﷺ ने जो लौंडी को बुलाया ताकि उससे पूछ-गछ करें यह इस बात की दलील है कि आप ﷺ को ग़ैब का इल्म (ज्ञान) नहीं था, इस से सूफ़ियों की काट हो गई जो यह कहते हैं कि आप ﷺ को ग़ैब का इल्म था।

नमाज़ों की फ़ज़ीलत और उन्हें छोड़ने पर पकड़

नमाज़ दीन का अरकान और महान रुक्न है, जिस की क़ुरआन और हदीस में बहुत फ़ज़ीलत और महत्व बयान किया गया है, और उसे छोड़ने वालों की सख़्त पकड़ की गयी है। नीचे कुछ आयतें और हदीसें दी गयी हैं जिन से यह बात और भी वाज़ेह हो जाती है।

१. अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ० أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ﴾

“और वे लोग जो नमाज़ की रक्षा करते हैं वही लोग जन्नतों में प्रतिष्ठित होंगे।” (सूरह अल-मआरिज :३४,३५)

२. अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

“और नमाज़ क़ायम करो क्योंकि नमाज़ बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है।” (सूरह अनकबूत : ४५)

३. अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ० الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ﴾

“तबाही उन नमाज़ियों के लिए है जो अपनी नमाज़ों से ग़ाफ़िल हो जाते हैं, यानी बिना वजह क़ज़ा कर देते हैं।” (सूरह अल-माऊन : ४,५)

४. अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ○ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

“निश्चय ही वे मोमिन कामयाब हो गये जो अपनी नमाज़ें दिल लगाकर (ख़ुशूअ् और ख़ुज़ूअ् से) अदा करते हैं।” (सूरह अलमोमिनून : १,२)

५. और फ़रमाता है :

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾

“फिर उन के बाद ऐसे अयोग्य लोग पैदा हुए जिन्होंने नमाज़ को गंवा दिया और इच्छाओं की पूर्ति (पूरा) में पड़ गये तो ये लोग ज़रूर जहन्नम के ग़ैय नाम की वादी से दो चार होंगे।” (मरियम : १९)

६. अल्लाह के रसूल ﷺ फ़रमाते हैं :

«أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهراً بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا» [متفق عليه].

“तुम्हारा क्या ख़्याल है अगर किसी के दरवाज़े के सामने से नहर बहती हो जिस में वह रोज़आना पाँच (५) बार स्नान (ग़ुस्ल) करे तो क्या उस के शरीर पर कोई गन्दगी बाक़ी रह जायेगी ? “सहाबा केराम ﷺ ने फ़रमाया : ऐसे व्यक्ति पर किसी तरह की गन्दगी बाक़ी नहीं रह सकती, आप ﷺ ने

फ़रमाया : इसी तरह पाँचों नमाज़ों की मिसाल है, जिस से अल्लाह तआला गुनाह माफ़ करते रहते हैं।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

७. आप ﷺ ने फ़रमाया :

«الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» [صحيح رواه أحمد وغيره]

"हमारे और उन (काफ़िरों) के बीच की सीमा रेखा नमाज़ है जो छोड़ेगा वह काफ़िर है।" (अहमद वग़ैरह, सही)

८. और आप ﷺ ने फ़रमाया :

« بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ» [رواه مسلم]

"किसी मुसलमान और कुफ़्र और शिर्क के बीच फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज़ है, यानी जो भी उसे छोड़ेगा वह काफ़िर और मुश्रिक है।" (मुस्लिम)

वुज़ू का तरीक़ा

अपने दोनों बाज़ुओं से कपड़ा केहुनियों तक समेट कर 'बिस्मिल्लाह' (بسم الله) कहिये।

१. कलाईयों तक दोनों हाथ धोईये, कुल्ली कीजिए और नाक में तीन बार पानी डालिये।

२. तीन बार अपना चेहरा और फिर दायां और बायां बाज़ू केहुनियों तक धोईये।

३. अपने पूरे सिर का (कानों सहित) मसह कीजिए।

४. तीन बार दायां और बायां पांव टखनों तक धोईये।

५. अगर पानी न मिल सके या बीमारी आदि की वजह से पानी का इस्तेमाल (प्रयोग) न कर सकें तो उस हालत में तयम्मुम कर लें, जिस का तरीक़ा यह है कि अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारकर अपने चेहरे और हथेलियों पर फेरें, फिर नमाज़ पढ़िये।

नमाज़ का तरीक़ा

सुबह की नमाज़ (नमाज़े फज्र) :

सुबह की दो रकअतें 'फ़र्ज' हैं जिन की दिल में नीयत करें।

१. क़िब्ला की तरफ़ मुँह करके अपने दोनों हाथ कानों तक उठाईये और (اللہ أَكْبَرُ) 'अल्लाहु अकबर' कहिए।

२. दायें हाथ को बायें हाथ पर रख कर सीने के ऊपर रखिए और दुआये सना पढ़िये।

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ)).

फिर सूरह फ़ातिहा पढ़िये :

﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ آمين.

"अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। सारी तारीफें जहानों (संसारों) के रब के लिए है जो बहुत मेरहबान और रहम करने वाला है। क़ियामत के दिन का मालिक है। या अल्लाह ! हम तेरी ही इबादत करते है और तुझ से ही मदद माँगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा दे।

उन लोगों का रास्ता ज़िन पर तूने इनाम किया न कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा ग़जब हुआ और जो लोग गुमराह हुए।" (हमारी इस दुआ को क़ुबूल कर ले।)

फिर सूरह इख़लास या उस के अलावा जो क़ुरआन में पढ़ना आसान हो पढ़िये।

१. उस के बाद दोनों हाथ (कानों तक) उठाते हए 'अल्लाहु अकबर' कहिए और रूकूअ कीजिए, दोनों हाथ घुटनों पर रखिए और तीन बार दुआ पढ़िये।

२. फिर अपना सिर उठाईये और दोनों हाथ कानों तक उठाते हुए पढ़िये:

"سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" समिअल्लाहु लिमन हमिद:

३. फिर "अल्लाहु अकबर" कहकर सज्दा करें और दोनों हथेलियाँ, घुटने, पेशानी, नाक और दोनों पाँव की अंगुलियाँ इस तरह से ज़मीन पर रखिए कि उन का रूख क़िब्ला की तरफ़ हो और किहुनियाँ ज़मीन से ऊँची रखिए और तीन बार दुआ पढ़िए :

"سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى"

४. "अल्लाहु अकबर" कहते हुए सज्दा से सिर उठाईये और दोनों हाथ घुटनों या रानों पर रख कर दुआ पढ़िए :

"رَبِّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي"

५. दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले की तरह सज्दा करें और तीन बार "سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى" कहें, तीन बार से ज़्यादा भी कह सकते हैं यानी विषम संख्याओं में।

६. इस दूसरे सज्दे से सिर उठाईये और बायीं टाँग पर बैठ जाईये जबकि दायें पाँव की अंगुलियाँ सीधी खड़ी हों, इस आसन को "जलसए स्तराहत" कहते हैं।

दूसरी रकअत :

१. फिर दूसरी रकअत के लिए खड़े होकर और सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद कोई छोटी सूरत या जो कुछ क़ुरआन में पढ़ना आसान हो पढ़ें।

२. फिर जैसे आप को बताया गया उसी तरह रूकूअ और सज्दा कीजिए, दूसरे सज्दा के बाद बैठ जाईये और दायें हाथ की अंगुलियाँ इकट्ठी करते हुए घुटने पर रखिये और शहादत की अंगुली उठाते हुए तशहहूद पढ़िये :

((التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ))

"सब हम्द और सना, दुआएँ और पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ही के लिए हैं, ऐ नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत और बरकत नाज़िल हो, सलाम हो हम पर और अल्लाह के

नेक बन्दों पर, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद ﷺ अल्लाह के बन्दे और उस के रसूल हैं। या अल्लाह रहमत भेज मुहम्मद और मुहम्मद की सन्तानों पर जैसे कि तूने रहमतें भेजीं इब्राहीम और इब्राहीम की सन्तानों पर, बेशक तू तारीफ़ के क़ाबिल और अज़मत वाला है।"

फिर यह दुआ पढ़िये :

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»

"या अल्लाह ! मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, जहन्नुम के अज़ाब से, और तेरी पनाह चाहता हूँ क़ब्र के अज़ाब से, और ज़िन्दगी की आज़माईश और मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से।"

४. फिर दायें और बायें और चेहरा फेरते हुए सलाम कहिए।

नमाज़ से सलाम फेरने के बाद निम्नलिखित चीज़ें पढ़ना सुन्नत है।

तीन बार इस्तिग़फ़ार कहना और मस्नून दुआयें पढ़ना।

३३ बार सुब्हानल्लाह, ३३ बार अलहम्दुलिल्लाह और ३४ बार अल्लाहु अकबर कहना, आयतुल कुर्सी पढ़ना।

उस के बाद सूरह इख़्लास, सूरह अल-फ़लक़ और सूरह अन्नास पढ़िये, अगर फ़ज्र या मग़रिब की नमाज़ हो तो उन सूरतों को तीन बार दोहराया जाये।

ये सभी ज़िक्र हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से करे जैसाकि नबी अकरम ﷺ और सहाबा केराम ﷺ की सुन्नत है।

नमाज़ की रकअतों की संख्या का बयान :

नमाज़ें	फ़र्ज़ से पहले की सुन्नत	फ़र्ज़	बाद की सुन्नतें
फज्र	२	२	–
ज़ोहर	२+२	४	२
अस्र	२+२	४	–
मग़रिब	२	३	२
ईशा	२	४	२+३ वित्र
जुमा	२	२	२+२ (या घर पर २)

नमाज़ के मसायेल :

१. पहली सुन्नतों से मतलब ऐसी सुन्नतें हैं जो फ़र्ज (नमाज) से पहले पढ़ी जाती हैं और बाद की सुन्नतों से मतलब वे सुन्नतें हैं जो फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ी जाती हैं।

२. नमाज़ इत्मिनान और सुकून से पढ़ें, सज्दा की जगह पर नज़र रखें और इधर उधर न देखें।

३. जब इमाम ऊँची आवाज़ में किराअत (क़ुरआन पढ़ना) न करे तो आप क़िरअत करें लेकिन जब वह ऊँची आवाज़ में क़िरअत करे तो इमाम की ख़ामोशी के बीच केवल सूरह फ़ातिहा पढ़े।

४. जुमा की फ़र्ज नमाज़ दो रकअत है जो मस्जिद में ख़ुत्बा के बाद पढ़ी जाती है।

५. मग़रिब की तीन रकअतें फ़र्ज हैं : जैसे आप ने फ़ज्र की दो रकअतें नमाज़ अदा की थीं वैसे ही दो रक़अतें अदा कीजिए, और जब दुआये अल-तहियात पढ़ चुकें तो अल्लाहु अकबर कहकर सलाम फेरे बिना कंधों के बराबर हाथ उठाते हुए तीसरी रक़अत के लिए खड़े हो जायें, तीसरी रक़अत में केवल सूरह फ़ातिहा पढ़िये और फिर पहले की तरह बाक़ी रक़अत को पूरा कर के सलाम फेर दें।

६. ज़ोहर, अस्र और ईशा की नमाज़ के चार फ़र्ज हैं : जैसे आप ने सुबह की नमाज़ अदा की थी उसी तरह दो रक़अत पढ़कर अल-तहियात पढ़िये और बिना सलाम फेरे तीसरी और फिर चौथी रक़अत के लिए खड़े हो जाईये, और इन दो रक़अतों में केवल सूरह फ़ातिहा पढ़िये, बाक़ी नमाज़ पहले की तरह पूरी कर के दायें और बायें सलाम फेर दें।

७. वित्र की तीन रकअतें हैं : दो रकअतें पढ़कर सलाम फेर दें और फिर तीसरी रकअत अलग से पढ़ें, और बेहतर यह है कि आप तीसरी रकअत में रूकूअ से पहले या बाद में दोनों हाथ उठाते हुए दुआये क़ुनूत पढ़ें।

नोट : वित्र तीन के अलावा एक, पाँच, सात, नौ ग्यारह रकअतें भी अदा की जा सकती हैं। विस्तार (तफ़सील) से पढ़ने के लिए हदीस की किताबों का अध्ययन करें।

८. अगर आप मस्जिद में आते हैं और इमाम को रूकूअ की हालत में पाते हैं तो खड़े होकर तकबीर कहिए और इमाम के साथ रूकूअ में मिल जाईये, अगर इमाम के सिर उठाने से पहले आप रूकूअ में मिल गये तो आप की यह रकअत हो गई लेकिन अगर इमाम के सिर उठाने के बाद आप रूकूअ में गये तो आप की यह रकअत न गिनी जायेगी।

९. अगर इमाम के साथ आप की एक या एक से अधिक रकअतें छूट जायें तो फिर भी इमाम के साथ नमाज़ के अन्त तक अनुसरण (पैरवी) करें और जब इमाम सलाम फेरे तो उस के साथ सलाम फेरे बिना बाक़ी रकअतों को पूरा करने के लिए खड़े हो जायें।

१०. नमाज़ जल्दी और तेज़ी से मत पढ़िये क्योंकि उस से नमाज़ खराब हो जाती है, अल्लाह के रसूल ﷺ ने एक आदमी को देखा जो नमाज़ जल्दी-जल्दी पढ़ रहा था तो आप ने उसे हुक्म दिया कि दोबारा नमाज़ पढ़ो, क्योंकि तुम्हारी नमाज़ नहीं हुई, यहाँ तक कि उस ने तीन बार ऐसा किया और फिर आप ﷺ से आग्रह किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे नमाज़ पढ़ना सिखा दीजिए, तो आप ने फ़रमाया : इस तरह से रूकूअ करो कि तुम संतुष्ट (मुतमईन) हो जाओ, फिर उठो और सीधे खड़े हो जाओ, फिर संतुष्ट होकर सज्दा करो, फिर सिर उठाओ और संतुष्ट होकर बैठ जाओ। (बुख़ारी, मुस्लिम)

११. अगर आप से नमाज़ के वाजिब कामों में से कोई वाजिब, जैसे तशह्हुद छूट जाये या रकअतों की गिन्ती में शक़ हो जाये तो थोड़ी रकअतें गिन कर नमाज़ पूरा कर लो और सलाम फेरने से पहले दो सज्दे करो जिसे सज्दा सहव कहते हैं।

१२. नमाज़ में ज़्यादा हरकत न करो क्योंकि यह नमाज के ख़ुशूअ और ख़ुज़ूअ के ख़िलाफ़ है, बल्कि मुमकिन है कि अधिक और ग़ैर ज़रुरी हरकत नमाज़ बर्बाद होने का सबब बन जाये।

१३. ईशा की नमाज़ का समय आधी रात को ख़त्म हो जाता है जबकि वित्र की नमाज़ का समय फ़ज्र की नमाज़ के समय तक बाक़ी रहता है।

नमाज़ से संबंधित हदीसें

१. अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

"जो इंसान फ़ज्र की नमाज़ जमाअत के साथ अदा करने के बाद सूरज के निकलने तक बैठा अल्लाह का ज़िक्र करता रहता है और फिर दो रकअत नमाज़ पढ़ता है, तो उसे पूरे हज और उमरे का सवाब मिलता है।" (सही तिर्मिज़ी)

२. आप ﷺ ने फ़रमाया :

"जिस इंसान की फ़र्ज़ नमाज़ में कमी रह गयी तो उस की यह कमी उसकी नफ़्ली नमाज़ से पूरी कर दी जायेगी।" (सही तब्रानी)

३. नबी अकरम ﷺ ने फ़रमाया :

"जो इंसान ज़ोहर की नमाज़ से पहले चार और बाद में चार रकअतें पढ़ता है अल्लाह तआला उसे जहन्नम की आग पर हराम कर देता है।" (सही तिर्मिज़ी)

४. आप ﷺ ने फ़रमाया :

((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) [رواه البخاري].

"ऐसे नमाज़ पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज़ पढ़ते देखते हो।" (बुख़ारी)

५. आप ﷺ ने फ़रमाया :

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)) [رواه البخاري]

"जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले दो रकअत पढ़ ले जिन्हें 'तहीय्यतुल मस्जिद' कहा जाता है।" (बुख़ारी)

६. आप ﷺ ने फ़रमाया :

«لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا» [رواه مسلم].

"क़ब्रों पर मत बैठो और न उन की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ो।" (मुस्लिम)

७. आप ﷺ ने फ़रमाया :

«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ» [رواه مسلم].

"जब जमाअत खड़ी हो जाये तो फिर फ़र्ज़ नमाज़ के सिवा कोई नमाज़ नहीं होती।" (मुस्लिम)

८. आप ﷺ ने फ़रमाया :

«أُمِرْتُ أَنْ لاَ أَكُفَّ ثَوْباً» [رواه مسلم].

"मुझे हुक्म मिला है कि कोई कपड़े न समेटूँ।" (मुस्लिम)

इमाम नौवी फ़रमाते हैं :

मना इस बात का है कि नमाज़ की हालत में आस्तीन आदि (वग़ैरह) समेटी जाये।

९. आप ﷺ ने फ़रमाया :

«أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا»، «وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ» [رواه البخاري]

"अपनी पंक्तियाँ (लाईनें) सीधी कर लो और साथ मिल जाओ। हज़रत अनस फ़रमाते हैं, हम एक-दूसरे के कन्धे से कन्धा और पांव से पांव मिलाया करते थे।" (बुख़ारी)

१०. आप ﷺ ने फ़रमाया :

«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» [متفق عليه]

"जब नमाज़ खड़ी हो जाये तो फिर दौड़ते हुए न आओ बल्कि नमाज़ की ओर आते हुए तुम सुकून से रहो और नमाज़ का जो हिस्सा तुम्हें मिल जाये वह इमाम के साथ पढ़ लो बाक़ी हिस्सा बाद में पूरा कर लो।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

११. और फ़रमाया :

«ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً» [رواه البخاري].

"पूरे इत्मिनान से रूकूअ करो, फिर उठो और सीधे खड़े हो जाओ फिर पूरे इत्मिनान से सज्दा करो।" (बुख़ारी)

१२. और फ़रमाया :

«إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ» [رواه مسلم].

"जब सज्दा करो तो अपने हाथ ज़मीन पर रखकर 'केहुनियों' को उठाये रखो।" (मुस्लिम)

१३. नबी अकरम ﷺ ने फ़रमाया :

((إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)) [رواه مسلم].

"मैं तुम्हारा इमाम हूँ इसलिए रूकूअ या सज्दा करते हुए मुझ से पहले न करो।" (मुस्लिम)

१४. और फ़रमाया :

((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ الصَّلاَةُ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسدَ سَائِرُ عَمَلِهِ)) [رواه الطبراني].

"क़ियामत के दिन हर इंसान का सब से पहले नमाज़ का हिसाब होगा, अगर नमाज़ सही हुई तो सारे कर्म (अमल) सही हो जायेंगे, अगर नमाज़ फ़ासिद हुई तो सारे कर्म बर्बाद हो जायेंगे।" (सही तबरानी)

जुमा की नमाज़ और जमाअत की फ़र्ज़ीयत

जुमा की नमाज़ और उसे जमाअत से अदा करना निम्नलिखित दलीलों से मर्दों पर वाजिब है।

१. अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا إذا نُودي لِلصَّلاة مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللهِ وذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنتُمْ تَعْلَمُون﴾

"ऐ ईमानवालो ! जब जुमा के दिन नमाज़ के लिए अज़ान दी जाये तो अल्लाह की याद (नमाज़) की तरफ़ दौड़ो और ख़रीदना और बेचना (दुनिया के लिए) छोड़ दो यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो।" (सूरह अल-जुमा : ९)

२. अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

((مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهَاوناً بِهَا طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِهِ))

"जो इंसान तीन जुमे ग़फ़लत और सुस्ती से छोड़ देता है अल्लाह तआला उस के दिल पर (गुमराही) की मुहर लगा देते है।" (अहमद, सही)

३. आप ﷺ ने फ़रमाया :

((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي، فَيَجْمَعُوا لِي حُزَماً مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آتي قَوْماً يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِم لَيْستْ بِهِمْ عِلَّةٌ، فَأُحَرِّقُهَا عَلَيْهِمْ)) [رواه مسلم].

"मैंने इरादा किया कि अपने जवानों को लकड़ियाँ इकट्ठी करने का हुक्म दूँ, फिर उन लोगों के पास जाऊँ जो बिना किसी वजह अपने घरों में नमाज़ पढ़ते हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है तो उन के घरों को जला दूँ।" (मुस्लिम)

४. आप ﷺ फ़रमाते हैं :

((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ)) [رواه مسلم].

"जो इंसान अज़ान सुनने के बावजूद नमाज़ के लिए मस्जिद में नहीं आता तो (बीमारी का डर जैसे) कारणों (सबब) के बिना उस की नमाज़ नहीं होती।" (इब्ने माजः)

५. हदीस में है :

((أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: ((هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ -الأذان- ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ)) [رواه مسلم].

"अल्लाह के रसूल ﷺ के पास एक अंधा इंसान आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे कोई मस्जिद में लाने वाला नहीं, इसलिए वह अल्लाह के रसूल ﷺ से घर में नमाज़ पढ़ने की अनुमति (इजाज़त) मांगता है, तो आप उसे अनुमति दे देते हैं, लेकिन जब वह चलने लगता है तो आप पूछते हैं कि क्या तुम अज़ान की आवाज़ सुनते हो ? तो उस ने जवाब दिया जी हाँ ! आप ने फ़रमाया : तो फिर तुम्हें मस्जिद में नमाज़ के लिए आना होगा।" (मुस्लिम)

६. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ फ़रमाते हैं :

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَداً مُسْلِماً فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ».

“जो इंसान चाहता है कि वह कल क़ियामत के दिन अल्लाह तआला से इस्लाम की हालत में मिले तो उसे चाहिए कि जब भी पांचों नमाज़ों के लिए अज़ान हो तो उन के जमाअत की पाबन्दी करे, क्योंकि अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी को हिदायत के रास्ते बताये हैं और नमाज़ो को जमाअत से अदा करना उन्हीं हिदायत पाये हुए तरीकों में से है, अगर तुम भी पीछे रहने वाले की तरह घर में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो तो अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे और जब अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे और हम देखा करते थे कि जाने बूझे मुनाफ़िकों के सिवा कोई दूसरा आदमी जमाअत से पीछे नहीं रहता था, यहाँ तक कि किसी को (बीमारी की वजह) दो आदमियों का सहारा लेकर ही क्यों न आना पड़ता वह आता, यहाँ तक कि उस को पंक्तियों (लाईनों) में खड़ा कर दिया जाता।” (मुस्लिम)

जुमा की नमाज़ और जमाअत की फ़ज़ीलत

१. नबी अकरम ﷺ ने फ़रमाया :

((مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَزِيَادَةَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)) [رواه مسلم].

"जो इंसान स्नान (ग़ुस्ल) कर के जुमा के लिए आता है और जहाँ तक होता है नफ़िल नमाज़ पढ़ता है, फिर इमाम के फ़ारिग़ होने तक उस का खुत्बा ख़ामोशी से सुनता है और इमाम के साथ जुमा की नमाज़ अदा करता है तो उस के उस जुमा से दूसरे जुमा तक के गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं और तीन दिन के और भी।" (मुस्लिम)

२. आप ﷺ ने फ़रमाया :

((مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ)) [رواه مسلم].

"जो इंसान ईशा की नमाज जमाअत से अदा करता है, ऐसा है जैसे उस ने आधी रात तक क़ियाम किया हो, और जो इंसान फ़ज्र की नमाज़ भी जमाअत से पढ़ता है ऐसा है जैसे उस ने सारी रात क़ियाम किया हो।" (मुस्लिम)

३. और आप ﷺ ने फ़रमाया :

((صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ بِضْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)) [رواه البخاري ومسلم].

"जमाअत से नमाज़ अकेले नमाज़ के मुक़ाबले में सत्ताइस गुना ज़्यादा बेहतर है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

४. और आप ﷺ ने फ़रमाया :

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)) [رواه مسلم].

"जो इंसान गुस्ले जनाबत की तरह स्नान करता है और पहली घड़ी में जुमा के दिन मस्जिद आता है वह ऐसा है जैसे उस ने ऊँट की कुर्बानी दी हो, और जो इंसान दूसरी घड़ी में आता है ऐसा है जैसेकि उस ने गाय की क़ुर्बानी दी हो, और जो तीसरी घड़ी में आता है ऐसा है जैसे उस ने सींगों वाले मेंढे की क़ुर्बानी दी हो, और जो चौथी घड़ी में आये ऐसा है जैसे उस ने मुर्गी क़ुर्बान की हो, और पाँचवी घड़ी में आने वाले को अण्डे की क़ुर्बानी का सवाब मिलता है। फिर जब इमाम ख़ुत्बा के लिए आ जाये तो सवाब लिखने वाले फ़रिश्ते ख़ुत्बा सुनने के लिए बैठ जाते हैं।" (मुस्लिम)

जुमा की नमाज़ और उस के आदाब

१. मैं जुमा के दिन स्नान (ग़ुस्ल) करता, नाख़ून उतारता, ख़ुश्बू लगाता और वज़ू के बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहनता हूँ।

२. कच्ची प्याज़ और लहसुन नहीं खाता और न सिगरेट पीता हूँ और मिस्वाक से अपने दाँत साफ़ करता हूँ।

३. अल्लाह के रसूल ﷺ के हुक्म का पालन (पैरवी) करते हुए मस्जिद में दाख़िल होकर दो रकअत तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ता हूँ, चाहे इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो, क्योंकि आप ﷺ ने फ़रमाया : "जो इंसान ख़ुत्बे के बीच मस्जिद में आये तो हलकी सी दो रकअत पढ़ ले।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

४. बिना कोई बात किये इमाम का ख़ुत्बा सुनने के लिए बैठ जाता हूँ।

५. जुमा की नमाज़ के बाद मस्जिद में चार या घर में दो रकअत सुन्नत पढ़ता हूँ और यही बेहतर है।

६. इमाम के पीछे दिल से नीयत करते हुए जुमा की दो रकअत फ़र्ज अदा करता हूँ।

७. उस दिन मैं नबी अकरम ﷺ पर अन्य दिनों के मुक़ाबले ज्यादा दरूद और सलाम पढ़ता हूँ।

८. जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करता हूँ क्योंकि आप ﷺ ने फ़रमाया : "जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि जो मुसलमान भी अपने लिए अल्लाह से उस समय कोई भलाई माँगता है तो अल्लाह तआला उसे वह दे देता है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

बीमार के लिए नमाज़ का फ़र्ज़ होना

मुसलमान भाईयो ! बीमारी की हालत में भी नमाज़ मत छोड़िये, क्योंकि इस हालत में भी नमाज़ फ़र्ज़ है, इसी तरह अल्लाह तआला ने मुजाहिदों के लिए युद्ध (जंग) के दौरान भी नमाज़ पढ़ना फ़र्ज किया है। और आप को मालूम होना चाहिए कि बीमार इंसान के लिए नमाज़ दिली सुकून का कारण बनती है, जो उसे जल्द स्वस्थ (सेहतयाब) होने में सहायक बनती है।

अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾

"और मदद हासिल करो सब्र और नमाज़ क़ायम करने से।"

और अल्लाह के रसूल ﷺ फ़रमाया करते थे :

((يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا)) [رواه أبو داود وحسن إسناده الألباني].

"ऐ बिलाल नमाज़ के लिए इक़ामत कहो, ताकि हम नमाज़ क़ायम कर के सुकून हासिल कर सकें।" (अबू दाऊद)

बीमार इंसान को नमाज़ छोड़ कर नाफ़रमान बनकर मरने के बजाय यह चाहिए कि नमाज़ अदा करता हुआ दुनिया से विदा हो जाये, अल्लाह तआला ने बीमार के लिए पानी न इस्तेमाल करने की सूरत में तयम्मुम करने की जो आसानी दी है वह इसलिए है कि कहीं पानी न इस्तेमाल कर सकने पर वह नमाज़ न छोड़ बैठे।

अल्लाह तआला फ़रमाते है :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"और अगर तुम बीमार हो, या सफ़र में हो, या तुम में से कोई नित क्रिया से निवृत होकर आये या औरत के साथ सम्भोग किया हो, और पानी न मिल सके (या उसे इस्तेमाल न कर सको) तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करते हुए मुँह और हाथों पर मसह करो और अल्लाह तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहते बल्कि वह तुम्हें पाक और तुम्हारे ऊपर अपना एहसान पूरा करना चाहते हैं ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ।" (सूरह अल-मायदा :6)

बीमार इंसान की तहारत (पाकी) का तरीक़ा :

१. बीमार के लिए ज़रूरी है कि वह पानी से तहारत करे इसलिए जनाबत (सहवास के बाद) आदि से स्नान करे नहीं तो वुज़ू करे।

२. अगर पानी इस्तेमाल करने में मजबूर हो या बीमारी के बढ़ने या सेहतयाब होने में देर होने का ख़तरा हो तो ऐसी हालत में तयम्मुम कर सकता है।

३. तयम्मुम का नियम यह है कि एक बार अपने दोनों हाथों को पाकीज़ा (पवित्र) मिट्टी पर मारे और फिर उन से अपने चेहरे का और फिर दोनों हाथों का एक-दूसरे पर मसह करे।

४. अगर बीमार ख़ुद तहारत न कर सकता हो तो कोई दूसरा इंसान उसे वुज़ू या तयम्मुम करवा सकता है।

५. अगर बीमार के किसी ऐसे अंग में घाव हो जिसे वुज़ू में धोना ज़रूरी हो तो अगर वह उसे पानी से धो सकता है तो उसे धो ले लेकिन अगर पानी से घाव प्रभावित होता हो तो अपना हाथ धोकर मसह कर ले और अगर मसह करने से घाव बिगड़ने की उम्मीद हो तो फिर उन अंगों का भी तयम्मुम कर ले।

स्पष्टीकरण : मिसाल के तौर पर अगर किसी के दायें पांव में घाव हो तो उसे चाहिये कि बाक़ी अंगों को धोने के बाद अगर पांव का वह हिस्सा जहाँ घाव है, धो सकता है तो धो ले, लेकिन अगर उस से घाव बिगड़ने का डर हो तो फिर बाक़ी अंगों को धोने के बाद उस पांव की तरफ़ से इस तरह तयम्मुम कर ले जैसा कि तयम्मुम करने का तरीक़ा बताया जा चुका है।

६. अगर उस के किसी टूटे हुए अंग पर पट्टी आदि हो तो धोने के बदले उस पर मसह कर लेना काफ़ी होगा, क्योंकि उस हालत में मसह करना धोने के समान होगा इसलिए उस की तरफ़ से तयम्मुम करने की ज़रूरत नहीं।

७. दीवार या किसी भी ऐसी पाकीज़ा चीज़ पर तयम्मुम करना जायज़ है जिस पर गर्द हो और अगर दीवार रंग (पेंट) की हुई हो तो फिर केवल उस समय उस पर तयम्मुम करना जायज़ होगा जब उस पर गर्दे (धूल कण) पड़े हों या नहीं।

८. अगर तयम्मुम धरती, दीवार या किसी गर्दे वाली चीज़ पर करना संभव (मुमकिन) न हो तो फिर बीमार व्यक्ति अपने पास किसी बर्तन या कपड़े में मिट्टी रख ले और उसी से तयम्मुम करे।

९. अगर रोगी ने एक नमाज़ के लिए तयम्मुम किया और उसकी यह तहारत दूसरी नमाज़ तक बाक़ी रही तो वह यह नमाज़ दोबारा तयम्मुम किये बिना पढ़ सकता है, क्योंकि जब तक वह तहारत किसी वजह से ख़त्म नहीं कर देता उस समय तक उसकी तहारत बाक़ी है।

नोट : तयम्मुम भी हर उस चीज़ से ख़त्म हो जाता है जिस से वुज़ू टूट जाता है।

१०. रोगी के लिए अपने शरीर से हर प्रकार की नजासत (गन्दगी) दूर करना ज़रूरी है, लेकिन अगर वह ऐसा करने का सामर्थ्य (ताक़त) न रखता हो तो वह जिस हालत में है उसी हालत में नमाज़ पढ़ ले और गन्दगी दूर होने पर उसे नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं।

११. बीमार इंसान के लिए ज़रूरी है कि वह पाकीज़ा (पवित्र) कपड़ों में नमाज़ पढ़े, इसलिए अगर कपड़े नापाक हो जाते हैं तो उन्हें धोना या पाकीज़ा कपड़ा बदल लेना ज़रूरी होगा, लेकिन अगर मुमकिन न हो तो फिर वह जिस हालत में है उस में नमाज़ पढ़ ले, पाक कपड़े मिलने पर नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं।

१२. रोगी के लिए यह भी ज़रूरी है कि वह पाक जगह पर नमाज़ पढ़े, इसलिए अगर जगह नापाक हो जाती है तो उसे धोना, जगह बदलना, या फिर उस पर पाक चीज़ (कपड़े आदि) बिछाना ज़रूरी होगा, लेकिन अगर वह भी नामुमकिन न हो तो वह जैसा भी हो नमाज़ पढ़ ले और बाद में दोहराने की ज़रूरत न होगी।

१३. रोगी के लिए यह जायज़ नहीं कि वह पाक न हो सकने की वजह से नमाज़ समय पर अदा न करे, बल्कि उसे चाहिए कि भरसक तहारत करे, और नमाज़ को उस के समय में अदा करे, और अगर कोशिश के बावजूद शरीर, कपड़े या स्थान से गन्दगी दूर न कर सका तो कोई हर्ज नहीं।

बीमार इंसान कैसे नमाज़ पढ़े?

१. रोगी के लिए आवश्यक (फ़र्ज़) है कि वह नमाज़ खड़ा होकर अदा करे, चाहे उसे झुक कर या दीवार या लाठी से टेक लगाकर ही क्यों न पढ़ना पड़े।

२. लेकिन अगर खड़े होने की ताक़त न हो तो बैठ कर पढ़ सकता है, और बेहतर यह है कि क़याम और रूकूअ की जगह वह चार ज़ानू होकर बैठे।

३. लेकिन अगर बैठने की भी ताक़त न हो तो क़िब्ला की तरफ़ फिर कर लेटे हुए ही नमाज़ पढ़े, और बेहतर यह है कि दायें पहलू पर लेटा हो, लेकिन अगर क़िब्ला की दिशा में न मुड़ सकता हो तो फिर वह जिस तरफ़ लेटा हो उसी तरफ़ नमाज़ पढ़ ले, उसकी नमाज़ सही होगी और दोहराने की ज़रूरत नहीं।

४. अगर पहलू पर भी नमाज़ पढ़ना मुमकिन न हो तो वह अपने पांव क़िब्ला की ओर किये हुए लेटे-लेटे भी नमाज़ पढ़ सकता है, और अच्छा यह है कि उसका सिर थोड़ा ऊँचा हो ताकि क़िब्ला रूख हो सके और अगर यह भी मुमकिन न हो तो फिर वह जैसे लेटा हो वैसे ही नमाज़ पढ़ले, दोहराने की ज़रूरत न होगी।

५. बीमार के लिए भी रूकूअ और सज्दा करना ज़रूरी है लेकिन अगर न कर सकता हो तो उसे अपने सिर से इशारा करते हुए रूकूअ और सज्दा करे, अतएव सज्दा करते हुए रूकूअ के मुकाबिले ज़्यादा सिर झुकाए, और अगर केवल रूकूअ ही कर

सकता हो तो रूकूअ कर ले और सज्दा के लिए सिर से इशारा कर ले, इसी तरह अगर केवल सज्दा कर सकता हो तो सज्दा कर ले और रूकूअ के लिए सिर से इशारा कर ले, और सज्दा करने के लिए कोई तकिया वग़ैरह उठाने की ज़रूरत नहीं है।

६. अगर बीमार इंसान रूकूअ और सज्दा सिर के इशारे से भी न कर सकता हो तो फिर अपनी आँखों से इशारा करे, फिर रूकूअ के लिए इशारा करते हुए आँख मामूली अन्दाज़ में बन्द करे और सज्दा के लिए इशारा करते समय रूकूअ के मुक़ाबले ज़्यादा बन्द करे, कुछ बीमार लोग रूकूअ और सज्दा के लिए उँगली से इशारा करते हैं, हालाँकि इस बात की मुझे क़ुरआन, हदीस और आलिमों के कथनों (क़ौल) से कोई दलील मालूम न हो सकी।

७. फिर अगर सिर या आँख से भी इशारा करने की ताक़त न हो तो अपने दिल में नमाज़ पढ़े फिर तकबीर कहे, क़िराअत करे और अपने दिल से रूकूअ, सज्दा, क़ियाम और बैठने का इरादा करे और हर इंसान का बदला उसकी नीयत के अनुसार है।

८. रोगियों के लिए हर नमाज़ को समय पर अदा करना और उस के वाजिब चीज़ों को भरसक पूरा करना ज़रूरी है, लेकिन अगर उस के लिए हर नमाज़ समय पर अदा करना मुश्किल हो तो फिर ज़ोहर और अस्र और मग़रिब और ईशा की नमाज़ इकट्ठी पढ़ सकता है, आसानी के मुताबिक़ जमा तक़दीम यानी अस्र की नमाज़ ज़ोहर के साथ और ईशा की नमाज़ मग़रिब के साथ या जमा ताख़ीर यानी ज़ोहर की नमाज़ अस्र के साथ या मग़रिब की नमाज़ ईशा के साथ पढ़ सकता है, जबकि फ़ज्र की नमाज़ किसी पहली या बाद वाली नमाज़ के साथ जमा नहीं की जा सकती।

९. अगर बीमार इंसान सफ़र में हो और अपने नगर के अलावा किसी दूसरे नगर में इलाज करा रहा हो तो उसे नमाज़ क़स्र के साथ पढ़ना चाहिए, फिर चार रकअत वाली नमाज़ दो रकअत पढ़े जैसे कि ज़ोहर, अस्र और ईशा की नमाज़ें हैं और यह छूट उस के इलाज पूरा होने तक बाक़ी है, चाहे इलाज लम्बी अवधि (मुद्दत) तक चले या थोड़ी अवधि में हो।

मक़बूल दुआयें :

अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया : जिस इंसान ने रात को उठकर यह दुआ पढ़ ली और फिर कहा कि ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे तो उसकी दुआ क़ुबूल होगी और अगर वुज़ू करके नमाज पढ़ी तो उसकी नमाज क़ुबूल होगी। (बुख़ारी)

«لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ»

"अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं वह एक है, उसका कोई साझी नहीं, उस के लिए बादशाही और सब तारीफ़ें हैं, और वह हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है। अल्लाह की ज़ात पाक है, सब तारीफ़ें उस की हैं और उस के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, हम उसी की इबादत करते हैं और अल्लाह नेमत और फ़ज़्ल वाला है और अल्लाह के लिए अच्छी तारीफ़ें हैं।"

जनाज़े की नमाज़ का तरीक़ा :

जनाज़े की नमाज़ पढ़ने वाला दिल से उस की नीयत करे और फिर चार तकबीरें कहे :

१. पहली तकबीर के बाद अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ कर सूरह फ़ातिहा पढ़े।

२. दूसरी तकबीर के बाद दरूदे इब्राहीमी पढ़े।

३. तीसरी तकबीर के बाद अल्लाह के रसूल ﷺ से साबित होने वाली यह दुआ पढ़े।

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ» [رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح].

"ऐ अल्लाह ! हमारे ज़िन्दों, मुर्दों, हाज़िर लोगों और ग़ैर हाज़िर जनों, छोटों और बड़ों, मर्दों और औरतों को बख़्श दे, या अल्लाह हम में से जिसे ज़िन्दा रखे उसे इस्लाम पर ज़िन्दा रख और जिसे मौत दे उसे ईमान पर मौत दे। ऐ अल्लाह ! हमें मरने वाले के सवाब से वंचित (महरूम) न रख और उस के बाद किसी आज़माईश में मुब्तिला न कर।" (अहमद, तिर्मिज़ी, हसन सही)

४. चौथी तकबीर के बाद इच्छानुसार दुआ करे और फिर दायीं तरफ़ सलाम फेर दे।

मौत का उपदेश :

अल्लाह तआला का फ़रमान है :

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

"हर जान को मौत का मज़ा चखना है और क़ियामत के दिन

तुम्हें (तुम्हारे कर्मों का) पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा, इसलिए जो इंसान जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही सफल है और दुनिया की ज़िंदगी तो केवल धोखे का सामान है।" (सूरह आले-इमरान : १८५)

ईदगाह में ईद की नमाज़ :

१.हदीस में है :

((كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ...)) [رواه البخاري].

"अल्लाह के रसूल ﷺ ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा के दिन ईदगाह जाते तो वहाँ पहुँच कर सब से पहले नमाज़ पढ़ते।" (बुख़ारी)

२. अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

((التَّكْبِيرُ فِي الفِطْرِ: سَبْعٌ فِي الأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا)) [حسن رواه أبو داود].

"ईदुल फ़ित्र की नमाज़ में पहली रकअत में सात और दूसरी रकअत में पांच तकबीरें कही जाती हैं और उन तकबीरों के बाद क़िराअत की जाती है।" (अबू दाऊद, हसन)

३. हज़रत उम्मे अतिया رضي الله عنها फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने हमें आदेश किया :

((أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ

الله، إِحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»

[متفق عليه].

"हम ईदुल फ़ित्र और ईदुल अजहा के लिए मासिक धर्म (हैज़) वाली औरतें और पर्दा में रहने वाली कुंवारी लड़कियाँ भी साथ ले जायें, लेकिन मासिक धर्म वाली औरतें नमाज़ न पढ़ें, ताकि वह भी इस ख़ैर व बरकत के सम्मेलन (इजतेमअ) और मुसलमानों की दुआ में शरीक़ हो सकें। हज़रत उम्मे अतिया (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: मैंने कहा : अल्लाह के रसूल ! अगर हम में से किसी बहन के पास ओढ़नी न हो तो फिर ? आप (ﷺ) ने फ़रमाया : उस की किसी बहन को चाहिये कि वह उसे अपनी ओढ़नी ओढ़ा दे।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

इन हदीसों से मालूम हुआ कि :

१. ईद की दो रक़अत नमाज़ पढ़ना सुन्नत है, जिस में नमाज़ी पहली रकअत के शुरू में सात और दूसरी रक़अत के शुरू में पांच तकबीरें कहे फिर सूरह फ़ातिहा और क़ुरआन में से जो याद हो पढ़े।

२. ईद की नमाज़ मदीने के नज़दीक ईदगाह में अदा की जाती थी जिसकी तरफ़ अल्लाह के रसूल ﷺ जाया करते और आप के साथ बच्चे, औरतें, युवतियाँ और यहाँ तक कि मासिक धर्म वाली औरतें भी जाया करतीं।

हाफ़िज़ इब्ने हज्र फ़तहुल बारी में फ़रमाते हैं, इससे मालूम हुआ की ईद की नमाज़ के लिए ईदगाह में जाना ज़रूरी है और मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ना केवल मजबूरी में ही जायेज़ है।

ईदुल अज़हा में क़ुर्बानी की ताकीद

१. अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

«إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ». [البخاري ومسلم]

"हमें चाहिये कि अपनी ईद का दिन नमाज़ से शुरू करें फिर वापस आकर क़ुर्बानी करें, इसलिए जो इंसान इस तरह से करता है तो उस ने हमारी सुन्नत अपना ली और जिस इंसान ने ईद की नमाज़ से पहले क़ुर्बानी का जानवर ज़िब्ह कर लिया तो उसकी क़ुर्बानी नहीं हुई, बल्कि अपने घर वालों को खाने के लिए गोश्त की व्यवस्था की है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

२. और आप ﷺ ने फ़रमाया :

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ عَلَى كُلِّ بَيْتٍ أُضْحِيَةً». [رواه أحمد والأربعة، وقواه الحافظ في الفتح]

"लोगो ! हर घर के लिए क़ुर्बानी करना ज़रूरी है।" (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, अहमद, इब्ने हज्र ने इसे सही क़रार दिया है)

३. और अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

((مَنْ وَجَدَ سَعَةً بأنْ يُضَحِّي فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا)). [رواه أحمد وغيره وحسنه محقق جامع الأصول].

"जो इंसान सामर्थ्य (ताक़त) रखने के बावजूद क़ुर्बानी नहीं करता वह हमारी ईदगाह में न आये ।" (अहमद वग़ैरह, जामिउल उसूल के लेखक ने इसे हसन क़रार दिया है)

इस्तिसक़ा की नमाज़
(वर्षा मांगने के लिए नमाज़)

१.सही बुख़ारी में है :

((خَرَجَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، فَدَعَا وَاسْتَسْقَى ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَّبَ رِدَاءَهُ وَجَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ)) [رواه البخاري].

"अल्लाह के रसूल ﷺ ईदगाह की ओर इस्तिस्क़ा की नमाज़ पढ़ने के लिए निकले और आप ﷺ ने वर्षा (बारिश) के लिए दुआ मांगी, फिर क़िब्ला की ओर फिर कर दो रक्अत नमाज़ पढ़ी और अपनी चादर उलट दी चादर का दायाँ हिस्सा बांयी ओर कर दिया।" (बुख़ारी)

२.हज़रत अनस बिन मालिक رضي الله عنه फ़रमाते हैं :

((أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّاب كَانَ إِذَا قُحِطُوا استسقى بِالعَبَّاسِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيكَ بِنَبِيِّكَ فَتَسقِينا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ - ﷺ - فَاسقِنَا فَيُسْقَوْنَ)) [رواه البخاري].

"जब अकाल (सूखा) पड़ता तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब رضي الله عنه हज़रत अब्बास رضي الله عنه को साथ लेकर वर्षा की दुआ माँगते और फ़रमाते, या अल्लाह ! हम अल्लाह के रसूल ﷺ को (जब वह

ज़िन्दा थे) वसीला बनाते हुए बारिश की दुआ मांगा करते थे तो तू बारिश बरसाता था, अब जबकि तेरे नबी का देहान्त (इन्तिक़ाल) हो चुका है, हम आप के चचा का वसीला देते हुए तुझ से बारिश की दुआ करते हैं।" इसलिए अल्लाह तआला पानी बरसाते थे। (बुख़ारी)

३. यह हदीस इस बात की दलील है कि नबी अकरम ﷺ ज़िन्दा थे तो मुसलमान उन को दुआ का वसीला बनाते और उन से बारिश के लिए दुआ करवाते और जब वह अपने ख़ालिक़ से जा मिले तो फिर मुसलमानों ने मृत नबी से दुआ नहीं करवायी बल्कि हज़रत अब्बास ؓ (जो अभी ज़िन्दा थे) ने अल्लाह तआला से उन के लिए वर्षा की दुआ की।

ख़ुसूफ़ और कुसूफ़ की नमाज़

वह नमाज़ जो सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण लगने पर पढ़ी जाती है।

१. हज़रत आईशा रज़िअल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं :

((خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ الله - ﷺ - فَبَعَثَ مُنَادِيًا: (الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ) فَقَامَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ)). [رواه البخاري]

"अल्लाह के रसूल ﷺ के ज़माने में सूर्यग्रहण लगा तो आप ने एलान कराया कि नमाज़ के लिए इकट्ठे हो जाओ, फिर आप ने चार रूकूअ और चार सज्दों से दो रक्अत नमाज़ अदा की यानी हर रक्अत में दो रूकूअ और दो सज्दे किये।" (बुख़ारी)

२. हज़रत आईशा रज़िअल्लाहु अन्हा से उल्लिखित है :

((كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ- وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى- ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُما آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيهِمَا عِبَادَه، فَإِذَا رَأَيْتُم ذَلِكَ فَافْزَعُوا

إِلَى الصَّلاَةِ.. وَادعُوا الله وَصَلُّوا وَتَصدَّقُوا..)) يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ الله أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِي أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَالله لَوْ تَعلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكتُم قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُم كَثِيرًا، أَلاَ هَلْ بَلَّغتُ)). [هذه رواية البخاري ومسلم باختصار]

"अल्लाह के रसूल ﷺ के ज़माने में जब सूर्यग्रहण लगा तो आप ने लोगों को इस तरह नमाज़ पढ़ाई कि आप ने लम्बी क़िराअत करने के बाद लम्बा रूकूअ किया फिर रूकूअ से सिर उठा कर लम्बी क़िराअत की जो पहली क़िराअत के मुक़ाबले कुछ कम थी, फिर आप ने रूकूअ किया जो पहले रूकूअ के मुक़ाबले छोटा था, फिर रूकूअ से उठने के बाद दो सज्दे किये और फिर उसी तरह से दो रक़अत अदा की और जब आप ﷺ ने सलाम फेरा तो उस समय सूरज रोशन हो चुका था, फिर आप ने लोगों को सम्बोधित (मुख़ातिब) किया और फ़रमाया कि सूरज और चाँद किसी की मौत या ज़िन्दगी की वजह से नहीं गहनाते बल्कि यह तो अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं जो कि अपने बन्दों को (डराने के लिए) दिखाते हैं, इसलिए जब तुम चाँद या सूरजग्रहण लगा दुआ देखो तो नमाज़ की तरफ़ दौड़ो, अल्लाह तआला से दुआ करो, दरूद पढ़ो और सदक़ा और ख़ैरात करो।"

नोटः आप ﷺ ने यह इसलिए फ़रमाया क्योंकि उस दिन आप (ﷺ) के पुत्र इब्राहीम (ﷺ) की मौत हो गई थी, इसलिए कुछ लोगों ने यह ख़्याल किया कि शायद इब्राहीम ﷺ की मौत के कारण सूर्यग्रहण लगा है तो आप ﷺ ने उनका यह सन्देह (शक़) दूर करने के लिए यह फ़रमाया।

फिर आप ﷺ ने फ़रमाया :

"ऐ मुहम्मद (ﷺ) की उम्मत ! अगर तुम्हारी ग़ैरत यह सहन नहीं करती कि तुम्हारा कोई ग़ुलाम या लौण्डी व्याभिचार करे तो अल्लाह तआला तुम से ज़्यादा ग़ैरतमन्द है कि उसका कोई बन्दा या बन्दी व्याभिचार करे। ऐ मुहम्मद (ﷺ) की उम्मत ! अगर तुम्हें वह बातें मालूम हो जो हमें मालूम है तो तुम बहुत थोड़ा हंसा करो और बहुत ज़्यादा रोया करो, क्या मैंने तुम्हें तबलीग़ नहीं कर दी।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

इस्तिख़ारा की नमाज़

इस्तिख़ारा की नमाज़ उस समय पढ़ी जाती है जब कोई इंसान कोई काम करना चाहता हो लेकिन वह उसे करने या न करने का फ़ैसला न कर पाता हो तो उस हालत में वह दो रक्अत नमाज़ पढ़ कर उस काम में बेहतरी और आसानी की दुआ करे।

हज़रत जाबिर ﷺ फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ﷺ हमें सभी कामों के लिए इस तरह इस्तिख़ारा की दुआ सिखाते थे, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: जो इंसान किसी काम का इरादा करे उसे दो रक्अत नफ़्ल पढ़ कर दुआ माँगनी चाहिए। दुआ यह है :

«اللّهُمَّ إِنِّي أَستَخِيرُكَ بِعِلمِكَ، وأَسْتَقدِرُكَ بِقُدرَتِكَ، وأَسأَلُكَ مِنْ فضلِكَ العظيمِ، فَإِنَّكَ تَقدِرُ ولا أَقدِرُ، وتَعلَمُ ولا أَعلَمُ، وأَنْتَ عَلاّمُ الغُيوبِ. اللّهُمَّ إِنْ كُنتَ تَعلمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيرٌلِي فِي دِينِي ومَعَاشِي وعَاقِبَةِ أمرِي، (أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أمرِي وآجِلِهِ) فَاقْدُرْهُ لِي ويَسِّرهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيه، وإِنْ كُنتَ تَعلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي ومَعَاشِي وعَاقِبَةِ أمرِي (أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أمرِي وآجِله) فَاصرِفهُ عَنِّي واصرِفنِي عَنهُ واقدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ (قَالَ: ويُسَمِّي حَاجَتَهُ). [رواه البخاري]

"या अल्लाह, मैं तेरे ज्ञान (इल्म) के द्वारा भलाई चाहता हूँ और तेरे सामर्थ्य की मदद से काम करने की ताक़त माँगता हूँ और तुझ से तेरी महान कृपा (रहमत) का सवाल करता हूँ, बेशक तू ही सामर्थ्य रखता है, मैं सामर्थ्य नहीं रखता, तू ही जानता है जबकि मैं नहीं जाता और तू ही ग़ैब का इल्म जानने वाला है।

या अल्लाह! अगर तेरै इल्म के मुताबिक़ यह काम (उस काम का नाम लेकर) मेरे लिए दीनी और दुनियावी मामलों और नतीजा की नज़र से बेहतर है, तो तू उसे मेरा भाग्य बना दे, उस की प्राप्ति मेरे लिए आसान कर दे, और उसे मेरे लिए बरकत वाला बना दे, और अगर तेरे इल्म में यह काम मेरे लिए दीनी और दुनियावी मामलों और नतीजा की नज़र से हानिकारक है तो उसे मुझ से दूर कर दे और मेरी सोच और विचार से निकाल दे और जहाँ कहीं भी भलाई हो उसे मेरा भाग्य बना दे और मुझे इस पर संतुष्ट कर दे।" (बुख़ारी)

जैसे एक इंसान इलाज के लिए ख़ुद दवाईयों का इस्तेमाल करता है। ऐसे ही उसे यह नमाज़ और दुआ ख़ुद करना चाहिए और उसे इसका यक़ीन हो कि उस ने अपने जिस रब से इस्तिख़ारा किया है वह ज़रूर उसकी किसी बेहतर रास्ते की ओर मार्गदर्शन (हिदायत) करेगा, और उस बेहतरी की निशानी यह है कि आप के लिए उस काम के अस्बाब आसान हो जायेंगे। इस इस्तिख़ारे का इल्म हो जाने के बाद तुम बिदअती इस्तख़ारे से बचो जो सपनों, मुकाशफ़ों और पति-पत्नी के नामों का हिसाब लगाकर किये जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों की दीन में कोई हक़ीक़त नहीं बल्कि शिर्क और बिदअत हैं। जैसाकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

((مَنْ أَتَى عرَّافاً فسألَهُ عن شَيْءٍ فَصَدَّقه لم تُقبل لَهُ صَلاَةٌ أَربَعين يوماً))

"जिस इंसान ने ज्योतिषी से कोई बात पूछी और उसकी तसदीक़ कर दी तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़ुबूल नहीं होती।" (मुस्लिम)

दूसरी हदीस में है :

((فَقَدْ كفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحمَّدٍ))

"ऐसे इंसान ने मुहम्मद ﷺ पर नाज़िल होने वाले (क़ुरआन) से कुफ़्र किया।"

नमाज़ी के आगे से गुज़रने पर गुनाह

अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

«لَوْ يَعلمُ المَارُّ بَينَ يَدَي المُصَلّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» [رواه البخاري]

"अगर नमाज़ी के समाने से गुज़रने वाले को पता चल जाये कि उस पर कितना गुनाह है तो उस के लिए चालीस (साल) खड़ा होना नमाज़ी के आगे से गुज़रने से बेहतर है।" (बुख़ारी, इब्ने ख़ुज़ैमा)

अबु नजर ने कहा कि मैं नहीं जानता कि आप ने चालीस दिन या चालीस महीना कहा था या चालीस साल।

इस हदीस में नमाज़ी के आगे उस के सज्दे की जगह से गुज़रने में बहुत बड़े गुनाह की ख़बर दी गयी है और अगर गुज़रने वाले को गुनाह का इल्म हो तो वह चालीस साल तक इंतेज़ार करना तो सहन कर लेगा लेकिन नमाज़ी के आगे से नहीं गुज़रेगा, अलबत्ता इस के लिए नमाज़ी के सज्दागाह से दूर गुज़रने में कोई नुकसान नहीं, जैसाकि उस हदीस से पता चलता है जिस में सज्दा की हालत में हाथ रखने की जगह बतायी गयी है।

और नमाज़ी को चाहिए कि वह अपने सामने सुतरह रख लिया करे, ताकि गुज़रने वाले सचेत हो जायें। जैसाकि आप ﷺ का क़ौल है :

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجتَازَ بَينَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ)). [متفق عليه]

"जब तुम में कोई सुतरह रखे नमाज़ पढ़ रहा हो और कोई उस के समाने से गुज़रना चाहे तो उसे रोक दे और पीछे हटा दे, अगर फिर भी वह बाज़ न आये तो उसे सख़्ती से रोके कि वह शैतान है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

१. बुख़ारी शरीफ़ की इस हदीस से साबित होने वाले मना में मस्जिदे हराम (बैतुल्लाह) और मस्जिदे नबवी भी शामिल है क्योंकि आप ने यह हदीस मक्का और मदीना में ही बयान फ़रमाई, जहाँ मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी हैं।

इस बात की दलील यह भी है कि इमाम बुख़ारी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िअल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि उन्होंने बैतुल्लाह में तशहहुद के दौरान आगे से गुज़रने वाले को रोका और फ़रमाया कि यदि कोई लड़ना चाहता है तो उस से लड़ो, यानी यदि कोई सख़्ती के बिना नहीं रुकता तो उसे सख़्ती से रोके।

हाफ़िज़ इब्ने हज्र फ़रमाते हैं कि इस हदीस में बैतुल्लाह का बयान किया गया है ताकि यह भ्रम न रहे कि बैतुल्लाह में भीड़ होने के कारण आगे से गुज़रना जायेज़ है। उपरोक्त रिवायत इमाम बुख़ारी के गुरू अबू नईम ने किताबुस्सलाह में काबा के उल्लेख से बयान किया है।

२. जबकि सुनन अबू दाऊद में उल्लिखित हदीस एक रावी (उल्लेखकर्त्ता) के मज्हूल होने के कारण (सबब) कमज़ोर है। इस

हदीस की इबारत यह है कि कसीर बिन कसीर बिन अबी विदाअः अपने घर वालों से रिवायत करते हैं कि उन के दादा ने अल्लाह के रसूल ﷺ को बाब बिन सेहून के निकट बिना सुतरह के नमाज़ पढ़ते हुए देखा और लोग उनके आगे से गुज़र रहे थे।

हाफ़िज इब्ने हज्र फ़तहुल बारी में फ़रमाते हैं कि यह हदीस कमज़ोर है, क्योंकि कसीर बिन कसीर ने यह हदीस अपने पिता से नहीं बल्कि किसी घर वाले से सुनी है, इसलिए वह मज्हूल है।

३. इसी तरह सहीह बुख़ारी में सुतरह वग़ैरह के अध्याय (बाब) में हज़रत अबू हुज़ैफ़ा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ﷺ दोपहर के समय बतहा (मक्का) की ओर निकले जहाँ लाठी गाड़े हुए ज़ोहर और अस्र की दोगाना नमाज़ अदा की।

साराँश यह है कि नमाज़ी के आगे से उसकी सज्दागाह से गुज़रना हराम है, और अगर वह अपने सामने सुतरह रखे हुए हो और फिर भी कोई उसकी सज्दागाह से गुज़रे तो उस में सख़्त गुनाह की बात है उपरोक्त हदीसों के आधार पर यह आदेश मस्जिदे हराम और बाक़ी सभी जगहों के लिए बराबर है, इस आदेश से केवल सख़्त भीड़ के समय मजबूरी की हालत में छूट है।

अल्लाह के रसूल ﷺ का क़ुरआन और नमाज़ पढ़ना

१. अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾

"और क़ुरआन को ख़ूब ठहर-ठहर कर पढ़ा करो।" (सूर: अल-मुज़म्मिल : ४)

२. हदीस में है :

((كَانَ - ﷺ - لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ)). [صحيح، رواه ابن سعد].

"आप ﷺ तीन दिन से कम की अवधि (मुद्दत) में क़ुरआन ख़त्म नहीं करते थे।" (सही रवाहो इब्ने साद)

३. हदीस में है :

((كَانَ - ﷺ - يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً)) (الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ) ثم يقف (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ثم يقف

"आप ﷺ हर आयत पढ़ कर रूकते और अगली आयत पढ़ते।" (तिर्मिज़ी, सही)

४. आप ﷺ फ़रमाया करते कि :

«زَيِّنُو القُرآنَ بِأَصوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوتَ الحَسَنَ، يَزِيدُ القُرآنَ حُسْناً».

[صحيح، رواه أبو داود]

"क़ुरआन अच्छी रसीली आवाज़ से पढ़ा करो क्योंकि अच्छी आवाज़ क़ुरआन के हुस्न को दोबाला कर देती है।" (अबू दाऊद, सही)

५. हदीस में है :

«كَانَ يَمُدُّ صَوتَهُ بِالقُرآنِ مَدًّا». [صحيح، رواه أحمد]

"आप ﷺ क़ुरआन पढ़ते हुए आवाज़ ज़्यादा खींचते।" (अहमद, सही)

६. हदीस में है :

«كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ» -الديك- [متفق عليه].

"आप ﷺ मुर्ग़ की बाँग सुन कर नींद से जागते।" (बुख़ारी व मुस्लिम)

७. हदीस में है :

«كَانَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ» -أحيانًا- [متفق عيه]

"आप ﷺ कभी-कभी अपने जूतों में भी नमाज़ पढ़ लेते।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

८. हदीस में है :

«وكَانَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ (بِيَمِينِهِ). [صحيح، رواه الترمذي وأبو داود].

"आप ﷺ दायें हाथ से ज़िक्र की गिन्ती करते।" (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, सही)

९. और है :

«وكَانَ إِذَا حَزَبَه أَمْرٌ صَلَّى -حزبه: كربه- [حسن، رواه أحمد وأبو داود].

"जब अल्लाह के रसूल ﷺ को कोई कठिनाई होती तो नमाज़ पढ़ते |" (अबू दाऊद, अहमद हसन)

१०. और है :

«كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيهِ، وَرَفَعَ إِصبَعهُ اليُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبهَامَ فَدَعَا بِهَا». [رواه مسلم]

"आप ﷺ जब नमाज़ में बैठते तो अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखते और दायें हाथ के अंगूठे के साथ वाली उँगली उठाये दुआ करते |" (मुस्लिम, सिफ़तुल जुलूसे फिस-सलात ५\८०)

११. और है :

«وكَانَ يُحرِّكُ إِصْبَعَهُ اليُمنَى يَدْعُو بِهَا». [صحيح، رواه النسائي]

ويقول: «لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيطَانِ مِنَ الحَدِيدِ» -يعني السبابة- [حسن، رواه أحمد]

"(नमाज़ में बैठे हुए) आप दायें हाथ की उँगली (शहादत) को हिलाते हुए दुआ करते (नसाई-सही) और आप फ़रमाते उसकी चोट शैतान के ऊपर लोहे से भी ज़्यादा सख़्त है |" (अहमद, हसन)

१२. और है :

«وكَانَ يَضَعُ يَدَهُ اليُمنَى عَلَى اليُسرَى عَلَى صَدْرِهِ» -فِي الصَّلاَةِ-

[رواه ابن خزيمة وغيره وحسنه الترمذي].

"आप नमाज़ में अपना दायाँ हाथ बायें हाथ पर सीना पर रखते" [(इब्ने ख़ुज़ैमा आदि ने बयान किया। तिर्मिज़ी ने हसन कहा है) और इमाम नववी ने इसका बयान मुस्लिम शरीफ़ की व्याख्या (तफ़सीर) में किया और कहा है कि नाफ़ से नीचे हाथ बाँधने वाली हदीस कमज़ोर है।]

१३. चारों इमामों ने एक आवाज़ में कहा है कि अगर सहीह हदीस मिल जाये तो वही मेरा मज़हब होगा, इसलिए तशहहुद में उँगली को हरकत देना (रफ़उल यदैन करना, ऊँची आवाज़ में आमीन कहना) और नमाज़ में सीने पर हाथ रखना उन के मज़हब के अनुसार है और यही सुन्नत है।

१४. शहादत की उँगली को नमाज़ में हरकत देना इमाम मालिक और कुछ शाफ़ई विचारधाराओं के मानने वालों का मज़हब है जैसाकि इसका उल्लेख इमाम नववी की पुस्तक शरह अल-मुहज़्ज़ब (३\४५४) और मुहक़्क़िक जामिउल-उसूल ने (५\४०४) में किया है, और अल्लाह के रसूल ﷺ ने उस हरकत देने (हिलाने) का कारण उपरोक्त हदीस में बयान कर दिया है जिस में शैतान पर लोहे की चोट से भी ज़्यादा सख़्त है, और यह इसलिए कि उँगली का हरकत देना अल्लाह की तौहीद की ओर इंगित करना है जबकि शैतान को तौहीद नापसन्द है। अतएव एक मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह के रसूल ﷺ की सुन्नत का इन्कार करने के बदले आप ﷺ की पैरवी करे जैसाकि उन्होंने फ़रमाया है :

((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)). [رواه البخاري].

"इस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो।" (बुख़ारी)

अल्लाह के रसूल की रात की नमाज़

१. अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ○ قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾

"ऐ चादर ओढ़ने वाले, रात का क़ियाम करो सिवाये कुछ हिस्से के।" (सूर: अल-मुज़म्मिल : १,२)

२. हज़रत आईशा रज़िअल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं :

((مَا كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً. فَقُلتُ: أَتَنَامُ قَبلَ أَن تُوتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ؟ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي)) [متفق عليه].

"अल्लाह के रसूल ﷺ रमज़ान में या रमज़ान के अलावा (क़ियामुल्लैल) ग्यारह रक्अतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, इसलिए आप चार रक्अत इस तरह पढ़ते कि उन के हुस्न व तूल (लम्बाई) का क्या पूछना, फिर आप चार रक्अत पढ़ते कि उन के हुस्न और तूल (लम्बाई) का क्या पूछना, फिर आप तीन रक्अत पढ़ते, मैंने अल्लाह के रसूल ﷺ से पूछा कि क्या आप वित्र से पहले सोते भी हैं, आप ﷺ ने फ़रमाया: ऐ आईशा! मेरी आँखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

३. हज़रत असवद बिन यज़ीद ﷺ फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत आईशा

रज़िअल्लाहु अन्हा से अल्लाह के रसूल ﷺ की रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया :

«كَانَ يَنَام أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُـمَّ يَقُـومُ، فَإِذَا كَـانَ مِـنَ السَّحَرِ أَوْتَـر، ثُـمَّ أَتَـى فِرَاشَهُ، فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَـةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَـام، فَإِذَا سَـمِعَ الأَذَانَ وَثَـبَ، فَـإِذَا كَـانَ جُـنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَـاءِ (اغْتَسَـل) وَإِلاَّ تَوضَّأ، وَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ». [رواه البخاري ومسلم وغيرهما]

"आप रात का पहला पहर सोते, उस के बाद आप ﷺ नमाज़ पढ़ते और जब सेहरी का समय होता तो आप वित्र पढ़ते फिर अपने बिस्तर पर आते, अगर हाजत होती तो अपनी पत्नी से सहवास करते, फिर जब अज़ान सुनते तो उठते, अगर जुन्बी होते तो स्नान (ग़ुस्ल) करते नहीं तो वुज़ू कर लेते और नमाज़ के लिए मस्जिद चले जाते।" (बुख़ारी)

४. हज़रत अबू हुरैरह ﷺ फ़रमाते हैं :

«كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - يَقُومُ حَتَّى تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله لِمَ تَفعَل هَذَا وَقَدْ غفرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَـأَخَّر؟ قَـالَ: أَفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً». [متفق عليه].

"अल्लाह के रसूल ﷺ (रात को) इतनी लम्बी नमाज़ पढ़ते कि आप के पाँव सूज जाते, जब आप ﷺ से कहा जाता, ऐ अल्लाह के रसूल ! आप को ऐसा करने की क्या ज़रूरत है जबकि अल्लाह ने आप के अगले और पिछले सभी गुनाह माफ़ कर दिये हैं तो आप ﷺ ने फ़रमाया: अगर ऐसा है तो क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूँ।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

५.अल्लाह के रसूल ﷺ फ़रमाते हैं :

((حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ: النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَت قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)). [صحيح، رواه أحمد].

“तुम्हारी दुनिया में से मेरे लिए औरतें और ख़ुश्बू पसंदीदा बना दी गयी जबकि नमाज़ में मेरी आँखों की ठंडक का सामान किया गया है।” (अहमद, सही)

ज़कात और इस्लाम में उसका महत्व

ज़कात का अर्थ :

ज़कात माल में एक निर्धारित (मुकर्रर) हक़ है जो कुछ शर्तों के साथ नियमित लोगों पर नियमित समय में अदा करना फ़र्ज़ है।

ज़कात इस्लाम के महान अरकान में से एक रुक्न है जिसका उल्लेख क़ुरआन शरीफ़ में बहुत सी जगहों पर नमाज़ के साथ किया गया है।

और सभी मुसलमान उस के फ़र्ज़ होने पर एक मत (राय) हैं, इसलिए जो व्यक्ति जानने के बाद भी उस के फ़र्ज़ होने का इंकार करता है तो वह काफ़िर है और इस्लाम से बाहर है, किसी ने कंजूसी की या उस में कोई कमी की तो उस के लिए सख़्त यातना और अज़ाब की चेतावनी आयी है। जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

"और नमाज़ क़ायम करो और ज़कात अदा करो।" (सूरः अल-बक़रः-११०)

और अल्लाह फ़रमाते हैं :

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾

"और उन्हें हुक्म दिया गया कि अल्लाह ही के लिए दीन को ख़ालिस करते हुए इबादत करें और नमाज़ क़ायम करें यकसू

होकर और जकात अदा करें और यही सच्चा दीन है।" (सूर: अल-बैय्यना : ५)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िअल्लाहु अन्हुमा से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फरमाया :

((بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: -فَذَكَرَ مِنهَا- إِيتَاء الزَّكَاة)).

"इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है जिन में आप ने ज़कात का उल्लेख किया।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

हज़रत मुआज़ ﷺ के बारे में आता है कि जब अल्लाह के रसूल ﷺ ने उन्हें यमन का राज्यपाल (गर्वनर) बनाकर भेजा तो फ़रमाया:

((فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلكَ فَأَعْلِمهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فقَرَائِهِمْ)).

"अगर वे (यानी यमन वाले) तुम्हारा कहा मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह तआला ने उन पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो उन के धनी लोगों से लेकर उन के फ़क़ीरों में बाँटी जायेगी।" (बुख़ारी)

और ज़कात अदा न करने वाले के काफ़िर हो जाने के बारे में अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾

"अत: अगर वे (काफ़िर) तौबा कर लेते हैं और नमाज़ क़ायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं तो फिर वे तुम्हारे दीनी भाई होंगे।" (अत्तौब:-११)

इस आयत से मालूम हुआ कि जो इंसान नमाज़ क़ायम नहीं करता और ज़कात अदा नहीं करता वह हमारा दीनी भाई नहीं हो सकता बल्कि वह काफ़िरों में से है, इसीलिए हज़रत अबू बक्र रज़िअल्लाहु अन्हु ने नमाज़ और ज़कात में अन्तर करने वालों और नमाज़ क़ायम करने के बावजूद ज़कात न देने वालों से जंग की और सभी सहाबियों ने एकमत होकर आप का साथ दिया, इसलिए उन के इस अमल की हैसियत इजमाअ की है।

ज़कात के फ़र्ज़ होने की वजह और उसकी हिक्मत :

ज़कात के फ़र्ज़ होने की बहुत सी वजहें, ऊँचे उद्देश्य (मक़सद) और मस्लिहतें हैं जो किताब और सुन्नत की उन आयतों और हदीसों पर विचार करने से सामने आती हैं जिन में ज़कात अदा करने का हुक्म दिया गया है। उसकी मिसाल सूरह तौबा की वह आयत है जिस में ज़कात के मुस्तहक़ लोगों का बयान आया है, उसी तरह वे आयतें और हदीसें जिन में भलाई के काम में माल ख़र्च करने को प्रेरित किया गया है।

ज़कात के कुछ फ़ायदे (लाभ) :

१. ज़कात देने से मुसलमान के दिल पर ग़लतियों और गुनाहों से पैदा होने वाली गन्दगियाँ दूर होती हैं और कंजूसी की वजह उसकी आत्मा (रूह) पर पड़ने वाले बुरे असर ख़त्म होते हैं, जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾

"(ऐ मेरे रसूल!) उन के माल से ज़कात लेकर उन को पाक और उन के नफ़्स की सफ़ाई करो।" (अत्तौब:-१०३)

२. ज़कात से मुहताज, ग़रीब मुसलमानों की मदद और दिलजूई हो जाती है और वह ग़ैरूल्लाह से सवाल करने की ज़िल्लत से बच जाता है।

३. मुसलमान क़र्ज़दारों का क़र्ज़ अदा करके उसकी परेशानी ख़त्म की जाती है और क़र्ज़दारों का क़र्ज़ अदा हो जाता है।

४. ऐसे लोगों की जिन का ईमान कमज़ोर है मदद कर के उन के सन्देहों (शक) और बेचैनियों की वजह से बिखरे हुए दिलों को इस्लाम और ईमान के रिश्तों में जोड़ा जाता है और उन में पक्का ईमान और यक़ीन का बीज बोया जाता है।

५. इस्लाम के प्रचार-प्रसार, (दावत-तबलीग़) कुफ़्र और फ़साद को मिटाने और इंसाफ़ का झण्डा बुलन्द करने के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों को जंगी हथियारों से लैस करना ताकि अल्लाह की ज़मीन से कुफ़्र और शिर्क मिटा कर अल्लाह की हाकमियत और उसी का दीन क़ायम किया जाये।

६. ऐसे मुसलमान यात्रियों की मदद करना जिस के रास्ते का खाना-पीना ख़त्म हो चुका हो, उसे ज़कात में से इतना माल दिया जाये जो उस के लिए घर पहुँचने तक काफ़ी हो।

७. ज़कात अदा करने से अल्लाह तआला की इताअत और उस के आदेशों का पालन (पैरवी) और उसकी मख़लूकों पर एहसान करने से माल पाक हो जाता है और माल बढ़ता है और हर तरह की आपदाओं से सुरक्षित (महफ़ूज़) रहता है।

ये कुछ ऊँचे दर्जे के उद्देश्य और महान मक़सद हैं जिन के तहत सदक़ा और ज़कात देने का हुक्म दिया गया है। इस के अलावा भी

अनगिनत उद्देश्य हैं क्योंकि शरीअत की गुत्थियों और उस के कारणों और उद्देश्यों को केवल अल्लाह ही हल कर सकता है।

माल की ऐसी क़िस्में जिन में ज़कात फ़र्ज़ है :

चार क़िस्म की चीज़ों में ज़कात निकालना फ़र्ज़ है।

१. ज़मीन से पैदा होने वाले अनाज और फ़ल आदि जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾

"ऐ ईमानवालो! अपने कमाये हुए पक़ीज़ा माल से ख़र्च करो और जो हम ने तुम्हारे लिए ज़मीन से (अनाज़) निकाला उस में से भी ख़र्च करो और ख़र्च करते हुए ऐसा घटिया और रद्दी माल निकालने का इरादा न करो जो अगर तुम्हें वसूल करना हो तो दिल से न चाहते हुए भी क़ुबूल करो।" (अल बक़र: २६७)

और अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.

"और उस (फ़सल) का हक़ कटाई के समय ही अदा करो।" (अल-अंआम : १४१)

और माल का सर्वश्रेष्ठ (सब से बेहतर) हक़ ज़कात है, जैसाकि नबी अकरम ﷺ ने फ़रमाया :

«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» [رواه البخاري].

"जो फ़सल वर्षा (बारिश) या झरनों के पानी से सींची जाये, उस में फ़सल का दसवाँ हिस्सा ज़कात निकाली जायेगी, जबकि जिस फ़सल को ख़ुद पानी पटाया जाये उस में फ़सल का बीसवाँ हिस्सा ज़कात निकाली जायेगी।" (बुख़ारी)

२. सोना चाँदी और नक़दी आदि में ज़कात फ़र्ज़ है जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

"और वे लोग जो सोना चाँदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की ख़ुशख़बरी सुना दो।" (अत्तौबा-३४)

और सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह ﷺ से रिवायत है कि नबी अकरम ﷺ ने फ़रमाया :

«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ»

"जो भी सोने और चाँदी का मालिक उस की ज़कात नहीं निकालता क़ियामत के दिन उस के लिए जहन्नम की आग से सलाखें तैयार की जायेंगी और उनको जहन्नम की आग से गर्म किया जायेगा और उसको दाग़ा जायेगा, और जब वह सलाख़ें ठण्डी होंगी उन्हें दोबारा गर्म किया जायेगा यह उस एक दिन

में होगा जो पचास हज़ार साल के बराबर होगा यहाँ तक कि बन्दों का हिसाब न कर दिया जाये।"

३. व्यापार का माल :

इस से अभिप्राय (मुराद) ज़मीन, जानवर, सामान, खाद्य सामग्री और गाड़ी जैसी हर वह चीज़ जो व्यापार के उद्देश्य (मक़सद) से तैयार की जाये, इसलिए हर साल के ख़त्म होने पर उसका मालिक उस माल के मूल्य का अनुमान लगाये और उस अनुमानित मूल्य का ढ़ाई प्रतिशत ज़कात निकाले, चाहे यह राशि उस के ख़रीद मूल्य के बराबर हो या उस से कम या ज़्यादा हो। उसी तरह जनरल स्टोर, मोटर हाउस और स्पेयर पार्टस आदि के मालिकों को चाहिए कि वह अपनी दुकानों में मौजूद सामानों की हर छोटी-बड़ी चीज़ की गिनती करे और नामुमकिन हो तो एहतियात के साथ इस तरह से ज़कात निकाले जिस से वे ज़िम्मे से बच सके।

४. जानवर और मवेशी :

जिस में ऊँट, गाय, बकरी और मेढ़ा शामिल हैं। शर्त यह है कि (अ) वे जावनर चरागाहों में चरने वाले हों, (ब) दूध या गोश्त के लिए तैयार किये गये हों, (स) ज़कात के निसाब की हद तक जा पहुँचे।

चरने वाले जानवरों से मुराद वे जानवर हैं जो पूरा साल या साल के ज़्यादातर हिस्सों में चरागाहों की घास-फूस पर गुज़र-बसर करते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं यानी उन्हें ज़्यादातर दिनों में चारा मुहय्या करना पड़ता हो तो फिर केवल उस समय उन में ज़कात फ़र्ज़ होगी जब वे व्यापारिक उद्देश्य (तिजारती मक़सद) से तैयार किये जायें। इसलिए अगर ख़रीद व फ़रोख़्त के लिए तैयार किये गये हों तो उन

के व्यापार का माल होने के लिहाज़ से ज़कात निकाली जायेगी चाहे वे चरागाहों में चरने वाले हों या खुद चारा मुहैय्या करके पाले जायें।

ज़कात के निसाब की मात्रा (तादाद) :

१. अनाज और फल

उसका निसाब पाँच वसक़ है जो कि ७५० किलोग्राम अच्छे गेहूँ के बराबर है, इसलिए अगर अनाज या फल ७५० किलोग्राम तक पहुँच जायें तो अगर वह फ़सल नहरों या वर्षा के पानी से सींची गयी हो तो उस में से दसवाँ हिस्सा और और वह फ़सल मेहनत और परिश्रम से सींची गई हो तो उस में से २०वाँ भाग ज़कात निकाली जायेगी।

२. नक़दी और क़ीमती धातु आदि :

(अ) सोने के निसाब: बीस दीनार है जोकि ८७ ग्राम के बराबर है, इसलिए अगर सोने का वज़न सत्तासी ग्राम या उस से ज़्यादा हो तो उस की ढ़ाई प्रतिशत ज़कात निकालनी होगी।

(ब) चाँदी का निसाब : पाँच अवाक़ है जो कि ५९५ ग्राम के बराबर है, अगर चाँदी ५९५ ग्राम या उस से ज़्यादा हो तो उस में से भी ढ़ाई प्रतिशत ज़कात निकालनी होगी।

(स) क्रेंसी आदि : अगर सोने या चाँदी के निसाब के बराबर या उस से ज़्यादा हो तो उस में भी ढ़ाई प्रतिशत निकालनी होगी।

३. व्यापार का माल :

उस के मूल्य का अंदाज़ा लगाया जाये, इसलिए अगर सोने या चाँदी के निसाब के बराबर या उस से ज़्यादा हो तो उस से भी ढ़ाई प्रतिशत ज़कात निकाली जायेगी।

४. मवेशी :

(अ) ऊँट: ऊंटों का कम से कम निसाब ५ ऊंट है जिस के लिए एक बकरी ज़कात में निकाली जायेगी।

(ब) गाय: गाय का कम से कम निसाब तीस गाय है जिसके लिए एक साल का गाय का बछड़ा ज़कात के तौर पर निकाला जायेगा।

(स) बकरी: बकरी का कम से कम निसाब चालीस बकरियाँ हैं जिन में से एक बकरी ज़कात निकाली जायेगी।

और ज़्यादा जानकारी के लिए हदीस और फ़िक़: की किताबों में देखिये।

ज़कात फ़र्ज़ होने की शर्तें :

किसी इंसान पर ज़कात उस समय फ़र्ज होती है जब निम्नलिखित शर्तें पायी जायें :

१. इस्लाम में काफ़िर और मुशरिक पर ज़कात फ़र्ज नहीं और न ही उस से क़ुबूल होती है।

२. सम्पूर्ण (पूरा) मालिकाना अधिकार : यानी जिस माल से ज़कात निकाली जाये उस पर पूरा-पूरा मालिकाना अधिकार हो, उसे जैसे चाहे इस्तेमाल में लाये अन्यथा कम से कम उस के हासिल करने का सामर्थ्य (ताक़त) रखता हो।

३. माल ज़कात के निसाब तक पहुँच जाये: यानी माल इतना हो जो शरीअत द्वारा तय की गयी मात्रा (तादाद) या उस से ज़्यादा हो, और यह माल अलग-अलग माल पर अलग-अलग है, जैसाकि पहले ही बयान किया जा चुका है कि कुछ मालों का अंदाज़ा लगाकर और बाकी चीज़ों में निम्न मात्राओं पर ज़कात है।

४. साल बीत जाना: वह यह कि निसाब की सीमा तक माल मिलकियत में आये हुए साल पूरा हो चुका हो, लेकिन ज़मीन से पैदा होने वाली चीज़ों की ज़कात उसकी कटाई के समय निकाली जायेगी। इसी तरह चरागाहों में पलने वाले जानवरों की पैदावार और व्यापार के माल से मिलने वाले मुनाफ़े पर ज़कात साल पूरा होने पर उन के असल के साथ निकाली जायेगी।

५. संप्रभुता: क्योंकि किसी ग़ुलाम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं और वह इसलिए कि ग़ुलाम किसी चीज़ की मिलकियत रखने का हक़ नहीं रखता बल्कि उसका माल उसके मालिक की मिलकियत होता है।

वे लोग जो ज़कात के मुस्तहक़ हैं :

ज़कात के मुस्तहक़ लोगों को अल्लाह तआला ने खुद तय कर दिया है। इसलिए फ़रमाते हैं :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"ज़कात के मुस्तहक़ लोग केवल वे हैं, जो फ़क़ीर, मिस्कीन और ज़कात पर काम करने वाले हों और जिन का दिल रखना मक़सूद हो और ग़ुलाम आज़ाद कराने, क़र्ज़दार, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले और मुसाफ़िर, यही अल्लाह की ओर से किया गया फ़रीज़ा है और अल्लाह तआला खूब जानता और बुद्धिमान (अक़्लमंद) है।" (अत्तौबः-६०)

अल्लाह तआला ने इस आयत में आठ क़िस्म के जिन लोगों पर ज़कात ख़र्च करने का हुक्म दिया है वह निम्नलिखित हैं :

१. **फ़क़ीरः** इस से अभिप्राय (मुराद) वह इंसान है जो अपनी ज़रूरतों का आधा या उस से भी कम का मालिक हो और फ़क़ीर मिस्कीन की तुलना में अधिक ज़रूरतमन्द है जैसाकि अल्लाह तआला ने क़ुरआन करीम में फ़रमाया :

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾

"जबकि कश्ती (नाव) ऐसे मिस्कीनों की थी जो समुद्र में काम करते थे।" (अल-कहफ़-७९)

इसलिए अल्लाह तआला ने उन लोगों को नाव का मालिक होने के बावजूद मिस्कीन का नाम दिया है।

२. **मिस्कीन :** ऐसा मुहताज जो फ़क़ीर की तुलना में बेहतर हालत में हो जैसेकि किसी को दस रूपये की ज़रूरत हो, उसके पास केवल सात या आठ रूपया हो, फ़क़ीर और मिस्कीन को इतनी ज़कात देनी चाहिए जो उन की साल भर की ज़रूरतों के लिए काफ़ी हो, क्योंकि ज़कात साल में केवल एक बार अदा करनी होती है, इसलिए मुहताज अपनी साल भर की ज़रूरतों के अनुसार ज़कात ले सकता है, काफ़ी होने से मुराद खाने, पीने, पहनने और रहने-सहने की वह ज़रूरतें उपलब्ध (मुहय्या) कराना है जिन के बिना गुज़ारा न हो सके, इसलिए दी जाने वाली ज़कात इतनी हो कि उस के फ़ुज़ूल ख़र्ची या तंगदस्ती से काम लिए बिना ज़कात वाले की हैसियत के मुताबिक़ उस की और उस के परिजनों की ज़रूरतें पूरी हो सकें, और ये ऐसी चीज़ें है जो समय, आबादी और व्यक्ति के लिहाज से बदलती रहती हैं, इसलिए जो माल एक जगह के लिए एक साल के लिए काफ़ी है वह दूसरी जगह के लिहाज़ से नाकाफ़ी हो सकता है। इस तरह जो राशि दस साल

पहले काफ़ी समझी जाती थी वह आज के दौर में नाकाफ़ी हो सकती है, इस तरह जो चीज़ एक इंसान के लिए पर्याप्त (काफ़ी) हो वह दूसरे इंसान के लिए उस के बाल-बच्चों या ख़र्चा आदि के अधिक होने की वजह से नाकाफ़ी हो सकती है। बीमार का इलाज, क़ुँवारे का विवाह और आवश्यकतानुसार इल्मी पुस्तकें भी इस में शामिल हैं, ज़कात पाने वाले उन फ़क़ीरों और मिस्कीनों के लिए यह शर्त है कि :

वह मुसलमान हो, इसलिए नमाज़ न पढ़ने वाले, क़ब्र परस्त, ग़ैर अल्लाह को पुकारने वाले और मज़ारों पर नज़र व नियाज़ चढ़ाने वाले मुशरिक लोगों को ज़कात देना जायेज़ नहीं क्योंकि क़ुरआन और हदीस की रोशनी में ऐसे लोग काफ़िर हैं, और वह बनी हाशिम और उन के ग़ुलामों में से न हों और न उन लोगों में से हों जिनका ख़र्च ज़कात देने वाले पर हो, जैसे माता-पिता, सन्तान और पत्नियाँ आदि, और न ही वे स्वस्थ और रोज़गार से लगे हुए लोगों में से हों क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

((لا حظّ لِغَنِيٍّ وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ))

"ज़कात में किसी मालदार या ताक़तवर बारोज़गार का कोई हक़ नहीं।" (अहमद, अबू दाऊद, नसाई)

३. ज़कात इकट्ठी करने वाले :

ये वे लोग हैं जिन्हें हाकिम या उनका सहयोगी ज़कात इकट्ठी करने, उस की सुरक्षा करने और उसे बाँटने की ज़िम्मेदारी सौंपता है। जिस में ज़कात वसूल करने, उसकी रखवाली करने, उसका हिसाब-किताब करने, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उसे बाँटने के

कामों में शामिल लोग हैं, ज़कात का आमिल अगर मुसलमान, बालिग़, अमानतदार और फ़र्ज पहचानने वाला है तो उसे उस के काम के मुताबिक़ ज़कात दी जायेगी चाहे वह मालदार ही क्यों न हो, लेकिन अगर वह बनी हाशिम में से है तो फिर उसे ज़कात देना जायज़ नहीं। जैसाकि अब्दुल मुत्तलिब बिन रबीआ की हदीस है कि आप ﷺ ने फ़रमाया :

((إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغي لآلِ مُحَمَّدٍ))

"बेशक सदक़ा (ज़कात) मुहम्मद ﷺ और उनकी सन्तानों (औलादों) के लिए हलाल नहीं।" (मुस्लिम, सही)

४. दिल रखने के लिए :

इस से मुराद वे लोग हैं जो अपने क़बीलों के हाकिम हों और उन के इस्लाम लाने की उम्मीद हो। (इसलिए उसे इस्लाम के क़रीब लाने के लिए ज़कात में से कुछ दिया जा सकता है) या उस के ईमान को और ताक़त देने या उसकी वजह से दूसरे लोगों का इस्लाम क़ुबूल करना मक़सूद हो या कम से कम उसकी दुष्टता से मुसलमानों को सुरक्षित (महफ़ूज़) रखना हो तब भी उन्हें ज़कात दी जा सकती है और ऐसे लोगों का ज़कात में हिस्सा मंसूख़ नहीं हुआ बल्कि यह हिस्सा बाक़ी है और उन्हें ज़कात में से इतना माल दिया जा सकता है जिस से उन के दिल को रखा जाये और इस्लाम की नुसरत और हिफ़ाज़त हो सके। इसलिए ज़कात का यह माल काफ़िरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है जैसाकि नबी अकरम ﷺ ने हुनैन की जंग से मिलने वाले ग़नीमत के माल में से सफ़वान बिन उमैय्या को कुछ हिस्सा दिया। (मुस्लिम)

इसी तरह यह मद मुसलमानों के लिए भी लगाया जा सकता है

जैसाकि नबी अकरम ﷺ ने अबू सुफ़ियान बिन हरब, अक़राअ बिन हाबिस और उयैना बिन हिस्न को सौ-सौ ऊँट दिये। (मुस्लिम)

५. गर्दनें आज़ाद करने के लिए :

जिस में ग़ुलाम आज़ाद करना, मुकातिब (ऐसा ग़ुलाम जो अपने आप को अपने आक़ा से कुछ माल के बदले आज़ाद करवाना चाहता हो) की मदद करना और दुश्मन की क़ैद से जंगी कैदियों को रिहा कराना शामिल है, क्योंकि यह अमल किसी क़र्ज़दार का क़र्ज़ उतारने के समान या उस से भी बढ़ कर है क्योंकि ऐसे कैदी के मुर्तिद हो जाने या उसकी हत्या किये जाने का ख़तरा होता है।

६. क़र्ज़ लेने वाले :

ऐसे क़र्ज़दारों के लिए जिन्होंने क़र्ज़ लिया हो और उसे वापस करना हो लेकिन क़र्ज़ उतारने के लिए उन के पास साधन (ज़रिया) न हो तो ज़कात दी जा सकती है।

क़र्ज़ की दो क़िस्में हैं :

(अ) कोई इंसान अपनी जायेज़ ज़रूरत के लिए जैसे कपड़ों की ज़रूरतें, शादी, इलाज, मकान बनाने, ज़रूरी घरेलू सामानों की ख़रीदारी के लिए या किसी दूसरे इंसान का नुकसान कर देने की वजह से वह क़र्ज़दार हो चुका हो अतएव अगर वह क़र्ज़दार फ़क़ीर है और उस के पास क़र्ज़ उतारने का सामर्थ्य (ताक़त) नहीं है तो उसे ज़कात में से इतना माल दिया जा सकता है जिस से उसका क़र्ज़ अदा हो जाये, लेकिन शर्त यह है कि वह मुसलमान हो और उस ने क़र्ज़ किसी हराम काम के लिए न लिया हो और न ही उसे क़र्ज़ तुरन्त अदा करना हो, और यह कि वह किसी ऐसे इंसान का क़र्ज़दार हो जो

उस से माँग कर रहा हो और उसका क़र्ज कफ़्फ़ारा या ज़कात आदि जैसे अल्लाह के हक़ से सम्बन्धित न हो।

(ब) क़र्ज की दूसरी क़िस्म यह है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे के लाभ के लिए क़र्ज ले तो उसे भी ज़कात दी जा सकती है ताकि वह अपना क़र्ज उतार सके, जिसकी दलील हज़रत क़बीसा अल-हिलाली की हदीस है, फ़रमाते हैं : मैंने किसी की ज़मानत ले ली और अल्लाह के रसूल ﷺ के पास आया ताकि उन से मदद हासिल कर सकूँ, तो मुझे फ़रमाया कि उस समय तक इंतेज़ार करो जब तक सदक़ा और ख़ैरात का माल आ जाये तो हम तुम्हें उस में से दिलवा देंगे। फिर आप ﷺ ने फ़रमाया कि तीन तरह के आदमियों के सिवा किसी के लिए सवाल करना जायेज़ नहीं, एक वह इंसान जिस ने किसी की ज़मानत ली हो, उस के लिए उस समय तक सवाल करना जायेज़ है जब तक वह अपनी ज़मानत पूरी नहीं कर देता, उस के बाद माँगना बन्द कर दे। दूसरा वह इंसान जिसे कोई ऐसी आफ़त आ पहुँची हो जिस से उस की धन-सम्पत्ति नष्ट हो गयी हो, तो उस के लिए भी उस समय तक सवाल करना जायेज़ है जब तक उसे रोज़ी मिल नहीं जाती। और तीसरा वह इंसान जिसको भूख से मरने की नौबत आ जाये, यहाँ तक कि उस की क़ौम के तीन बुद्धिमान (अक़्लमंद) व्यक्ति इस बात की गवाही दें कि अमुक इंसान की भूख से मरने की नौबत है, इसलिए उस के लिए माँगना सही है यहाँ तक कि उसे इतना मिल जाये जिस से उसकी ज़रूरत पूरी हो जाये। ऐ लोगो, इन तीन सूरतों के अलावा सवाल करना हराम है और ऐसा सवाल करने वाला हराम खाता है। (मुस्लिम)

उसी तरह किसी मरे हुए इंसान का क़र्ज भी अदा किया जा सकता है

क्योंकि क़र्ज़दार का क़र्ज़ उतारने के लिए उसे दी जाने वाली ज़कात उसके हवाले करना ज़रूरी नहीं क्योंकि अल्लाह तआला ने क़र्ज़दार का ज़कात में हिस्सा रखा है न कि उसे ज़कात का मालिक क़रार दिया है।

७. अल्लाह के रास्ते में :

यानी ऐसे लोगों के लिए जो ख़ुद जिहाद कर रहे हों और सरकार की ओर से उन के लिए कोई सेवा-राशि तय न हो, सीमाओं की रक्षा करने वाले भी ऐसे ही हैं जैसेकि युद्ध भूमि (मैदाने जंग) में लड़ने वाले हों, ज़कात के उस मद में फ़क़ीर और मालदार सभी शामिल हैं, लेकिन उस में बचे खुचे जन-कल्याण के काम शामिल नहीं हो सकते, अन्यथा आयत मुबारक में बाक़ी कामों का इस तरह उल्लेख करना उचित न था, क्योंकि उपरोक्त चीज़ों की गिनती भी जन-कल्याण के कामों में आती है।

अल्लाह के रास्ते में जिहाद का मार्ग बहुत व्यापक है, इस में लोगों के वैचारिक प्रशिक्षण, दुष्टों की दुष्टता की रोक थाम, गुमराह करने वालों द्वारा उत्पन्न सन्देहों की रोकथाम और बातिल दीनों को रद्द करना शामिल है। इस के अलावा अच्छी लाभप्रद इस्लामी किताबों के दावत-तबलीग़ और नसरानियों और दुनियादारों के ख़िलाफ़ काम करने के लिए मुख़लिस और अमीन लोगों की कोशिशों को काम में लाना भी शामिल है, जैसेकि अबूदाऊद में सही प्रमाणों से उल्लिखित हदीस है कि मुशरिकों से अपने माल, जान और ज़ुबान से जिहाद करो।

८. मुसाफ़िर:

यहाँ मुराद ऐसे यात्री हैं जो अपनी किसी जायेज़ ज़रूरत के लिए एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरित होते हैं और उन के रास्ते का

सामान ख़त्म हो जाने पर कहीं से क़र्ज आदि भी हासिल नहीं कर सकते तो उन्हें ज़कात में से इतना माल दिया जा सकता है जो उन के घर पहुँचने तक काफ़ी हो, अगर ऐसा यात्री किसी जगह कहीं ठहरता है तो भी उसे ज़कात दी जा सकती है।

ज़कात बांटते समय उन आठ किस्मों को शामिल करना ज़रूरी नहीं बल्कि हाजत और ज़रूरत के तहत हुक्मराँ और उसका सहयोगी या ज़कात देने वाला अपने विवेक से काम लेते हुए उन में से कुछ मदों पर ही ख़र्च कर सकता है।

जिन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती :

निम्नलिखित लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती।

१. ऐसे लोग जो मालदार, स्वस्थ, शक्तिशाली और रोज़गार से लगे हुए हों।

२. ज़कात देने वाले के माता-पिता और उसकी पत्नी और जिन के ख़र्चे का वह ज़िम्मेदार हो।

३. ग़ैर मुस्लिम जिन में बेनमाज़ी, मुशरिक और बेदीन सभी शामिल हैं।

४. नबी अकरम ﷺ के परिवार को। (यानी बनी हाशिम को)

अगर ज़कात देने वाले के माता-पिता और बाल-बच्चे फ़क़ीर हों और किसी वजह से उन पर ख़र्च न कर सकता हो तो उस हालत में उस पर ऐसे लोगों का ख़र्चा वाजिब न होने के कारण वह उन्हें ज़कात दे सकता है।

जबकि माता-पिता और बीवी बच्चों के अलावा सभी सगे-सम्बन्धियों

को ज़कात दी जा सकती है। इस तरह अगर बनू हाशिम ग़नीमत का माल और फ़ई का पाँचवा हिस्सा वसूल न कर पाते हों तो ज़रूरत को देखते हुए उन्हें भी ज़कात दी जा सकती है।

ज़कात अदा करने के फ़ायदे :

१. अल्लाह और रसूल के आदेशों का पालन और अल्लाह और उस के रसूल की मुहब्बत को नफ़्स पर या माल की मुहब्बत पर तरजीह (वरीयता) देना।

२. मामूली अमल के मुक़ाबले में उस से कई गुना अधिक सवाब का मिलना। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

"वे लोग जो अपना माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं उन के इस ख़र्चा की मिसाल उस दाने की है जिस से सात बालियाँ उगीं, हर बाली में सौ दाने हों, अल्लाह तआला जिसे चाहते हैं कई गुना बढ़ा देते हैं।" (अल-बक़र:-२६१)

३. सदक़ा और ज़कात ईमान की दलील और उसका सबूत है जैसा कि आप ﷺ ने फ़रमाया :

((الصَّدَقَةُ بُرهَانٌ)) [رواه مسلم].

"सदक़ा (ईमान का) सबूत है।" (मुस्लिम)

४. गुनाह और बुरे अख़्लाक़ से बचने का कारण। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾

"उन के माल से सदक़ा वसूल कर के उन्हें (गुनाहों से) पाक व साफ़ करो |" (अत्तौब:-१०३)

५. माल में ख़ैर और बरकत पैदा होती है और नुक्सानों से सुरक्षित (महफ़ूज़) हो जाता है | अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

((مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ)) [رواه مسلم].

"सदक़ा करने से कभी माल कम नहीं होता |" (मुस्लिम)

और अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾

"और जो चीज़ भी तुम अल्लाह के राह में ख़र्च करते हो तो अल्लाह तआला उसका बदला अता कर देते हैं, और वही बेहतरीन रोज़ी देने वाले हैं |" (सबा-३९)

६. सदक़ा करने वाला क़ियामत के दिन अपने सदक़े के कारण अर्श इलाही के साये में रहेगा | अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

((وَرَجلٌ تَصدَّقَ بِصَدَقةٍ فَأَخفَاهَا حَتَّى لاَ تَعلمَ شِمَالُهُ مَـا تُنْفقُ يَمِينُهُ))

[متفق عليه].

"(क़ियामत के दिन जब किसी चीज़ का साया नहीं होगा उस दिन सात तरह के लोगों को अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा |) उन में एक वह इंसान भी है जिस ने इस तरह से छुपाकर सदक़ा दिया कि उस के बायें हाथ को मालूम नहीं कि उस के दायें हाथ ने सदक़ा किया है |" (बुख़ारी, मुस्लिम)

७. सदक़ा अल्लाह की रहमत की वजह बनता है। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾

"और मेरी रहमत हर चीज़ से व्यापक है जिसे मैं ऐसे लोगों का मुक़द्दर बनाऊँगा जो मुझ से डरते हों और ज़कात अदा करते हों।" (अल-आराफ़ : १५६)

ज़कात न देने वालों को सज़ा :

ज़कात न देना बहुत बड़ा गुनाह है और ज़कात से मना करने वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब की चेतावनी है।

१. अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ○ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

"उन लोगों को दर्दनाक अज़ाब की ख़बर दे दो जो सोना और चाँदी जमा कर के रखते हैं और उसे अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते, एक दिन आयेगा कि उसी सोने चाँदी पर जहन्नम की आग दहकायी जायेगी और फिर उसी से उन लोगों की पेशानियों, पहलुओं और पीठों को दागा जायेगा और कहा जायेगा, यही वह ख़ज़ाना है जो तुम ने अपने लिये जमा किया था, लो अब अपनी जमा की हुई दौलत का मज़ा चखो।" (अत्तौबः -३४,३५)

२. मुसनद अहमद और सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह ﷺ से रिवायत कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

«مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحُ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»

"जो दौलतमन्द इंसान अपनी दौलत की ज़कात नहीं निकालता तो क़ियामत के दिन उसकी उसी दौलत की तख़्तियाँ बनाकर जहन्नम की आग में गर्म की जायेंगी, फिर उन से उस के पहलू, पेशानी और पीठ को दागा जायेगा। यह ऐसे दिन में होगा जो पचास हज़ार साल के बराबर होगा, यहाँ तक कि अल्लाह तआला बन्दों का हिसाब कर लें उस के बाद उसे जन्नत या जहन्नम का रास्ता दिखाया जायेगा।"

३. हज़रत अबू हुरैरह ﷺ से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

«مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ (يَعْنِي شِدْقَيْهِ) ثُمَّ يَقُولُ: "أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ»

"जिस को अल्लाह तआला ने माल दिया हो और उसकी उस ने ज़कात अदा न की हो तो क़ियामत के दिन उसका माल गंजे साँप की शक्ल में जिसकी आँखों में दो बिन्दू होंगे, उस के गले

का तौक़ बन जायेगा, फिर उसकी दोनों बाछें पकड़ कर कहेगा, मैं तेरा माल हूँ मैं तेरा ख़जाना हूँ।" (बुख़ारी)

फिर अल्लाह के रसूल ﷺ ने इस आयत की तिलावत की।

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

"जिन लोगों को अल्लाह ने अपनी कृपा (रहमत) से माल दिया है वह उस में कंजूसी (और बुख़ालत) से काम लेते हैं तो अपने लिये यह बुख़्ल बेहतर न समझें बल्कि यह उन के हक़ में बहुत बुरा है, बहुत जल्द क़ियामत के दिन उनका यह माल जिस में बुख़्ल (कंजूसी) करते हैं, उन के गले का तौक़ बनाया जायेगा।" (आले-इमरान : १८०)

४. उसी तरह आप ﷺ ने फ़रमाया :

«وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ».

"जो भी ऊँट, गाय या बकरियों का मालिक अपने उन जानवरों की ज़कात नहीं निकालता वह जब क़ियामत के दिन (अल्लाह तआला के यहाँ) आयेगा तो उस के ये जानवर बहुत बड़े और मोटे हो चुके होंगे, उसे अपने सींगों से मारेंगे और अपने (पाँव) से रौंदेंगे, जब सब जानवर उस के ऊपर से गुज़र जायेंगे तो

दोबारा फिर पहले वाले जानवर आ जायेंगे, यह उस दिन होगा जो पचास हज़ार साल के बराबर होगा, यहाँ तक कि लोगों का हिसाब पूरा हो जायेगा।" (मुस्लिम)

ज़रूरी बातें :

१. ज़कात के आठ मदों में से किसी एक मद में भी ज़कात दे देना काफ़ी है और बाक़ी मदों में बाँटना ज़रूरी नहीं।

२. क़र्ज़दार को इतनी ज़कात दी जा सकती है जिस से उसका सभी क़र्ज़ या उसका कुछ हिस्सा अदा हो जाये।

३. ज़कात किसी काफ़िर या मुर्तिद को देना जायेज़ नहीं, जैसाकि बेनमाज़ी है क्योंकि वह क़ुरआन और हदीस की रू से काफ़िर है, लेकिन अगर उसे इस शर्त पर ज़कात दी जाये कि वह नमाज़ की पाबन्दी करेगा तो इस हालत में जायेज़ है।

४. ज़कात किसी मालदार को देना जायेज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया कि उस में किसी मालदार या शक्तिशाली या रोज़गार से लगे हुए लोगों का कोई हक़ नहीं। (अबू दाऊद)

५. कोई इंसान ऐसे लोगों को ज़कात नहीं दे सकता जिन के ख़र्चे उठाना उस पर वाजिब (अनिवार्य) हो, जैसे माता-पिता और बीवी बाल-बच्चे।

६. अगर किसी महिला का पति फ़क़ीर हो तो वह उसे ज़कात दे सकती है। जैसे हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ की पत्नी ने अपने पति हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) को ज़कात दी तो नबी अकरम ﷺ ने उन को ऐसा करने पर बरक़रार रखा।

७. बिना ज़रूरत एक मुल्क से दूसरे मुल्क ज़कात को स्थानान्तरित करना जायेज़ नहीं, लेकिन जिस देश से ज़कात देने वाले का ताल्लुक़ हो वहाँ कोई मुहताज न हो या दूसरे देशों में अकाल हो या मुजाहिदों की मदद करना हो तो इस तरह की मस्लिहतों को देखते स्थानान्तरित की जा सकती हैं।

८. अगर किसी इंसान का माल ज़कात के निसाब तक पहुँच जाये लेकिन वह ख़ुद किसी दूसरे देश में हो तो उसे उपरोक्त परिस्थितियों (हालतों) के सिवा उसी देश में ज़कात निकालनी चाहिए जिस में उसका माल है।

९. फ़क़ीर को इतनी ज़कात दी जा सकती है जो उसे कई महीनों या एक साल तक के लिए काफ़ी हो।

१०. माल अगर सोना, चाँदी, नक़दी, ज़ेवरात या किसी भी दूसरी शक्ल में है उस में हर हालत में ज़कात फ़र्ज़ है, क्योंकि उसकी फ़रज़ियत में आने वाली दलीलें सामान्य (आम) और बिना तफ़सील के आयी हैं, हालाँकि कुछ आलिम फ़रमाते हैं कि पहने जाने वाले ज़ेवरों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन पहला क़ौल बेहतर है और एहतियात भी उसी पर अमल करने में है।

११. इंसान ने जो कुछ अपनी ज़रूरतों के लिए तैयार किया हो जैसाकि खाने-पीने के सामान, मकान, जानवर, गाड़ी और कपड़े वग़ैरह। ऐसी चीज़ों में ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती जैसाकि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "किसी मुसलमान पर उस के ग़ुलाम या घोड़े में ज़कात वाजिब नहीं।" (बुख़ारी व मुस्लिम)

लेकिन जैसे पहले कहा जा चुका है कि सोने और चाँदी के ज़ेवरात इस हुक्म में नहीं आते।

१२.किराये पर दिये जाने वाले मकान, और गाड़ियों के किराये की रक़म पर अगर साल बीत चुका हो तो उस पर भी ज़कात निकालना होगी चाहे वह राशि खुद ही इतनी हो कि ज़कात के निसाब को पहुँच जाये या दूसरा माल साथ मिलाने से पहुँचे। (ज़कात के ये मसले शेख अब्दुल्लाह बिन अल क़ुसय्यर के रिसाले से मामूली बदलाव के साथ लिये गये हैं)

रोज़ा और उसके फ़ायदे

रोज़ा एक अज़ीम (श्रेष्ठ) इबादत है, जिसकी फज़ीलत और अहमियत (महत्व) निम्नलिखित कथनों से स्पष्ट (वाज़ेह) होती है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"ऐ ईमानवालो ! तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किये गये हैं जैसाकि तुम से पहले लोगों पर फ़र्ज़ किये गये थे ताकि तुम परहेज़गार बन सको।" (अल-बक़र:-१८३)

१. अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

((الصِّيَامُ جُنَّةٌ)) [متفق عليه].

"रोज़ा (आग) से ढाल है।" (बुख़ारी)

२. आप ﷺ ने फ़रमाया :

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقدَّم من ذَنْبِهِ)) [متفق عليه].

"जो इंसान रमज़ान के रोज़े ईमान रखते हुए और अज्र और सवाब के लिए रखता है उस के पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।" (बुख़ारी व मुस्लिम)

३. आप ने फ़रमाया :

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ))

"जो व्यक्ति रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के महीने में ६ रोज़े रखता हो वह ऐसे हैं जैसे उस ने पूरे साल के रोज़े रखे हों।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

४. आप ने फ़रमाया :

((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

"जिस इंसान ने रमज़ान (की रातों) में ईमान रखते हुए और अज्र और सवाब हासिल करने के लिए क़ियाम किया (यानी तरावीह पढ़ी) उसके सभी पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

मुस्लिम भाईयो ! आप को मालूम होना चाहिए कि रोज़ा बहुत से फ़ायदों पर आधारित इबादत है।

१. रोज़ा रखने से हज़म के निज़ाम और आँतों को लगातार काम करने से कुछ आराम मिलता है और बेकार माद्दे ख़त्म हो जाते हैं, शरीर शक्तिशाली होता है और बहुत सी दूसरी बीमारियों का इलाज हो जाता है, इस के अलावा सिगरेट पीने वालों को सिगरेट से बाज़ रखता है और सिगरेट से छुटकारे में मदद मिलती है।

२. रोज़ा से इंसान के नफ़्स में सुधार होता है और उस से इताअत और सब्र व तक़्वा (धैर्य व संयम) की आदत पैदा होती है।

३. रोज़ेदार का अपने दूसरे रोज़ेदार भाईयों से बराबरी का एहसास पैदा होता है, इसलिए जब वह उन के साथ मिलकर ही रोज़ा रखता और इफ़्तार करता है तो इस्लामी एकता का ख़्याल पैदा होता है और जब उसे भूख लगती है तो उसे भूखे और मुहताज भाईयों की मदद करने का एहसास पैदा होता है।

रमज़ान के महीने में आप के कर्तव्य :

मुस्लिम भाईयो ! आप को मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तआला ने हमारे ऊपर रोज़ा अपनी इबादत के लिए फ़र्ज़ किया है, जिसे स्वीकार्य (क़ुबूल) और लाभदायक (फ़ायदेमंद) बनाने के लिए निम्नलिखित अमल को अपनाना चाहिए।

१. नमाज़ों की पाबन्दी करनी चाहिए क्योंकि बहुत से रोज़ादार नमाज़ पढ़ने से ग़फ़लत बरतते हैं, हालांकि वह दीन का सुतून है जिसे छोड़ने वाला काफ़िर है।

२. अच्छे अख़्लाक़ का प्रदर्शन (इज़हार) कीजिए और रोज़ा रखने के बाद कुफ्र और दीन को बुरा कहने और रोज़ा की वजह से लोगों से बदसलूकी करने से बचिए, क्योंकि रोज़ा बुरा मामला सिखाने के बदले इंसानी नफ़्स की इस्लाह करता है और कुफ्र मुसलमान को इस्लाम से ख़ारिज कर देता है।

३. हँसी मज़ाक़ करते हुए भी बेहूदा बातें न करें क्योंकि उस से रोज़ा बरबाद हो जाता है। अल्लाह के रसूल ﷺ फ़रमाते हैं :

((إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُم فَلا يَرفُثْ يَومَئِذٍ ولاَ يَصْخَبْ: فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أو قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ)) [متفق عليه].

"जब तुम में से कोई रोज़े की हालत में हो तो गाली-गलौच और बेहूदा बातें न करे यहाँ तक कि अगर कोई उस से झगड़ा करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ।" (बुख़ारी व मुस्लिम)

रोज़ा से लाभ उठाते हुए सिगरेट छोड़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि सिगरेट कैंसर और अलसर जैसी बीमारियों का सबब

बनती हैं, और आप को चाहिए कि अपने को साहसी (हिम्मती) और आत्मविश्वासी इंसान बनायें, इसलिए अपनी सेहत और माल की सुरक्षा करते हुए इफ़्तारी के बाद भी ऐसे ही सिगरेट पीने से बचे रहिए जैसे रोज़ा की हालत में थे।

५. रोज़ा इफ़्तार करते समय ज़्यादा खाना मत खाईये क्योंकि रोज़ा उस से बेसूद हो जाता है और सेहत के लिए हानिकारक है।

६. सिनेमा और टी॰ वी॰ देखना अख़्लाक़ बिगाड़ने वाली और रोज़ा को नकारने वाली चीज़ें हैं इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहिये।

७. रात को देर तक जाग कर सेहरी और फ़ज्र की नमाज़ को बरबाद न करें, और सुबह सवेरे अपने काम में व्यस्त (मशगूल) हो जायें। क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने दुआ की है कि :

((اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا)) [صحيح، رواه أحمد و الترمذي].

"अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के समय में बरकत पैदा फ़रमा दे।" (अहमद, तिर्मिज़ी, सही)

८. सगे-सम्बन्धियों और मुहताज लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ा व ख़ैरात करो और लड़ाई-झगड़ा करने वालों के बीच सुलह कराओ।

९. ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र, क़ुरआन करीम की तिलावत करने, कुरआन सुनने, उस के अर्थ पर विचार करने और उन पर अमल करने में अपना समय (वक़्त) गुज़ारें, किसी मस्जिद आदि (वग़ैरह) में अगर मुफ़ीद दर्स हो तो ऐसी इल्मी मजलिसों में बैठने की कोशिश करें जबकि रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में मस्जिदों के अन्दर एतिकाफ़ में बैठना सुन्नत है।

१०. आप को चाहिए कि रोज़ा के मसायेल जानने के लिए उस से संबन्धित किताबों को पढ़ें, आप को मालूम होगा कि भूल से खाने–पीने से रोज़ा नहीं टूटता, उसी तरह आप के लिए जुन्बी (सहवास के बाद) की हालत में सेहरी खाना और रोज़ा की नीयत करना जायेज़ है, लेकिन तहारत और नमाज़ के लिए जनाबत से स्नान (ग़ुस्ल) करना ज़रूरी होता है।

११. रमज़ान के रोज़ों की पाबन्दी करें और बिना कारण रोज़ा इफ़्तार न करें और जो इंसान जान–बूझ कर रोज़ा छोड़ देता है उसे उस दिन की क़ज़ा देनी होगी, और जो व्यक्ति रमज़ान में रोज़ा की हालत में पत्नी से सहवास कर लेता है तो उसे उसका कफ़्फ़ारा देना होगा, जो यह है कि वह एक ग़ुलाम आज़ाद करेगा अगर न मिल सके तो दो माह के लगातार रोज़े रखेगा, अगर इतनी भी ताक़त न हो तो फिर साठ मिस्कीनों को खाना खिलाये।

मुस्लिम भाईयो ! रमज़ान में खुले आम रोज़ाखोरी ऐसा गुनाह है जो अल्लाह के ख़िलाफ़ हिम्मत दिखाने, इस्लाम का मज़ाक़ उड़ाने और लोगों में बुराई और बेहयाई फैलाने के बराबर है। आप को मालूम होना चाहिए कि रोज़ाखोरों के लिए ईद नहीं है क्योंकि ईद खुशी का वह महान त्योहार है जो रोज़ा पूरे होने और इबादत क़ुबूल होने पर मनाया जाता है।

रोज़ा से सम्बन्धित हदीसें :

१. रमज़ान की फ़ज़ीलत में अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया है :

((إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ)).

وفي رواية: ((إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحتْ أَبوابُ الْجَنَّةِ)) [متفق عليه]. وفي رواية أخرى: ((فُتِّحتْ أَبْوابُ الرَّحْمَةِ)) [أخرجه البخاري ومسلم].

"जब रमज़ान शुरू होता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शैतान जकड़ दिये जाते हैं। एक रिवायत में है कि जब रमज़ान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं। और एक रिवायत में है कि रहमत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

२. और सुनन तिर्मिज़ी में आता है :

((وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِي الخَيْرِ هَلُمَّ وَأَقْبِلْ وَيَا بَاغِي الشَّرِّ أَقْصِر، وَلله عُتَقَاء مِنَ النَّارِ، وَذَلِك فِي كُل لَيْلَةٍ حَتَّى يَنقَضي رَمَضَانُ)) [حسنه الألباني في تخريج المشكاة].

"रमज़ान के मुबारक महीने में हर रात मुनादी आवाज़ लगाता है कि ऐ भलाई चाहने वाले नेकी और भलाई के लिए लपक आ, ऐ बुराई का इरादा करने वाले, बुराई करने से बाज़ आ जा, और उस के आख़िर तक अल्लाह तआला अपने (नेक) बन्दों को जहन्नम से आज़ाद करते रहते हैं।" (मिश्कात में अलबानी ने इसे हसन क़रार दिया है)

३. हदीस में आता है :

((كُلُّ عَمَلِ ابْن آدم يُضَاعَفُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: إِلاَّ الصَّومَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجزي بِهِ، يَدعُ

شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخلوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»

[متفق عليه].

"किसी नेक आदमी के हर नेक काम का सवाब दस गुना से सात सौ गुना तक बढ़ा दिया जाता है, लेकिन रोज़े के सवाब के बारे में अल्लाह तआला फ़रमाते हैं : रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अज्र दूँगा क्योंकि रोज़ादार अपनी इच्छाओं और खाना-पीना केवल मेरे लिए छोड़ता है। रोज़ेदार को दो ख़ुशियाँ हासिल होती हैं एक ख़ुशी रोज़ा इफ़्तार करते हुए, दूसरी ख़ुशी अपने रब से मुलाक़ात करते हुए, और रोज़ेदार के मुँह की दुर्गन्ध अल्लाह तआला के यहाँ मुश्क की सुगन्ध (ख़ुश्बू) से भी अधिक प्रिय है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

४. ज़ुबान की सुरक्षा के बारे में अल्लाह के रसूल ﷺ का कहना है :

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» [رواه البخاري].

"जो इंसान रोज़ा रखने के बावजूद झूठ बोलने और झूठ पर अमल करने से बाज़ नहीं आता तो ऐसे इंसान के खाना-पीना छोड़ने की अल्लाह को ज़रूरत नहीं।"

सेहरी और इफ़्तारी के आदाब :

१. अल्लाह के रसूल ﷺ फ़रमाते हैं :

«إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِن لَمْ يَجِدْ تَمْراً فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» [أخرجه الترمذي وقال محقق جامع الأصول: إسناده صحيح].

"जब कोई इफ़्तारी करना चाहे तो उसे ख़जूर से रोज़ा इफ़्तार करना चाहिए क्योंकि यह बरकत वाली चीज़ है, और अगर खजूर न मिले तो फिर पाकीज़ा पानी ही काफी है।" (तिर्मिज़ी मुहक्किक जामे उसूल के मुताबिक़ इस हदीस की सनद सही है)

२. अल्लाह के रसूल ﷺ का कहना है :

«تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» [متفق عليه].

"सेहरी किया करो क्योंकि सेहरी खाने में बरकत है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

३. और आप ﷺ ने फ़रमाया :

«لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطرَ» [متفق عليه].

"लोग उस समय तक बेहतरी और भलाई में हैं जब तक वे इफ़्तारी में जल्दी करते हैं।" (यानी सूरज के डूबते ही रोज़ा इफ़्तार कर लेते हैं) (बुख़ारी, मुस्लिम)

४. अल्लाह के रसूल ﷺ जब इफ़्तारी करते तो यह दुआ पढ़ते :

«اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وعَلَى رِزقِكَ أَفْطَرتُ، ذَهَبَ الظَّمأُ وابْتَلَّتِ العُروقُ، وثَبتَ الأجرُ إِنْ شَاءَ الله» [رواه أبو داود وحسنه محقق الأصول والألباني في المشكاة رقم ١٩٩٤].

"ऐ अल्लाह! मैंने तेरे लिए ही रोज़ा रखा और अब तेरे ही दिये हुए रिज़्क़ पर इफ़्तारी कर रहा हूँ, प्यास जाती रही, रगें तर हो गयीं और रोज़े का सवाब साबित हो गया।" (अबू दाऊद)

नबी अकरम ﷺ के रोज़े :

१. अल्लाह के रसूल ﷺ फ़रमाते हैं :

«ثَلَاثٌ من كُلِّ شَهرٍ ورَمضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهرِ كُلِّهِ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً ومُسْتَقبلةً وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاء يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً» [رواه مسلم وغيره].

"हर महीने में तीन दिन के और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना पूरे साल रोज़ों के बराबर है, और अरफ़ात के दिन (९ ज़िलहिज्जा) का रोज़ा रखने से अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि वह पिछले और एक अगले साल के गुनाह माफ़ कर देगा, और आशूरा के दिन (दस मुर्हरम) का रोज़ा रखने से पिछले एक साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं।" (मुस्लिम)

२. फिर आप ﷺ ने फ़रमाया :

«لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» [رواه مسلم].

"अगर मैं अगले साल तक ज़िन्दा रहा तो आशूरा के दिन के साथ नवीं मुहर्रम का रोज़ा भी रखूँगा।"

अतएव ९ और १० मुहर्रम का रोज़ा रखना सुन्नत है, हज करने वालों के लिए ९ ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखना सुन्नत नहीं।

३. अल्लाह के रसूल ﷺ से जब सोमवार और जुमेरात के रोज़ों के बारे में पूछा गया तो आप ﷺ ने फ़रमाया :

«يومانِ تُعرض فيها الأعمَال على رب العالمين، فأُحِبُّ أَنْ يُعرَضَ عَملي وأَنَا صَائِمٌ» [رواه النسائي].

"ये वे दो दिन हैं जिन में इंसान के कर्म (आमाल) अल्लाह तआला के यहाँ पेश किये जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के सामने मेरे कर्म रोज़े की हालत में पेश हों।" (नसाई, हसन अल-मुन्जरी)

४. अल्लाह के रसूल ﷺ ने ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा के दिन रोज़ा रखने से मना किया है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

५. हज़रत आईशा रज़िअल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने रमज़ान के अलावा कभी भी किसी पूरे महीने में रोज़े नहीं रखे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हज और उमरा की फ़ज़ीलत

हज इस्लाम का श्रेष्ठ रुक्न है जो बहुत फ़ज़ीलत और अहमियत (महत्व) रखता है।

१. अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

"और जो लोग अल्लाह के घर तक पहुँचने की ताक़त रखते हों उन पर अल्लाह के घर का हज करना फ़र्ज़ है और जो इंसान इंकार करता है तो अल्लाह तआला सारी दुनिया से बे नियाज़ है।" (आले इमरान : ९७)

२. अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

((العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ)) [متفق عليه].

"एक उमरा के बाद दूसरा उमरा करना गुनाह माफ़ होने का सबब बनता है और क़ुबूल* होने वाले हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

* मक़बूल हज वह होता है जो सुन्नत के मुताबिक़ हो और गुनाहों और बुराईयों से पाक हो।

३. आप ﷺ ने फ़रमाया :

((مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ))

[متفق عليه].

"जो इंसान बेहूदा बातों और गुनाहों से दूर रहते हुए हज करता है वह गुनाहों से ऐसे पाक होकर लौटता है जैसे आज ही उसे उसकी माँ ने जन्म दिया हो।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

४. नबी अकरम ﷺ ने फ़रमाया :

((خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)) [رواه مسلم].

"मुझ से हज के आमाल सीखो।" (मुस्लिम)

५. मुसलमान भाईयो! आप को जब भी इतना माल उपलब्ध (मुहैय्या) हो जाये कि हज के लिए जाने और आने के ख़र्चे पूरे हो सकें तो फिर जल्द ही हज का फ़र्ज अदा करने की कोशिश कीजिए, और आप को तोहफ़े आदि ख़रीदने के लिए माल इकट्ठा करने की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों की अल्लाह तआला के यहाँ कोई क़ीमत नहीं, इसलिए बीमारी, गुरबत और भुखमरी या नाफ़रमानी की हालत में मौत आ जाने से पहले हज की अदायगी होनी चाहिए क्योंकि हज इस्लाम के अरकानों में से एक रुक्न है।

६. हज या उमरा के लिए ख़र्च किये जाने वाले माल के लिए शर्त है कि वह हलाल हो ताकि अल्लाह तआला के यहाँ मक़बूल हो सके।

७. औरत के लिए हज या किसी दूसरे मक़सद के लिए बिना महरम के यात्रा करना हराम है। जैसाकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

((لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)) [متفق عيه].

"कि कोई औरत उस समय तक सफ़र न करे जब तक उस के साथ उसका महरम न हो।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

८. हज को जाने से पहले जिस से लड़ाई हो उस से सुलह कर लो, क़र्ज अदा कर लो, और घर वालों को वसीयत कर दो ताकि वे बनाव श्रृंगार, गाड़ियों, मिठाईयों और खानों आदि पर फ़ुज़ूल ख़र्ची न करें। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾

"खाओ, पीओ लेकिन फ़ुज़ूल ख़र्ची मत करो।" (अल-आराफ़ :३१)

९. हज मुसलमानों का एक सर्वश्रेष्ठ सम्मेलन (इजतेमअ) है, इस में परिचय, प्रेम, सहयोग, कठिनाईयों का हल और उस जैसे बहुत से दीन और दुनिया के फ़ायदे हासिल करने का मौक़ा मिलता है।

१०. और सब से महत्वपूर्ण (अहम) बात यह है कि आप अपनी कठिनाईयों के समाधान के लिए केवल अल्लाह तआला के तरफ़ ही रूजूअ करें, उसी से मदद लें और अपनी हाजतें माँगें। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾

"(ऐ नबी) कह दो कि मैं तो केवल अल्लाह को पुकारता हूँ और उस के साथ किसी को भी साझीदार नहीं ठहराता।" (अल-जिन्न-२०)

११. उमरा किसी समय भी अदा किया जा सकता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में अदा करना अफ़ज़ल है। जैसाकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

((عُمْرَةٌ فِي رَمضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً)) [متفق عليه].

"रमज़ान में किये जाने वाले उमरा का सवाब हज के बराबर है|" (बुख़ारी, मुस्लिम)

१२. मस्जिद हराम (बैतुल्लाह) में नमाज़ अदा करना दूसरी जगहों पर नमाज़ पढ़ने की तुलना (मुक़ाबिले) में लाख गुना बेहतर है| इसलिए आप ﷺ ने फ़रमाया :

((صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)) [متفق عليه].

"मेरी इस मस्जिद (मस्ज़िदे नबवी) में नमाज़ अदा करना बाक़ी जगहों की तुलना (मुक़ाबिले) में हज़ार गुना बेहतर है सिवाय मस्जिद हराम के |" (बुख़ारी, मुस्लिम)

((وصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلاَةٍ)) [صحيح، رواه أحمد].

"और मस्जिद हराम में अदा की जाने वाली नमाज़ मेरी इस मस्जिद (मस्जिदे नबवी) की तुलना (मुक़ाबिले) में सौ गुना बेहतर है |" (अहमद, सही)

१३. हज की तीन क़िस्में हैं जिन में से हज तमत्तुअ सब से बेहतर है क्योंकि आप ﷺ का फ़रमान है :

((يَا آلَ مُحَمَّدٍ، مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةٍ)) [رواه ابن حبان وصححه الألباني].

"ऐ आले मुहम्मद (ﷺ) तुम में से जो कोई हज करे तो उसे चाहिए कि पहले उमरह की नीयत से एहराम बाँधे फिर हज करे।"
(इब्ने हिब्बान और अलबानी ने इसे सहीह कहा)

इसलिए आप को भी चाहिए कि हज तमत्तुअ करें, उसका तरीक़ा यह है कि आप हज के महीनों (शव्वाल, ज़ीकादह और ज़िलहिज्जा) में मीकात से एहराम बांधते हुए केवल उमरह की नीयत करें, बैतुल्लाह पहुँचकर तवाफ़ और सई कर के बाल कटवायें और एहराम खोल दें, फिर आठ ज़िलहिज्जा को हज की नीयत से दोबारा एहराम बांधें।

उमरा अदा करने का तरीक़ा

उमरा के लिए निम्नलिखित आमाल ज़रूरी हैं :

१. एहराम बाँधना

२. तवाफ़ (परिक्रमा) करना

३. सई करना

४. बाल कटवाना

५. हलाल होना

१. एहराम बाँधना :

जब आप मीक़ात पर पहुँचें तो स्नान करके एहराम पहनें और उमरा की नीयत करते हुए "لبيك اللهم بعمرة" "या अल्लाह मैं उमरा के लिए हाज़िर हुआ हूँ" कहें और फिर ऊँची आवाज़ में तलबिया कहते रहिये।

२. तवाफ़ (परिक्रमा) करना :

मक्का पहुँचते ही बैतुल्लाह (मस्जिद हराम) में जाईये और बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाकर उस की परिक्रमा करें, हर चक्कर हज्रे असवद से (अल्लाहु अकबर) कहते हुए शुरू करें अगर मुमकिन हो तो हज्रे असवद को बोसा (चुम्बन) दे लें नहीं तो उसकी ओर दायें हाथ से इशारा कर देना काफ़ी है, रुक्न यमानी से गुज़रते हुए अगर मुमकिन हो सके तो हाथ लगा दें नहीं तो उसे चूमने या इशारा करने की ज़रूरत नहीं, रुक्न यमानी से हज्रे असवद की ओर आते हुए

मस्नून दुआ पढ़िये। वह यह है :

«رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

"ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता कर और आख़िरत में भी भलाई अता कर और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले।"

तवाफ़ पूरा करने के बाद मुक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रक्अत नमाज़ पढ़िये, जिन में पहली रक्अत में सूरह अल-काफ़िरून और दूसरी रक्अत में सूरह अल-इख़्लास पढ़िये।

३. सई (सफ़ा मरवा के बीच चलना) करना :

तवाफ़ (परिक्रमा) के बाद दो रक्अत नमाज़ पढ़ने के बाद सफ़ा नामक पहाड़ी पर चढ़िये फिर क़िब्ला की ओर मुँह करके अपने हाथ उठाये हुए यह दुआ पढ़िये :

«إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله ... أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»

"बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह तआला की निशानियों में से हैं, मैं भी उसी से शुरू कर रहा हूँ जिस से अल्लाह तआला ने शुरू किया।"

फिर बिना इशारा वग़ैरह किये तीन बार (अल्लाहु अकबर) कहकर हाथ उठाये हुए तीन बार यह दुआ पढ़िये :

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

"अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं उसका कोई साझी नहीं, बादशाही उसी के लिए है और उसी के लिए हम्द और तारीफ़ शोभा देती है, वह हर बात की क़ुदरत रखता है, उस के सिवा कोई माबूद (पूज्य) नहीं, वह अकेला है, उस ने अपना वादा पूरा किया और मदद की अपने बन्दे की और सभी दलों को उस ने पराजित किया।" (अबू दाऊद)

और फिर अपनी इच्छानुसार (मर्ज़ी से) दुआ करें जब भी सफ़ा और मरवा आये तो दूसरी दुआओं सहित ये दुआयें भी दोहरायें, सफ़ा और मरवा के बीच चलते हुए दो हरे निशानों के बीच दौड़े, सई के लिए सात चक्कर लगाना होगा, सफ़ा से मरवा तक जाना एक चक्कर और मरवा से सफ़ा तक आना दूसरा चक्कर होगा।

४. बाल कटवाना :

उस के बाद अपने पूरे सिर के बाल मुँडवा लें, या कटवा लें जबकि औरत के लिए सिर से थोड़े से बाल काट लेना काफ़ी है।

५. हलाल होना :

उस के साथ ही आप उमरा के आमाल से ख़त्म हो गये, अब आप एहराम खोल सकते हैं।

हज के आमाल और उनका तरीक़ा

हज के लिए निम्नलिखित काम करने होंगे :

१. एहराम बाँधना

२. मिना में रातें बिताना

३. अरफ़ात में ठहरना

४. मुज़दलिफ़ा में रात बिताना

५. कंकरियाँ मारना

६. कुर्बानी करना

७. बाल मुँडवना

८. तवाफ़ (परिक्रमा) करना

९. सई करना

इन आमाल का सार यह है :

१. आठ ज़िलहिज्जा को मक्का में अपने विश्राम गृह से ही एहराम बाँधकर "لبيك اللهم بحجة" "ऐ अल्लाह, मैं हज के लिए हाजिर हूँ" कहकर मिना चले जायें, वहाँ जोहर, अस्र, मग़रिब और इशा की नमाज़ें क़सर (यानी चार के बदले दो रक़अतें) कर के उन के नियमित समय (मुक़र्रर वक़्त) पर अदा करें, यह रात वहीं बितायें और फ़ज्र की नमाज़ अदा करें ।

२. नौ ज़िलहिज्जा को सूरज निकलने के बाद अरफ़ात चले जायें वहाँ ज़ोहर और असर की नमाज़ एक अज़ान और दो इकामतों से क़स्र और जमा तक़दीम करते हुए सुन्नत पढ़े बिना अदा करें, और इस बात का ख़्याल रखें कि आप अरफ़ात की सीमा रेखा में ही ठहरें क्योंकि अरफ़ात में ठहरना हज का बुनियादी रुक्न है, जबकि मस्जिदे नमरा का ज़्यादातर हिस्सा अरफ़ात के मैदान से बाहर है, आप को चाहिए कि उस दिन बिना रोज़े के हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबिया कह सकें और अल्लाह तआला से दुआयें कर सकें।

३. सूरज डूबने के बाद इत्मिनान से मुज़दलिफ़ा चले जायें जहाँ मग़रिब और ईशा की नमाज़ें क़स्र और जमा ताख़ीर से पढ़ें, वहाँ ही रात बितायें और फज्र की नमाज़ अदा करने के बाद मशअरूल हराम या अपने (विश्राम गृह) में बैठे अल्लाह तआला का ज़िक्र व अज़कार करते रहें, जबकि बूढ़े और कमज़ोर लोगों को आधी रात के बाद मुज़दलिफ़ा से मिना चले जाने की इजाज़त है।

४. ईद के दिन (दस ज़िलहिज्जा) का सूरज ऊँचा होने से पहले ही मिना की ओर चल दें और वहाँ पहुँचकर निम्नलिखित काम करें।

(अ) सूरज निकलने के बाद से रात तक किसी समय में भी बड़े जमरा को अल्लाहु अकबर कहते हुए लगातार सात कंकरियाँ मारें।

(ब) ईद के दिनों (जो कि १३ ज़िलहिज्जा की शाम तक बाक़ी रहते हैं) में किसी समय मिना या मक्का में क़ुर्बानी करें, उसका गोश्त ख़ुद खायें और फ़क़ीरों को बाँटें, लेकिन अगर क़ुर्बानी के लिए पैसे न हों तो उस के बदले में दस दिन रोज़ा रखें, इन में तीन दिन हज में और सात अपने घर वापस लौट कर रखें, अगर कोई

औरत भी हज तमत्तुअ कर रही है तो उस के लिए भी क़ुर्बानी करना या उस के बदले रोज़े रखना फ़र्ज़ है।

(ज) अपने पूरे सिर का बाल मुँडवा लें या कटवा लें, लेकिन मुँडवाना बेहतर है और अपने आम कपड़े पहन लें, उस के बाद आप के लिए एहराम के हराम कामों में पत्नी से सहवास छोड़ कर सब चीज़ हलाल हो जायेंगी।

(द) मक्का मुकर्रमा जाकर बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाते हुए ज़ियारत का तवाफ़ (इफ़ाज़ा) करें, और सफ़ा मरवा के सात चक्कर लगाते हुए सई करें, ज़ियारत का तवाफ़ आप को ईद के आख़िर दिनों तक देर करने की इजाज़त है, तवाफ़ और सई करने के बाद अब आप के लिए पत्नी से सहवास भी जायेज़ हो जायेगा जो अब तक हराम था।

५. मक्का से वापस आकर मिना में ग्यारह और बारह ज़िलहिज्जा की रातें गुज़ारें, इन दिनों में ज़ोहर के बाद से लेकर रात तक किसी भी समय में तीनों जमरात, छोटे, मझोले और बड़े को क्रमश: (अल्लाहु अकबर) कहते हुए सात-सात कंकरियाँ मारें, इसका ख़्याल रखें कि कंकरियाँ जमरा के आसपास हौज़ के अन्दर गिरें। अगर कोई कंकरी उस में न गिरे तो उस के बदले दूसरी कंकरी मारनी होगी, छोटे और मझोले जमरे को कंकरियाँ मारने के बाद हाथ उठाये हुए क़िब्ला की दिशा में फिर कर दुआ करना सुन्नत है, मर्दों और औरतों में से जो लोग कमज़ोर, बीमार या बूढ़े हों उन्हें कंकरियाँ मारने के लिए अपनी ओर से किसी दूसरे कों वकील बना देने की इजाज़त है, इसी तरह ज़रूरत पड़ने पर दूसरे या तीसरे दिन तक कंकरियाँ मारने में देरी लगाना जायेज़ है।

९. बिदाई परिक्रमा (तवाफ़) करना वाजिब है जो यात्रा से पहले होनी चाहिए।

हज और उमरा वालों के लिए ज़रूरी हिदायतें :

१. हज ख़ालिस अल्लाह की ख़ुशी के लिए करें और यह दुआ करें:

((اللّٰهُمَّ هَذِهِ حَجَّةٌ لاَ رِيَاءَ فِيهَا وَلاَ سمعة)).

"या अल्लाह ! मेरा यह हज ऐसा हो जिस में किसी तरह का खोट और दिखावा न हो।"

२. नेक और अच्छे लोगों का साथ पकड़ें, उनकी सेवा करें और अपने साथियों की तरफ़ से पहुँचने वाली तक़लीफ़ों को सहन करें।

३. सिगरेट पीने से बचें क्योंकि यह एक ऐसा घिनावना और हराम काम है जिस से बदन और माल का नुकसान, साथियों को दुख और अल्लाह तआला की नाफ़रमानी होती है।

४. नमाज़ के समय मिस्वाक (दातुन) का इस्तेमाल कीजिए, घर वालों के लिए दातुन, खजूर और ज़मज़म का तोहफ़ा ले जाईये क्योंकि इन चीज़ों की सही हदीसों में फ़ज़ीलत आई है।

५. ग़ैर महरम महिलाओं से मेल-जोल और उनकी तरफ़ नज़र उठाने से परहेज़ कीजिए, उसी तरह अपनी औरतों को ग़ैर महरम मर्दों से पर्दा में रखें।

६. मस्जिद में आयें तो कतार लाँघने के बदले अपने नज़दीक किसी जगह पर बैठ जायें।

७. किसी नमाज़ी के आगे से मत गुज़रें चाहे आप हरमैन में क्यों न हों, क्योंकि यह शैतानी काम है।

८. नमाज़ इत्मिनान और सुकून से सुतरा (किसी दीवार या आदमी आदि) के पीछे पढ़िये, जबकि मुक़्तदी के लिए उस के इमाम का सुतरा काफ़ी है।

९. तवाफ़ और सई करने, कंकरियाँ मारने और हज्र असवद को बोसा देते हुए अपने आसपास के लोगों से नर्मी से पेश आयें।

१०. अल्लाह को छोड़ कर मुर्दों और क़ब्र वालों को मत पुकारिये क्योंकि यह एक ऐसा शिर्क है जिस से हज और दूसरे नेक आमाल बरबाद हो जाते हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"अगर तुम शिर्क करोगे तो तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जायेंगे और तुम घाटा पाने वालों में से हो जाओगे।" (ज़ुमर : ६५)

....

मस्जिदे नबवी की ज़ियारत के आदाब

मस्जिदे नबवी की ज़ियारत करने और उस में नमाज़ पढ़ने की बहुत फ़ज़ीलत है, इसलिए ज़ियारत के बीच नीचे लिखे आदाब को ध्यान में रखना चाहिए :

१. मस्जिदे नबवी की ज़ियारत करना सुन्नत है जिसका हज के आमाल से कोई सम्बन्ध नहीं और न ही उस के लिए कोई ख़ास वक़्त तय है।

२. जब मस्जिदे नबवी में दाख़िल हों तो दायाँ पाँव आगे बढ़ाते हुए यह दुआ पढ़िये :

«بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»

"(दाख़िल होता हूँ) अल्लाह के नाम से, और सलाम हो अल्लाह के रसूल पर, या अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे।"

३. दो रक्अत तहिय्यतुल मस्जिद पढ़िये और फिर यह दुआ पढ़ते हुए अल्लाह के रसूल ﷺ पर सलाम पढ़िये :

«السَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيكَ يَا أَبَا بكر، السَّلَامُ عَلَيكَ يَا عُمر»

"ऐ अल्लाह के रसूल ﷺ आप पर सलामती हो, ऐ अबू बक्र

रज़िअल्लाहु अन्हु आप पर सलामती हो, ऐ उमर रज़िअल्लाहु अन्हु आप पर सलामती हो।"

फिर अगर कभी दुआ करना हो तो क़िब्ला की ओर फिर कर दुआ करें और अल्लाह के रसूल ﷺ का यह फ़रमान आप के नज़र में होना चाहिए कि आप ﷺ ने फ़रमाया :

((إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ)) [رواه الترمذي وقال: حسن صحيح].

"जब माँगो तो अल्लाह से माँगो और जब मदद चाहो तो केवल अल्लाह ही से मदद हासिल करो।" (तिर्मिज़ी, हसन सही)

४. दीवारों और जालियों आदि को चूमना जायेज़ नहीं क्योंकि यह बिदअत है।

५. इसी तरह मस्जिद से बाहर निकलते हुए उलटे पाँव चलना निराधार और बिदअत है।

६. अल्लाह के रसूल ﷺ पर बहुतायत से दरूद पढ़ो, क्योंकि आप ने फ़रमाया है :

((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً))

"जो इंसान मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह तआला उस पर दस बार दरूद पढ़ता है।" (मुस्लिम)

७. जन्नतुल बक़ीअ और उहद के शहीदों की ज़ियारत करना भी सुन्नत है जबकि मसाजिदे सबआ, बीर (कुआँ) उस्मान और मस्जिदे क़िबलतैन वग़ैरह की ज़ियारत करना बेबुनियाद और सुन्नत के ख़िलाफ़ है।

८. मदीना जाते हुए मस्जिदे नबवी की ज़ियारत और फिर वहाँ पहुँचकर अल्लाह के रसूल ﷺ पर सलाम पढ़ने की नीयत से सफ़र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

«لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا» [متفق عليه].

"तीन मस्जिदों के अलावा किसी जगह के लिए (इबादत के इरादे से) सफ़र करना जायेज़ नहीं, और वे (तीन मस्जिदें) मस्जिदे नबवी, मस्जिदे अक़्सा और मस्जिद हराम हैं।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

और यह भी कि मस्जिदे नबवी में एक नमाज़ का सवाब बाक़ी जगहों के मुक़ाबिले में हज़ार गुना ज़्यादा है, सिवाय मास्जिदे हराम के क्योंकि वहाँ एक लाख नमाज़ का सवाब मिलता है।

मुजतहिद इमामों का हदीस पर अमल :

अल्लाह तआला चारों इमामों को अच्छा बदला दे कि उन्होंने अपने पास पहुँचने वाली हदीसों के अनुसार इज्तिहाद से काम लिया और अगर हमें उन के बीच कुछ मसलों में विभिन्नता नज़र आती है तो उसका सबब यह है कि उन में से कुछ के पास वे हदीसें पहुँच गयीं जो दूसरे तक न पहुँच सकी थीं क्योंकि हदीस के ज्ञाता (आलिम) उस दौर में हिजाज़, सीरिया, इराक और मिस्र के दूर-दराज इलाक़ों में बिखरे हुए थे और सभी हदीसें एक ही जगह से मिल जाना नामुमकिन बात थी, उस के साथ-साथ अगर उस दौर की कठिनाईयाँ नज़र के सामने हों तो हदीस हासिल करने में होने वाली कठिनाईयों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यही वजह है कि जब इमाम शाफ़ई

इराक़ से मिस्र जाते हैं तो कुछ हदीसें मिलने पर अपना पहला मसलक छोड़ देते हैं और उन हदीसों की रोशनी में नया मसलक बनाते हैं।

और जब हम उन आलिमों के बीच किसी मसले में मतभेद (इख़्तिलाफ़) देखते हैं जैसाकि इमाम शाफ़ई के यहाँ तो औरत को केवल छू लेने से वुज़ू टूट जाता है और इमाम अबू हनीफ़ा का क़ौल इसके विपरीत है तो इस हालत में चाहिए कि किताब और सुन्नत से सम्पर्क (राबेता) करें। क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾

"अतः अगर तुम्हारा किसी बात में इख़्तिलाफ़ हो जाये तो अगर तुम हक़ीक़त में अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखते हो तो फिर उसका फ़ैसला अल्लाह और अल्लाह के रसूल ﷺ से लो यह बेहतर और अच्छी तावील है।" (अन-निसा-५९)

क्योंकि हक़ कई एक नहीं हो सकता और दो विपरीत बातें सही नहीं हो सकतीं, इसलिए यह कैसे हो सकता है कि औरत को केवल छू लेने से वुज़ू टूट जाये और न भी टूटे।

और हमें तो केवल अल्लाह तआला की ओर से उतरने वाले उस क़ुरआन की पैरवी का हुक्म मिला है जिसकी तफ़सीर अल्लाह के रसूल ﷺ ने सही हदीसों में कर दी है। जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ﴾

"जो कुछ अल्लाह की तरफ़ से तुम्हारे ऊपर नाज़िल हुआ है केवल उसकी पैरवी करो और उस के सिवा दूसरों के पीछे मत चलो हालाँकि तुम बहुत कम ही नसीहत हासिल करते हो।" (अल-आराफ़ : ३)

इसलिए किसी मुसलमान के लिए जायेज़ नहीं कि जब उसे कोई सही हदीस पहुँचे तो वह उसे केवल इसलिए रद्द कर दे कि वह उस के मज़हब के मुख़ालिफ़ है, जबकि सभी इमाम इस से सहमत हैं कि सही हदीस पर अमल किया जाये और हदीस के मुक़ाबले में हर तरह के विरोधी कहावतों को छोड़ दिया जाये।

इमामों के हदीस पर अमल करने के सिलसिले में कथन :

इमामों के कुछ कथन (क़ौल) पेश किये जा रहे हैं जो उन की ओर की जाने वाली आपत्तियों को दूर करते और उन के अनुयायियों (पैरोकारों) के लिए हक़ को स्पष्ट (वाज़ेह) करते हैं।

इमाम अबू हनीफ़ा रहमुतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं :

१. किसी व्यक्ति के लिए जायेज़ नहीं कि वह हमारे किसी क़ौल पर अमल करे जब तक उसे मालूम न हो जाये कि हम ने यह क़ौल कहाँ से लिया है।

२. और फ़रमाते हैं : किसी भी इंसान के लिए हराम है कि वह हमारे क़ौल की दलील जाने बिना उस के फ़त्वे देता फिरे क्योंकि हम तो आम लोगों की तरह बशर हैं, आज यदि कोई बात कहते हैं तो कल उस से रूजूअ कर लेतें हैं।

३. फिर फ़रमाते हैं : अगर मैं कोई ऐसी बात कह दूँ जो किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो मेरी बात छोड़कर किताब और सुन्नत पर अमल करना।

४. इब्ने आबिदीन हनफ़ी अपनी किताब में फ़रमाते हैं कि अगर कोई हदीस हनफ़ी मज़हब के ख़िलाफ़ हो तो उस हालत में हनफ़ी मज़हब को छोड़ कर उस हदीस पर अमल किया जाये और यही इमाम का मज़हब होगा, और ऐसा करने से कोई हनफ़ी अपने मज़हब से बाहर नहीं निकल जाता क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा फ़रमाते हैं : अगर कोई हदीस सही साबित हो जाये तो मेरा मज़हब उस हदीस के मुताबिक़ होगा।

इमाम मदीना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं :

१. मैं तो एक इंसान हूँ, जिस से कभी ग़लती भी हो जाती है और कभी सही बात भी कह देता हूँ, इसलिए तुम मेरी राय देखो अगर वह किताब और सुन्नत के मुताबिक़ हो तो उसे अपना लो लेकिन अगर किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो उसे छोड़ दो।

२. और फ़रमाते हैं : नबी अकरम ﷺ की बात के अलावा हर किसी की बात यदि सही हो तो क़ुबूल की जा सकती है और अगर ग़लत हो तो रद्द की जा सकती है।

इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं :

१. हर इंसान से अल्लाह के रसूल ﷺ की हदीसें छुपी रह सकती हैं जैसे उसे बहुत सी हदीसें मिल भी जाती हैं इसलिए मैं कितनी ही अच्छी बात क्यों न कह दूँ या कितना ही अच्छा क़ायदा क्यों न बना दूँ लेकिन अगर वह अल्लाह के रसूल ﷺ के क़ौल के ख़िलाफ़ में हो तो उस हालत में केवल अल्लाह के रसूल ﷺ की बात ही विश्वासनीय होगी और मैं भी उसे ही अपनाऊँगा।

२. और फ़रमाते हैं : मुसलमानों का इजमाअ है कि अगर किसी

इंसान को रसूल की सुन्नत मालूम हो जाये तो उस के लिए जायेज़ नहीं कि वह उसे किसी के क़ौल की वजह से छोड़ दे।

३. फिर फ़रमाते हैं : अगर तुम्हें मेरी किताब से अल्लाह के रसूल ﷺ के क़ौल के ख़िलाफ़ कोई बात मिलती है तो अल्लाह के रसूल ﷺ के क़ौल को अपनाओ और उस समय मेरा भी यही कहना होगा जिस पर सुन्नत की दलालत हो।

४. और फ़रमाते हैं : अगर कोई हदीस सही साबित हो जाये तो मेरा मज़हब उस हदीस के मुताबिक़ होगा।

५. और इमाम अहमद को सम्बोधित (मुख़ातिब) करते हुए फ़रमाते हैं कि तुम लोग हदीस और उस के रिजाल में मुझ से ज़्यादा इल्म (ज्ञान) रखते हो, अगर तुम्हें कोई सही हदीस मिल जाये तो मुझे भी ख़बर करो ताकि मैं भी उसे अपना लूँ।

६. और आगे फ़रमाते हैं : हर वह मामला जिस में अल्लाह के रसूल ﷺ से सही हदीस मिल जाये और मैं उस के विपरीत कुछ कह चुका हूँ तो जान लो कि मैं अपनी ज़िन्दगी या मौत हर हाल में उस से रूजूअ करता हूँ।

इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं :

१. मेरी पैरवी मत करना और न ही मालिक, शाफ़ई, औज़ाई और सौरी आदि की पैरवी करना बल्कि जहाँ से उन्होंने मसले लिये हैं वहीं (किताब और सुन्नत) से तुम भी रहनुमाई हासिल करो।

२. फिर फ़रमाते हैं कि रसूल की हदीस को रद्द करने वाला इंसान तबाही के किनारे पर है।

अच्छे या बुरे भाग्य पर ईमान

यह ईमान का छठां रुक्न है कि एक मुसलमान उस के साथ पेश आने वाली हर अच्छे या बुरे भाग्य (तक़दीर) पर ईमान रखे, इसकी व्याख्या (तफ़सीर) करते हुए इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब 'अरबईने नववीय:' में फ़रमाते हैं, अल्लाह तआला ने धरती और आकाश बनाने से पहले हर चीज का भाग्य लिख दिया और अल्लाह सुब्हानहु तआला को इल्म है कि यह चीज़ अपने नियमित समय में किसी नियमित जगह पर घटित होकर रहेगी, इसलिए हर चीज़ अल्लाह तआला की उस तक़दीर (भाग्य) के अनुसार घटती रहती है।

१. भाग्य पर ईमान के मरहले :

इन्सान के अस्तित्व (वजूद) में आने और जन्म लेने से पहले ही अल्लाह तआला के इल्म में था कि लोगों में से कौन है जो नेक या बद, फ़रमाँबरदार (आज्ञाकारी) या नाफ़रमान और जन्नती या जहन्नमी होंगे, और अल्लाह तआला ने उन्हें पैदा करने से पहले ही उन के अच्छे या बुरे कर्मों (अमल) के बदले और सज़ा की तैयारी कर ली थी, और ये सभी चीज़ें अल्लाह तआला ने गिन-गिन कर लिख छोड़ी हैं, इसलिए बन्दों के आमाल अल्लाह की उस ज्ञात और लिखे हुए भाग्य के अनुसार घटित हो रहे हैं।

यह इब्ने रजब की किताब जामिउल उलूम वल हिक्म के पेज २४ से लिया गया है।

२. भाग्य लौहे महफ़ूज़ में सुरक्षित है :

अल्लामा इब्ने कसीर अपनी तफ़सीर में अब्दुर्रहमान बिन सलमान से नक़ल करते हुए लिखते हैं कि अल्लाह तआला ने क़ुरआन या उस से पहले और बाद की भाग्य (तक़दीर) में लिखी हर चीज़ को लौहे महफ़ूज़ में दर्ज किया हुआ है।

३. तीसरे मरहले में माँ के गर्भ में भाग्य (तक़दीर) लिखा जाना है जैसा कि हदीस में आता है :

«ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَنفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِكَتْبِ أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ» [رواه البخاري ومسلم].

"फिर (गर्भ धारण के ४ महीना बाद) अल्लाह तआला बच्चे की ओर फ़रिश्ता भेजते हैं जो उस में रूह डालता है और उसे चार चीज़ें लिखने का हुक्म दिया जाता है, इसलिए उसकी जिंदगी, रोज़ी, उसका कर्म ख़ुशनसीब होना और बदनसीब होना लिखा जाता है।" (बुख़ारी व मुस्लिम)

४. भाग्य का आख़िरी मरहला नियमित समय (मुक़र्रर वक़्त) पर भाग्य का घटित होना है, क्योंकि जब अल्लाह तआला ने कोई अच्छी या बुरी तक़दीर बनाई तो साथ ही इंसान पर उस भाग्य के पारित होने का समय भी तय कर दिया।

यह कलाम इमाम नववी की किताब शरह अल अरबईन से लिया गया है।

भाग्य पर ईमान रखने के फ़ायदे :

१. अल्लाह के लिखे भाग्य पर रज़ामन्दी, खत्म हो जाने वाली चीज़ों का बदला मिलने और उस पर यक़ीन रखने में आसानी। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

"हर आने वाली मुसीबत अल्लाह के हुक्म से ही आती है।" (अत्तग़ाबुन-११)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं, अल्लाह के आदेश से अभिप्राय (मुराद) उसकी क़ज़ा और क़द्र है, आगे आता है।

﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾

"और जो अल्लाह पर ईमान रखता है अल्लाह उसे सीधे रास्ते से नवाज़ते हैं।" (अत्तग़ाबुन-११)

अल्लामा इब्ने कसीर उसकी तफ़सीर करते हुए कहते हैं कि यह आयत ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसे अगर कोई मुसीबत आती है तो उसको यक़ीन होता है कि यह अल्लाह की क़ज़ा और क़द्र से है, अतएव वह सवाब हासिल करने की उम्मीद से सब्र करता है और अल्लाह की मर्ज़ी के सामने सिर झुका लेता है तो अल्लाह तआला उसे दिल में सुकून अता करते हैं और खो जाने वाली चीज़ के बदले में उसे दुनिया में ही दिली सुकून और सच्चा ईमान अता करते हैं, और मुमकिन है कि उसे खो जाने वाली चीज़ का बदला अता फ़रमा दे।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हुमा उसकी व्याख्या (तफ़सीर) में कहते हैं :

अल्लाह तआला उसके दिल में ईमान पैदा कर देते हैं कि जो मुसीबत उसे पहुँची है वह कभी टलने वाली न थी और जो चीज उस से खो गयी है वह कभी उसे मिलने वाली न थी।

गुनाहों का माफ़ होना :

जैसाकि अल्लाह के रसूल ﷺ का कहना है :

«مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلاَ نَصَبٍ، وَلاَ سَقَمٍ، وَلاَ حَزَنٍ، حَتَّى الْهَمِّ يُهَمُّهُ إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ» [متفق عليه].

"एक मोमिन को जब भी कोई दुख, परेशानी, थकान और बीमारी यहाँ तक कि कोई सोच बैठ जाती है तो ये सभी चीज़ें उस के गुनाहों को माफ़ी का कारण (सबब) बनती हैं।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

३. अच्छा बदला मिलना :

अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ○ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ○ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾

"और उन सब्र करने वालों को यह ख़ुशख़बरी दे दो जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो إنا لله و إنا إليه راجعون कहते हैं। उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह की रहमतें और उसकी दुआयें हैं और यही हिदायत पाये हुए लोग हैं।" (बक़र: १५५-१५७)

४. दिल का धन :

अल्लाह के रसूल ﷺ का फ़रमान है :

«..وَارْضَ بِمَا قَسَمَهُ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ» [رواه أحمد والترمذي وحسنه محقق جامع الأصول].

"अगर तुम अल्लाह के दिये हुए पर राज़ी हो जाओगे तो दुनिया के सब से अमीर आदमी बन जाओगे ।" (अहमद, तिर्मिज़ी)

आप ने आगे फ़रमाया है :

((لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ)) [متفق عليه].

"कोई व्यक्ति धन, सम्पत्ति की बहुतायत से रईस नहीं बनता असल रईसी तो दिल की रईसी है ।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

और यह भी देखा जाता है कि बहुत से करोड़पति लोग अपने इतने धन-सम्पत्ति पर खुश नहीं होते, क्योंकि उनके दिल भूखे होते हैं जबकि उसकी तुलना में वे लोग जो थोड़ा माल होने के बावजूद अल्लाह के दिये हुए पर खुश होते हैं वह दिली तौर पर मालदार होते हैं ।

५. अकारण खुशी या ग़मी से बचाव :

अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ० لِكَيْ لاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

"कोई भी आफ़त ज़मीन में या तुम्हारे ऊपर नहीं आती जो उस के पैदा होने से पहले ही किताब में न लिखी गयी हो। बेशक यह अल्लाह के ऊपर बहुत आसान है (और यह इसीलिए कि) ताकि तुम खोये जाने वाले पर ग़म न खाओ और मिल जाने वाले पर फूल न जाओ और अल्लाह हर इतराने वाले और घमंड करने वाले को पसन्द नहीं करता ।" (हदीद : २२,२३)

अल्लामा इब्ने कसीर फ़रमाते हैं कि अल्लाह की दी हुई नेमतों की वजह से लोगों पर गर्व न करो क्योंकि इन नेमतों का मिलना तुम्हारी अपनी कोशिशों से नहीं बल्कि यह तो अल्लाह तआला का तुम्हारे लिए क़िस्मत में लिखी हुई रोज़ी है, इसलिए उसे घमण्ड और दुष्टता का वसीला नहीं बना लेना चाहिए। (४\३१४)

हज़रत इक्रिमा फ़रमाते हैं कि हर इंसान को खुशी और ग़मी मिलती है अतएव खुशी को अल्लाह का शुक्र करने और ग़मी को सब्र करने का वसीला बनाना चाहिए।

६. दिल में साहस और हिम्मत पैदा होना :

तक़दीर पर ईमान रखने वाले इंसान में साहस और हिम्मत पैदा होती है और वह अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता क्योंकि उसे यक़ीन होता है कि मौत अपने नियमित समय (मुक़र्रर वक़्त) से पहले नहीं आयेगी और जो चीज़ उस से खो गई है वह उसे मिलने वाली न थी, और जो मुसीबत उस पर आई है वह टलने वाली न थी और यह कि हमेशा कठिनाईयों के साथ ही आसानियाँ होती हैं।

७. लोगों के दुख पहुँचाने से निर्भय रहना :

अल्लाह के रसूल ﷺ का फ़रमान है :

((وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَت عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ)) [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح].

"जान लो कि अगर पूरी उम्मत तुम्हें फ़ायेदा पहुँचाने के लिए

इकट्ठी हो जाये तो वह अल्लाह के ज़रिये तक़दीर में लिखे हुए के सिवा तुम्हें कोई फ़ायेदा नहीं पहुँचा सकता और अगर वे तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के लिए इकट्ठी हो जाये तो भी अल्लाह के ज़रिया लिखे हुए के सिवा कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे, क्योंकि तक़दीर लिखने वाले क़लम उठ चुके और सहीफ़े सूख गये।" (तिर्मिज़ी, हसन सही)

८. मौत का डर ख़त्म होना :

हज़रत अली रज़िअल्लाहु अन्हु से मंसूब है कि उन्होंने फ़रमाया :

"मैं मौत के कौन से दिन से फ़रार होने की कोशिश करूँ ? क्या मौत के नियमित दिन (मुर्क़रर वक़्त) से या जो अभी तक़दीर में नहीं लिखा गया है ? इसलिए जो तक़दीर में नहीं है उसका तो मुझे कोई डर नहीं और जो हो चुका उस से डरना बेसूद है।"

९. खो जाने वाली चीज़ पर पछतावा न करना :

अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

«الْمُؤْمِنُ القَوِي خَيْرٌ وأَحَبُّ إِلى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِص عَلَى مَا يَنْفَعُكَ واسْتَعِنْ بِالله ولاَ تَعْجَزْ، فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُل لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وكَذَا لَكَانَ كَذَا وكَذَا، ولَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ الله ومَاشَاءَ الله فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» [متفق عليه].

"ताक़तवर, ईमानदार, कमज़ोर ईमान वाले के मुक़ाबिले में अल्लाह के यहाँ ज़्यादा बेहतर और प्यारा है और दोनों में भलाई है, अल्लाह से मदद माँगते हुए ऐसी चीज़ के लिए

कोशिश करो जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो और लाचारी मत दिखाओ, फिर अगर तुम्हें कोई नुकसान हो जाये तो यह न कहो कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसे हो जाता क्योंकि यह शैतानी काम है, बल्कि तुम्हें कहना चाहिए कि अल्लाह तआला ने जो चाहा तक़दीर में लिख दिया और उसे कर डाल।"

१०. बेहतरी उसी में है जिस को अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए चुना है :

मिसाल के तौर पर अगर किसी मुसलमान का हाथ ज़ख़्मी हो जाता है तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि यह हाथ टूटा तो नहीं और अगर हड्डी टूट जाती है तो उसे शुक्र मनाना चाहिए कि हाथ कटकर अलग तो नहीं हो गया या यह कि कमर आदि टूटने जैसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

एक बार कोई व्यापारी व्यापार (तिजारत) की यात्रा के लिए जहाज़ के इंतेज़ार में था कि अज़ान हो गयी, इसलिए वह मस्जिद में नमाज़ के लिए चला गया और जब नमाज़ पढ़ कर आया तो जहाज़ जा चुका था, इसलिए वह जहाज़ निकल जाने पर दुखी हुआ और मुँह बनाकर बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे ख़बर मिली कि वह जहाज़ उड़ने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसलिए वह इंसान अपने ज़िन्दा सलामत रहने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सज्दे में गिर गया और अल्लाह तआला का यह फ़रमान याद करने लगा :

﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

"और शायद कि तुम्हें कोई चीज़ नापसन्द हो हालाँकि वह तुम्हारे लिए बेहतर हो और मुमकिन है कि कोई चीज़ तुम्हारी मनपसन्द हो लेकिन वह तुम्हारे लिए नुकसानदह हो और अल्लाह ही जानता है तुम नहीं जानते हो ?" (बक़र: २१६)

भाग्य तर्क (दलील) नहीं बन सकता :

एक मुसलमान को यह यक़ीन होना चाहिए कि हर बुरा-भला अल्लाह तआला का तय किया हुआ हैं जो उस के इल्म और इरादे से घटित होता है, लेकिन उसके साथ-साथ अल्लाह तआला ने इंसान को अच्छा या बुरा करने की ताक़त दी है, इसलिए वाजिब बातों को पूरा करना और जिन चीज़ों से बचने को कहा गया है उस से बचना उस का फ़र्ज़ है, इस लिहाज़ से किसी के लिए यह जायेज़ नहीं कि वह गुनाह कर के यह कहे कि अल्लाह ने यही तक़दीर में लिख दिया था, क्योंकि अल्लाह तआला का रसूल भेजने और किताबें अवतरित (नाज़िल) करने का यही मक़सद है कि लोगों के लिए नेकी, बदी, सआदतमन्दी या दुर्भाग्य (बदनसीबी) का रास्ता साफ़ हो जाये।

इस के अलावा इंसान को अक्ल और हिक्मत देकर हिदायत और गुमराही का रास्ता दिखा दिया गया है जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾

"बेशक हम ने इंसान को (हिदायत और गुमराही का) रास्ता दिखाया फिर या तो वह शुक्रगुज़ार होता है या फिर कुफ्र करने वाला होता है।" (अद्दहर-३)

इसलिए बेनमाज़ी या शराबख़ोर इंसान अल्लाह के हुक्म का विरोध (मुख़ालफ़त) करने की वजह से सज़ा का हक़दार है और उस के लिए

ज़रूरी है कि अपने उस गुनाह पर नदामत महसूस करते हुए अल्लाह तआला से तौबा करे, और तक़दीर को हुज्जत बनाकर वह अपने उस गुनाह से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता, अगर कहीं तक़दीर को हुज्जत बनाना मुमकिन है तो वह मुसीबत के समय हैं जिस के बारे में उसे यक़ीन होना चाहिए कि यह आने वाली मुसीबत अल्लाह की ओर से है और उस पर अपनी रज़ामन्दी ज़ाहिर करना चाहिए जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ﴾

"कोई भी मुसीबत ज़मीन या तुम्हारे ऊपर नहीं आती जो उस के पैदा होने से पहले ही किताब मे लिखी न गयी हो, बेशक यह अल्लाह के ऊपर आसान है।" (अल-हदीद-२२)

ईमान और इस्लाम से बाहर कर देने वाले मामले

जिस तरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन से वुज़ू टूट जाता है और दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिन के कर गुज़रने से आदमी इस्लाम और ईमान से ख़ारिज (बाहर) हो जाता है, इन्हें ईमान को तोड़ने वाली चीज़ें कहते हैं।

ईमान को तोड़ने वाली चीज़ें चार प्रकार की हैं :

पहली क़िस्म : रब के अस्तित्व (वजूद) का इंकार या उस में ज़ुबान दराज़ी करना।

दूसरी क़िस्म : इबादत योग्य 'पूज्य' (माबूद) का इंकार करना या उस के साथ शिर्क करना।

तीसरी क़िस्म : क़ुरआन और हदीस में अल्लाह तआला के साबित होने वालो नामों और सिफ़ातों का इंकार करना या उन में बदज़ुबानी करना।

चौथी क़िस्म : मुहम्मद ﷺ की रिसालत और नबूअत का इंकार करना या उस में तान करना।

इन क़िस्मों का विस्तृत विवरण (तफ़सीली बयान) कुछ इस तरह है।

रब के अस्तित्व (वजूद) का इंकार :

१. पहली क़िस्म ऐसे लोगों की है जो रब का इंकार करते हैं जैसाकि दहरिया, नास्तिक, कम्यूनिस्टों ने पैदा करने वाले के वजूद को

नकार दिया है और कहते हैं कि कोई माबूद नहीं और जीवन भौतिकवाद का नाम है, सृष्टि का जन्म और उसकी गतिविधियों को प्राकृति और इत्तिफ़ाक़ की बातें मानते हैं और प्राकृति और इत्तिफ़ाक़ के पैदा करने वाले को भूल जाते हैं। जबकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

"अल्लाह (तआला) ही हर चीज़ का पैदा करने वाला और वही हर चीज़ का संरक्षक (वकील) है।" (अज़-ज़ुमर-६२)

ऐसे लोग अरब के मुशरिकों और शैतानों से भी बड़े काफ़िर हैं क्योंकि वे मुशरिक कम से कम ख़ालिक़ के अस्तित्व (वजूद) को तो मानते थे, जैसाकि अल्लाह तआला ने क़ुरआन करीम में फ़रमाया है :

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

"अगर तुम उन (मुशरिकों) से पूछो कि उन्हें किस ने पैदा किया है तो जवाब देंगे कि अल्लाह ने (पैदा किया है)।" अज़-ज़ुख़रफ़ : ८७)

उसी तरह क़ुरआन मजीद शैतान के बारे में फ़रमाता है कि उस ने अल्लाह तआला से कहा :

﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾

"मैं उस (आदम) से बेहतर (श्रेष्ठ) हूँ, क्योंकि मुझे तूने आग से पैदा किया है जबकि उसे (आदम को) मिट्टी से पैदा किया है।" (साद : ७६)

इस से मालूम हुआ कि मुशरिक और शैतान अल्लाह तआला के ख़ालिक़ होने का इक़रार करते थे और अगर कोई मुसलमान भी कम्यूनिस्टों की तरह कहे कि उस चीज़ को फ़ितरत ने पैदा किया है या वह ऐसे ही अस्तित्व (वजूद) में आ गयी है तो वह भी कुफ़्र का काम करता है।

२. अगर कोई इंसान यह दावा करे कि वह रब है जैसाकि फ़िरऔन ने कहा था :

﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى﴾

"मैं तुम्हारा रब हूँ।" (अन्नाज़िआत-८४)

तो वह ऐसा दावा करने से काफ़िर हो जाता है।

३. रब के वजूद को मानने के साथ यह भी आस्था (अक़ीदा) रखना कि दुनिया में कुछ वली और कुतुब हैं जो सृष्टि की व्यवस्था करते और उसका निज़ाम चलाते हैं, ऐसा कहने वाले अपने अक़ीदे में इस्लाम से पहले के मुशरिकों से भी बदतर हैं क्योंकि वे मुशरिक यह अक़ीदा रखते थे कि सृष्टि की व्यवस्था करने वाला और उसका निज़ाम चलाने वाला केवल अल्लाह तआला है जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ﴾

"उन (काफ़िरों) से पूछिये कि तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी देने वाला कौन है? कौन हो जो तुम्हारी सुनने और देखने

की ताक़त का मालिक है ? और कौन है जो मुर्दों को ज़िन्दा और ज़िन्दों को मुर्दा से निकालता है और कौन है जो सृष्टि की व्यवस्था को चलाता है ? तो वे कहेंगे कि वह अल्लाह तआला की ज़ात है तो उनसे कहो कि फिर तुम (अपने उस अल्लाह से) डरते क्यों नहीं हो ।" (यूनुस-३१)

४. कुछ गुमराह सूफ़ी यह कुफ्र वाला अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह तआला सृष्टि के भीतर समा गये हैं, जैसेकि दमिश्क़ में दफ़न किये गये इब्ने अरबी सूफ़ी का कहना है कि (रब बन्दा और बन्दा रब है, काश मैं जान लेता कि मुकल्लफ़ कौन है) और उन के एक-दूसरे शैतान का कहना है कि सूअर और कुत्ते हमारे रब हैं और गिरजा के अन्दर जो राहिब है वही अल्लाह है ।

और उन भटके हुए सूफ़ियों के इमाम हल्लाज ने जब यह कहा कि मैं वह (अल्लाह) और वह (अल्लाह) में हूँ तो आलिमों ने उस के क़त्ल का फ़त्वा दे दिया, अतएव उस को क़त्ल कर दिया गया।

और अल्लाह के समा जाने की यह अक़ीदा अगर पुराने ज़माने में पायी जाती थी तो आज के दौर में भी इस अक़ीदा को अपनाने वाले शैतानों की कमी नहीं।

इबादत में शिर्क करना :

२. ईमान के ख़िलाफ़ मामलों में से दूसरी चीज़ यह है कि इबादत के लायक़ माबूद का इंकार किया जाये या उस की इबादत में दूसरों को भी साझीदार बनाया जाये । उस की कई क़िस्में हैं :

१. वे लोग जो सूरज, चाँद, सितारों, पेड़ों और शैतानों जैसी मख़लूकों

की पूजा करते हैं हालाँकि ये चीजें अपने लिए भी किसी फ़ायदे और नुक़सान की मालिक नहीं, दूसरों को फ़ायेदा पहुँचाना तो दूर की बात है।

और अल्लाह तआला की इबादत नहीं करते जो कि उन चीज़ों का ख़ालिक़ और मालिक है। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

"और उस (अल्लाह) की निशानियों में से रात, दिन, सूरज और चाँद हैं, अगर तुम केवल उसी (अल्लाह) की इबादत करने वाले हो तो फिर सूरज चाँद के लिए सज्दा न करो बल्कि उसी अल्लाह को सज्दा करो जिस ने उन को पैदा किया है।" (हा॰ मीम॰ अस्सजदा-३७)

२. इबादत में शिर्क के बारे में दूसरी क़िस्म ऐसे लोगों की है जो अल्लाह की इबादत करते हैं लेकिन उसके साथ वलियों की मूर्तियों या क़ब्रों में दफ़नाये गये मख़लूकों को उसकी इबादत में शरीक़ कर लेते हैं, उनकी हालत बिल्कुल इस्लाम से पहले के अरब के मुशरिकों जैसी है जो अल्लाह की इबादत करते और कठिन घड़ी में केवल उसी को पुकारते, लेकिन जब मुश्किल हल हो जाती और आसानी का समय होता तो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते, जैसाकि क़ुरआन करीम इस तरह उन की हालत बयान फ़रमा रहा है:

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾

"जब वे (मुशरिक) नाव में सवार होते तो अल्लाह के लिए दीन ख़ालिस करते हुए केवल उस से दुआ करते और जब (अल्लाह तआला) उन्हें बचाकर खुशकी में ले जाता तो फिर उस के साथ शिर्क करने लगते।" (अल-अनकबूत-६५)

इस आयत में अल्लाह तआला ने उन्हें मुशरिक क़रार दिया हालाँकि वे जब नाव डूबने का ख़तरा महसूस करते तो केवल अल्लाह ही को पुकारते और यह इसीलिए कि यह मुशरिक लोग केवल अल्लाह से दुआ करने पर बरक़रार नहीं रहते थे, बल्कि जब समुद्र से निकल आते तो अल्लाह के सिवा दूसरों से दुआयें माँगते थे।

३. अब सोचने की बात यह है कि अगर अल्लाह तआला ने इस्लाम से पहले के अरब मुशरिकों को काफिर क़रार दिया है और अपने नबी ﷺ को उन से जंग करने का हुक्म दिया है इस के बावजूद कि वे कठिन घड़ियों में अपने बुतों को भूल कर केवल अल्लाह की इबादत करते थे, तो फिर ऐसे मुसलमानों का क्या हाल होगा जो केवल आम हालत ही में नहीं बल्कि कठिन घड़ियों में भी अल्लाह को छोड़कर मुर्दा वलियों की क़ब्रों पर जाकर स्वास्थ्य, लाभ, रोज़ी और हिदायत जैसी वे चीजें माँगते हैं जो केवल अल्लाह तआला के कुदरत में हैं, और उन वलियों के पैदा करने वाले को भूल जाते हैं जो अकेला है, स्वास्थ्य, लाभ, हिदायत और रोज़ी जैसी चीज़ों का मालिक है और उस के मुक़ाबले में ये वली किसी नफ़ा या नुकसान के मालिक नहीं हैं, बल्कि वह तो पुकारने वालों की पुकार सुनने का भी सामर्थ्य (कुदरत) नहीं रखते। जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾

"और वे लोग जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वह तो खजूर की गुठली के बराबर चीज़ के भी मालिक नहीं, अगर तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी दुआ नहीं सुन सकते और अगर (मान लो) सुन भी लें तो उसे क़ुबूल नहीं कर सकते और क़ियामत के दिन वह तुम्हारे उस शिर्क का इंकार कर देंगे और तुम्हें हर चीज़ की ख़बर देने वाली ज़ात (अल्लाह तआला) की तरह कोई नहीं बतायेगा।" (फ़ातिर-१४)

इस आयत में अल्लाह तआला ने खुले तौर पर बयान कर दिया है कि मरे हुए अपने पुकारने वालों की दुआयें नहीं सुनते और यह कि मुर्दों से दुआ करना बड़ा शिर्क है।

मुमकिन है कि कोई कहने वाला यह कहे कि हम यह अक़ीदा नहीं रखते कि यह वली या बुज़ुर्ग किसी लाभ या हानि के मालिक हैं बल्कि हम तो केवल अल्लाह की निकटता हासिल करने के लिए उन बुर्ज़गों का वास्ता देते हैं या दूसरे शब्दों में हम अपनी दुआयें उन बुज़ुर्गों तक और ये बुज़ुर्ग हमारी दुआयें अल्लाह तक पहुँचा देते हैं।

तो इस का जवाब यह है कि ऐसी बातें करने वालों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह का अक़ीदा मक्का के मुशरिकों की थी जिन के बारे में क़ुरआन करीम में आया है :

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ

شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"और ये मुशरिक अल्लाह को छोड़ कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो उन के किसी लाभ या हानि के मालिक नहीं। और कहते हैं कि यह माबूद अल्लाह के यहाँ हमारे सिफ़ारिशी होंगे। तो (ऐ नबी अकरम!) उन से कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह तआला को आसमान व ज़मीन की कोई ऐसी बात बताना चाहते हो जो उसे मालूम न हो ? (यानी अल्लाह तआला उनके उस गुमराह करने वाली आस्थाओं (अक़ीदों) से अच्छी तरह अवगत (वाकिफ़ है) वह ज़ात (अल्लाह तआला) उन के उस शिर्क से पाक़ और ऊँचा है।" (यूनुस : १८)

अत: यह आयत भी उस बात की दलील हुई कि ग़ैरुल्लाह की इबादत करने वाला और उसे पुकारने वाला मुशरिक है, अगरचे उसका यह अक़ीदा हो कि यह (बुज़ुर्ग) किसी फ़ायदे और नुक़सान के मालिक नहीं केवल मेरे सिफ़ारिशी हैं।

इसी तरह अल्लाह तआला मुशरिकों के बारे में दूसरी जगह फ़रमाते हैं :

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفَى إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

"और वे लोग जिन्होंने अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को अपना औलिया बना लिया है (वह यह कहते हैं) कि हम उन (माबूदों)

की इबादत नहीं करते मगर इसलिए कि यह हमें अल्लाह से क़रीब कर देते हैं, बेशक अल्लाह तआला उनकी ऐसी 'बहकी-बहकी' बातों में फैसला फ़रमायेंगे और अल्लाह तआला किसी झूठे और कुफ्र करने वालो को हिदायत नहीं देते।" (अज़-ज़ुमर : ३)

यह आयत भी खुली दलील है कि क़ुर्बत पाने की नीयत से ग़ैरुल्लाह को पुकारने वाला काफ़िर है, क्योंकि पुकारना और दुआ करना इबादत में से है, जैसाकि तिर्मिज़ी की सही हसन हदीस में है।

इसी तरह की एक दूसरी आयत में अल्लाह ने ऐसे मुशरिकों की हक़ीक़त बयान करते हुए फ़रमाया है :

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ٥ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾

"और उस इंसान से बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों को पुकारता है जो क़ियामत तक उसके पुकारों को सुनने के क़ाबिल नहीं, बल्कि वह तो वैसे ही उसकी पुकारों से बेख़बर हैं, और जब (क़ियामत के दिन) लोगों को इकट्ठा किया जायेगा तो उस (मुशरिक) के यही माबूद दुश्मन बन जायेंगे और जो उन की इबादत किया करता था उस का इंकार कर देंगे।" (अल-अहक़ाफ़ : ५,६)

४. अल्लाह तआला के अवतरित आदेश और सीमाओं को लागू न करना भी ईमान को तोड़ने वालों में से है, ख़ास तौर पर अगर कोई

इंसान यह समझे कि ये सीमायें इस ज़माने में लागू नहीं किये जा सकते ।

या इस्लामी शरीयत का विरोध (मुख़ालफ़त) करने वाले क़ानूनों को लागू करना जायेज़ समझता हो क्योंकि शरीयत को लागू करना भी एक श्रेष्ठ (बेहतर) इबादत है और अल्लाह तआला के सिवा किसी को क़ानून बनाने का हक़ देना ऐसा ही शिर्क है जैसे बुतों की पूजा करना शिर्क है । अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾

"अल्लाह (तआला) के सिवा किसी के लिए हाकमियत नहीं है, उस ने हुक्म दिया है कि तुम उस अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, यही सच्चा दीन है लेकिन ज़्यादातर लोग जानते नहीं ।" (यूसुफ़-४०)

आगे आया है :

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

"और जो लोग अल्लाह के अवतरित (नाज़िल) शरीयत से फ़ैसला नहीं करते वही काफ़िर लोग हैं ।" (अल-मायद:-४४)

लेकिन वह इंसान जो अल्लाह की शरीयत को अमल के क़ाबिल तो समझता है लेकिन नफ़्स की इच्छाओं या किसी मजबूरी को देखते हुए वह शरीयत का फ़ैसला नहीं करता तो ऐसा इंसान काफ़िर नहीं बल्कि ज़ालिम या फ़ासिक़ होगा । जैसाकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हुमा का फ़रमान है :

जो इंसान अल्लाह तआला की हाकमियत को क़ुबूल न करे वह काफ़िर है और जो क़ुबूल तो करे लेकिन उसके द्वारा फ़ैसला न करे तो वह ज़ालिम और फ़ासिक़ होगा।

यही अल्लामा इब्ने जरीर का कथन (क़ौल) भी है और हज़रत अता फ़रमाते हैं कि ऐसा करना भी छोटा कुफ़्र है।

लेकिन जो इंसान अल्लाह की शरीयत को ख़त्म करके कोई मानवीय क़ानून लागू करे और समझे कि यही क़ानून अमल के क़ाबिल है तो उस का यह अमल उसको इस्लाम से ख़ारिज कर देगा, इस पर सभी सहमत हैं।

५. ईमान को नकारने वाले मामलों में यह भी आता है कि कोई इंसान अल्लाह के आदेशों (हुक्म) पर रज़ामन्द न हो या उन्हें क़ुबूल करने में तंगी और घुटन महसूस करे, जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"(ऐ नबी ﷺ) तेरे रब की क़सम! ये लोग उस समय तक मोमिन नहीं बन सकते जब तक वे अपने विवादों (झगड़ों) में तुम से फ़ैसला नहीं लेते और फिर आप के फ़ैसले को क़ुबूल करने में किसी तरह की तंगी या आपत्ति महसूस न करें बल्कि उस के सामने अपना सिर झुका दें।" (अन-निसा-६५)

और अगर अल्लाह के रसूल ﷺ की ज़िंदगी में मुसलमानों के लिए नबी अकरम ﷺ का फ़ैसला क़ुबूल करना और उसे क़ुबूल करना ज़रूरी था तो उन की मौत हो जाने के बाद उन की सुन्नत को अमल में लाना और उस से फ़ैसला लेना ज़रूरी होगा।

और अल्लाह के आदेशों को स्वीकार (क़ुबूल) करने में कराहत का प्रदर्शन (इज़हार) ऐसा काम है जिस से इंसान के सभी कर्म (अमल) बरबाद हो जाते हैं। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाते है :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

"और यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के अवतरित आदेशों को नापसन्द किया तो अल्लाह तआला ने उन के आमाल बरबाद कर दिये।" (मुहम्मद-९)

अल्लाह के नामों और सिफ़ातों (विशेषताओं) का इंकार या उस में शिर्क :

१. ईमान विरोधी मामलों में यह भी है कि कोई इंसान अल्लाह तआला की किताब और सुन्नत में साबित नामों और विशेषताओं (फ़ज़ीलतों) का इंकार करे, जैसे कोई इंसान अल्लाह के पूर्ण ज्ञान (इल्म), उसका सामर्थ्य (क़ुदरत), ज़िन्दगी, देखने और सुनने की शक्ति, उसकी वाणी, रहमत या उस के अर्श पर उच्च और स्थापित (क़ायम) होना, आसमाने दुनिया पर नाज़िल होना, या उस के हाथ, पाँव, आँखें, टाँगें और उस जैसी अल्लाह तआला के लायक़ और मख़लूक़ात से न मिलने-जुलने वाली विशेषताओं का इंकार करे। क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"उस (अल्लाह) जैसी कोई भी चीज नहीं, और वह सुनने वाला और देखने वाला है।" (अश्शूरा-११)

इस आयत में अल्लाह तआला ने अपने आप को मख़लूक़ से अलग होने और अपने लिए सुनने और देखने की ताक़त को ज़ाहिर करके यह बता दिया है कि उस के बाक़ी गुण भी ऐसे ही हैं।

२. इसी तरह कुछ साबित विशेषताओं की तावील या उन्हें उन के ज़ाहिरी अर्थ से बदलाव करना भी बहुत बड़ी ग़लती और गुमराही है, जैसेकि अर्श पर उच्च होने को सामर्थ्य होना से तावील करना जबकि इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुख़ारी में इमाम मुजाहिद और अबुल आलिया से इस्तवा की व्याख्या इरतिफ़ाअ और बुलन्दी के अर्थ में नक़ल किया है और दोनों की गिनती अस्लाफ़ में है क्योंकि दोनों ताबई हैं। सिफ़ात की तावील करना उनको नकारने के समान है अतएव 'इस्तवा' की तावील 'इस्तीला' से करने से अल्लाह की साबित विशेषताओं में से एक का इंकार हो जाता है, जबकि अल्लाह तआला अर्श पर बुलन्द है यह सिफ़त (गुण) क़ुरआन और हदीस से साबित है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

"रहमान (अल्लाह तआला) अर्श पर ऊँचा और बुलन्द हुआ।" (ताहा-५)

आगे फ़रमाते हैं :

﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ﴾

"क्या तुम उस ज़ात से मामून हो गये जो आसमान पर है कि वह तुम्हें ज़मीन में धँसा दे।" (अल-मुल्क-१६)

अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

((إنَّ الله كَتَبَ كِتَابًا .. فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ)) [متفق عليه].

"अल्लाह तआला ने सृष्टि रचने से पहले एक किताब लिखी जिस में यह है कि मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर सबक़त ले गयी और वह किताब अल्लाह के यहाँ अर्श पर लिखी है।" (बुख़ारी)

शैख़ मुहम्मद अमीन शनक़ीती (साहबे अज़वाउल बयान) फ़रमाते हैं कि अल्लाह की विशेषताओं (फ़ज़ीलतों) की तावील हक़ीक़त में उसे बदल डालना है।

अतएव वह अपनी किताब "मन्हज व देरासात फिल अस्माए वस्सिफ़ात" में लिखते हैं कि हम अपने इस लेख को दो बातों पर ख़त्म कर रहे हैं।

"अल्लाह तआला का यह फ़रमान तावील करने वालों के सामने होना चाहिए जिस में अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल को जब 'हित्ता' कहने का हुक्म दिया तो उन्होंने उसे 'हिन्ता' से बदल दिया और 'नून' की बढ़ौत्तरी कर दी।"

अतएव अल्लाह तआला ने सूरह बक़र: में उन के उस कर्म (अमल) को बयान करते हुए फ़रमाया :

﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾

"ज़ालिमों ने जब बात (हित्ता) को उस के अलावा 'हिन्ता' से बदल दिया तो हम ने फिर ज़ालिमों पर उन की नाफ़रमानी की वजह से आसमान से अज़ाब नाज़िल किया।" (अल-बक़र:-५९)

इस तरह जब तावील करने वालों से 'इस्तवा' कहा गया तो उन्होंने इस में 'लाम' की बढ़ौत्तरी करके उसे 'इस्तीला' बना दिया, इसलिए उन की इस 'लाम' की बढ़ौत्तरी बिल्कुल यहूदियों की 'नून' की बढ़ौत्तरी के समान है। (इसका उल्लेख इब्ने अल-कैय्यम ने किया है)

३. अल्लाह तआला की कई ऐसी विशेषतायें हैं जो उस के लिए ख़ास हैं और कोई दूसरी ज़ात उन विशेषताओं में अल्लाह तआला की शरीक़ नहीं हो सकती जैसाकि ग़ैब (परोक्ष) का इल्म (ज्ञान) है। इस के बारे में अल्लाह तआला क़ुरआन मजीद में फ़रमाते हैं :

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ﴾

"और उसी (अल्लाह) के पास ग़ैब का इल्म है जिसे उस के सिवा कोई नहीं जानता।" (अल-अनआम-५९)

लेकिन कभी-कभी अल्लाह तआला अपने रसूलों को वह्य के ज़रिये कुछ ग़ैबी चीज़ें बता देता है जैसाकि क़ुरआन में आया है :

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾

"(अल्लाह तआला ही) ग़ैब का इल्म जानने वाला है और वह किसी को भी अपने इस इल्म ग़ैब पर ख़बर नहीं करता, सिवाय अपने रसूलों में से जिसे चाहे।" (अल-जिन्न-२६,२७)

फिर अल्लाह तआला अपने किसी रसूल को वह्यी के ज़रिया ग़ैब की चीज़ें बता देता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उस रसूल के पास ग़ैब का इल्म है, क्योंकि यह तो केवल अल्लाह के दिये हुए इल्म में से है और किसी मख़लूक़ के लिए संभव (मुमकिन) नहीं कि वह अपने आप ग़ैब का ज्ञान (इल्म) हासिल कर सके।

हज़रत आईशा रज़िअल्लाहु अन्हा फ़रमाती थीं :

"जो इंसान यह कहता है कि अल्लाह के रसूल ﷺ को ग़ैब का इल्म था वह झूठा है।" (बुख़ारी)

इस से मालूम हुआ कि अल-बूसैरी के वे काव्य-छन्द जो उस ने अल्लाह के रसूल ﷺ के बारे में ग़ैब के बारे में लिखे हैं वह उस के कुफ़्र और गन्दी मानसिकता को उजागर करते हैं।

अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ﴾

"(ऐ मेरे नबी ﷺ) कह दो कि आसमानों और ज़मीनों में ग़ैब जानने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं।" (अन-नमल-६५)

और अगर नबियों को ग़ैब का इल्म नहीं तो फिर वलियों को ग़ैब का इल्म कैसे हो सकता है, बल्कि उन्हें तो उन ग़ैबी चीज़ों का भी इल्म नहीं होता जो अल्लाह तआला वह्यी के ज़रिया अपने रसूलों को बताते है और वह इसलिए कि उन वलियों पर वह्यी नाज़िल नहीं होती और वह्यी का उतरना होना नबियों के साथ ख़ास है।

अतएव जो इंसान भी ग़ैब के इल्म का दावा करे या दावा करने वाले की तसदीक़ करे तो उस ने अपना ईमान बरबाद कर दिया। अल्लाह के रसूल ﷺ का फ़रमान है :

((مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ)) [صحيح، رواه أحمد].

"जो इंसान किसी ज्योतिष या नजूमी के पास (छिपी बातें पूछने के लिए) आये और फिर उस की बातों की तसदीक़ कर दे तो

उस ने मुहम्मद ﷺ पर नाज़िल होने वाले (क़ुरआन) को झुठला दिया।" (सही अहमद)

इस तरह के दज्जालों, काहिनों और नजूमियों आदि (वग़ैरह) की बतायी जाने वाली ख़बरें हक़ीक़त में उन के अनुमान, इत्तेफ़ाक़ात और शैतानी वसवसा का नतीजा होती हैं और अगर वे सच्चे होते तो फिर उन्हें चाहिए था कि इस्लाम के दुश्मनों की साज़िशों से बाख़बर करते और लोगों पर बोझ बन कर गुमराह करने वाले तरीक़ों से माल इकट्ठा करने के बजाय अपने लिए ज़मीन के ख़ज़ाने निकाल लेते।

"अल्लाह के रसूल ﷺ का कहना है कि जो इंसान किसी नजूमी के पास कोई बात पूछने के लिए आये तो उस की नमाज़ चालीस दिन तक क़ुबूल नहीं होती।" (मुस्लिम)

कुछ लोग जब अल्लाह के रसूल ﷺ के कुछ ग़ैबी मामलों के बारे में हदीस जैसाकि आख़िरत का हाल-चाल और भविष्य (मुस्तक़बिल) के बारे में भविष्यवाणी पढ़ते या सुनते हैं तो उन्हें यह भ्रम होता है कि आप को ग़ैब का इल्म था।

इसलिए इस बारे में यह मालूम होना चाहिए कि वह ग़ैबी चीज़ें थीं जिन का इल्म अल्लाह तआला ने अपने नबी ﷺ को वहयी या किसी दूसरे ज़रिये से दिया था, इसलिए यह कहना सही नहीं कि आप को ग़ैब का इल्म था, ग़ैब का इल्म तो तब होता जब आप ﷺ को ऐसी बातें अपने आप मालूम हो जातीं।

ईमान को तोड़ने वाली चीज़ की चौथी क़िस्म :

चौथी क़िस्म यह है कि रसूलों के बारे में ज़ुबान दराज़ी की जाये, इसलिए किसी रसूल की रिसालत का इंकार करना या उस की ज़ात में ताना़ज़नी करना भी ईमान को नकारने वाली चीज़ है।

१. मुहम्मद ﷺ की रिसालत का इंकार करना ईमान को नकारना है। क्योंकि मुहम्मद ﷺ के लिए अल्लाह का रसूल होने की गवाही देना ईमान के अरकानों में से है।

२. अल्लाह के रसूल ﷺ के सच्चे होने, अमानत और इफ़्फ़त में तान करना उनका मज़ाक़ उड़ाना, उन्हें हक़ीर ख़्याल करना या उन के मुबारक कामों में ताना मारना।

३. अल्लाह के रसूल ﷺ की सही हदीसों में तान करना या उन्हें झुठलाना, या फिर आप ﷺ की उन हदीसों का इंकार करना जिन में रसूल ﷺ ने दज्जाल के आने और ईसा अलैहिस्सलाम के द्वारा शरीयत लागू करने के लिए भविष्यवाणी की थी।

४. नबी अकरम ﷺ से पहले आने वाले रसूलों का इंकार करना या क़ुरआन और हदीस में बयान उन रसूलों और उनकी क़ौमों के बीच पेश आने वाली घटनाओं (वाक़ेआत) का इंकार करना।

५. मुहम्मद ﷺ के बाद नबूअत का दावा करने वाला इंसान भी काफ़िर है, जैसाकि ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबी होने का दावा किया, अल्लाह तआला ने क़ुरआन करीम में ऐसे दज्जालों को झुठलाते हुए कहा।

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾

"मुहम्मद (ﷺ) मर्दों में किसी के बाप नहीं, बल्कि वह अल्लाह के रसूल और नबियों में आख़िरी नबी हैं।" (अल-अहज़ाब: ४०)

इसी तरह अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

((...أَنَا العَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ..)) [متفق عليه].

"मैं आख़िर में आने वाला हूँ, जिस के बाद कोई नबी नहीं आयेगा।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

और जो भी इंसान इस बात का समर्थन (ताईद) करता है कि मुहम्मद ﷺ के बाद ग़ुलाम अहमद क़ादियानी या दूसरा कोई नबी है तो उस ने कुफ़्र का काम किया और उस का ईमान बरबाद हो गया।

६. ईमान को नकारने वाले कामों में से एक यह भी है कि अल्लाह के रसूल ﷺ को कोई ऐसी विशेषता (फ़ज़ीलत) प्रदान थी जो अल्लाह के लिए ख़ास हो, जैसाकि कुछ भटके हुए सूफ़ियों ने आप ﷺ को मुतलक़ ग़ैब के इल्म से ख़ास किया है।

७. उसी तरह वे लोग हैं जो आप ﷺ से नुसरत, मदद और शिफ़ा (स्वास्थ्य लाभ) जैसी वे चीज़ें माँगते हैं जो केवल अल्लाह के सामर्थ्य (क़ुदरत) शक्ति के अन्दर है, जैसाकि आज के बहुत से मुसलमानों की यही हालत है।

हालाँकि अल्लाह तआला का फ़रमान है :

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾

"और नुसरत तो केवल अल्लाह (तआला) ही देने वाला है।" (अल-अंफ़ाल-१०)

और अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

((إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ)) [رواه الترمذي].

"जब माँगो तो केवल अल्लाह से माँगो और जब मदद लो तो केवल अल्लाह से मदद लो।" (तिर्मिज़ी, हसन)

और अल्लाह तआला ने अपने नबी ﷺ को सम्बोधित (मुख़ातिब) करते हुए फ़रमाया :

﴿قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ رَشَدًا ٥ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾

"ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारे लिए किसी नुक़सान व हिदायत का मालिक नहीं हूँ। और कह दो कि मुझे कोई अल्लाह से बचाने वाला नहीं और उस (अल्लाह) के सिवा मेरा कोई मलजा और मावा नहीं।" (अल-जिन्न:-२१,२२)

यानी तुम को नफ़ा और नुकसान पहुँचाना तो अलग अपना नफ़ा और नुकसान भी मेरे क़ब्जे में नहीं, अगर मान लो कि मैं अल्लाह की नाफ़रमानी करूँ तो कोई इंसान नहीं जो मुझे अल्लाह की पकड़ से बचा ले और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भाग कर पनाह ले सकूँ।

और अगर यह हालत नबियों के इमाम और दोनों जहान के सरदार, मुहम्मद मुस्तफ़ा ﷺ की है तो उन से हज़ारों गुना कम औलिया और बुज़ुर्गों की क्या हालत होगी, जिन पर ग़ैब के इल्म जानने का आरोप (इल्ज़ाम) लगाया जाता है, उन के नाम की नियाज़ें माँगी जाती हैं और उन से रोज़ी, सेहत और मदद व नुसरत माँगी जाती है, उन के लिए क़ुर्बानी की जाती है।

८. हम रसूलों के चमत्कार (मोजिज़े) और वलियों के करामातों को नकारते नहीं, लेकिन उन नबियों और वलियों को अल्लाह का शरीक बना लेने को जायेज़ नहीं समझते और जिस तरह अल्लाह को पुकारा जाता है ऐसे ही उन नबियों और वलियों को पुकारने और जैसे अल्लाह के लिए नज़रें और नियाज़ें दी जाती हैं ऐसे ही उन नबियों व वलियों के लिए भी नज़रें देने और क़ुर्बानी देने को हराम क़रार देते हैं।

(मुसलमानों की दीन से अज्ञानता और किताब व सुन्नत से दूर होने के कारण मुशरिकों वाले रस्मों रिवाज इस हद तक फैल चुके हैं कि शायद ही कोई बस्ती या मुहल्ला आप को किसी ऐसे मज़ार से ख़ाली नज़र आये जिस की अल्लाह के सिवा इबादत न की जा रही हो और अल्लाह की राह में सदक़ा व ख़ैरात करने के बदले इस क़ब्र वाले के नाम पर चढ़ावे न चढ़ाये जा रहे हों।)

यहाँ तक कि इस क़िस्म के कथित वलियों की क़ब्रों पर दौलत के ढेर लग जाते हैं और इन क़ब्रों पर बैठने वाले मुजाविर और गद्दी नशीन इस दौलत को बाँट लेते हैं, इस के मुक़ाबले में कितने ही ग़रीब लोग भूखों मर जाते हैं जिन्हें रोटी का नवाला तक नसीब नहीं होता, अरबी भाषा के किसी कवि (शायर) ने क्या खूब कहा है।

बेचारे जिन्दा लोगों को एक पायी भी नसीब नहीं होती, जबकि मुर्दों पर लाखों रूपये निछावर कर दिये जाते हैं।

गुमराही और मुर्खता की चरम सीमा केवल यही नहीं है बल्कि आप को बहुत से मज़ार और दरगाहें ऐसी मिलेंगी जिन की कोई हक़ीक़त नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ भटके हुए पीरों और मुजाविरों की पैदावार है, ताकि वह उन मज़ारों का झाँसा देकर लोगों से नज़र-नियाज़ और माल इकट्ठा कर सकें, और इस बात की सच्चाई के लिए हज़ारों घटनायें मौजूद हैं लेकिन यहाँ केवल दो घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है जिन से आप उन अपने आप बनने वाले वलियों और उनके मज़ारों की सच्चाई का अनुमान लगा सकते हैं।

१. मेरे एक साथी उस्ताद का कहना है कि सूफ़ियों का एक पीर अपनी माँ के पास आया और उस से एक ख़ास सड़क पर हरा

झण्डा लगाने के लिए चन्दा माँगा ताकि लोगों को मालूम हो कि यहाँ किसी अल्लाह के वली को दफ़न किया गया है, इसलिए उस की माँ ने उसे कुछ पैसे दे दिये जिस से उस ने हरा कपड़ा ख़रीदा और झण्डा लगा दिया और लोगों से कहने लगा कि यहाँ अल्लाह का वली दफ़्न है, जिस की ज़ियारत का सौभाग्य मुझे स्वप्न (ख़्वाब) में प्राप्त हुआ, इस तरह से उस ने लोगों को चक्कर देकर माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया, फिर जब हुकूमत ने सड़क चौड़ा करने लिए वह स्वयं (ख़ुद) रचित क़ब्र वहाँ से हटानी चाही तो उस पीर ने यह अफ़वाह फैला दी कि जिस मशीन से क़ब्र गिराने की कोशिश की गयी वह मशीन टूट गयी, कुछ लोगों ने इस अफ़वाह को सच माना और यह अफ़वाह आम हो गयी जिस से हुकूमत क़ब्र न खोदने पर मजबूर हो गयी, फिर उस मुल्क के मुफ़्ती साहब ने मुझे बताया कि हुकूमत ने मुझे आधी रात के समय क़ब्र के पास बुलाया (ताकि उस क़ब्र की सच्चाई मालूम हो जाये) फ़रमाते हैं जब मशीनों और क्रेन से उसकी खुदाई की गयी तो मुफ़्ती साहब ने क़ब्र के अन्दर देखा तो वह बिल्कुल ख़ाली थी जिस से यह समझ में आया कि यह सब झूठ और फ्राड था।

२. दूसरा क़िस्सा हरम (बैतुल्लाह) के एक अध्यापक ने सुनाया कि दो फ़क़ीर आपस में मिले और एक-दूसरे से अपनी दयनीय स्थिति (बुरी हालत) की शिकायत की, तभी उनकी नज़र एक स्वंय (ख़ुद) रचित वली की क़ब्र पर पड़ी जिस पर माल और दौलत निछावर किया जा रहा था, यह देख कर उन में से एक फ़क़ीर ने कहा, क्यों न हम भी कोई क़ब्र खोदकर किसी वली को दफ़्न कर दें, ताकि हम को भी माल व दौलत मिलने लगे। दूसरे फ़क़ीर ने इस

विचार पर रज़ामंदी (सहमति) ज़ाहिर की और दोनों चल पड़े, रास्ते में उन्हें एक चीख़ता हुआ गदहा दिखाई दिया तो उन्होंने उसे ज़िब्ह करके एक गढ़े में दबा दिया और उस पर मज़ार बना दिया, फिर उस से तबर्रूक हासिल करने के लिए दोनों उस पर लोटने लगे, जब कुछ आने-जाने वालों ने उन से पुछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ हबीश बिन तबीश (बाबा गदहे शाह) नाम के एक वली दफ़्न हैं, जिनकी करामतें बयान से बाहर हैं, लोग भी उन फ़क़ीरों की इन बातों से धोखा खा गये और उन्होंने उस पर नज़रें, नियाज़ और चढ़ावे चढ़ाना शुरू कर दिये, जब काफी माल इकट्ठा हो गया तो उन फ़क़ीरों का उस के बँटवारे को लेकर मतभेद हो गया, अतएव जब आपस में झगड़ा करने लगे तो राहगीर इकट्ठे हो गये, दोनों फ़क़ीरों में से एक ने कहा : मैं उस क़ब्र वाले वली की क़सम खाता हूँ कि मैंने तुम से कुछ भी नहीं लिया, दूसरे ने कहा : तुम उस के वली होने की कैसे क़सम खाते हो जबकि हम दोनों को मालूम है कि हम ने तो यहाँ पर गदहा दफ़्न किया है, लोग़ उनकी ये बातें सुनकर आश्चर्य चकित रह गये और उन्हें गालियाँ देते हुए अपने नजरो नियाज का माल वापस ले गये।

(मालूम होता है कि उन फ़क़ीरों को चक्करबाज़ी की कला में महारत हासिल न थी, यदि कुछ दिन किसी पीर या मुल्ला साहब से प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) ले लेते तो निश्चय ही उन्हें झगड़ने की कोई ज़रूरत पेश न आती।)

पाठको! तनिक विचार कीजिए कि ये हैं घोड़ो, गदहों और कुत्तों पर निर्मित मज़ार शरीफ़ जिन्हें वलियों का नाम देकर जन-मानस को गुमराह किया जा रहा है, इंसान जिसको अल्लाह तआला ने सर्वश्रेष्ठ

मख़लूक होने का गौरव प्रदान किया है वह कुत्तों, गदहों और मिट्टी के ढेरों को अपना खुदा बना बैठा है, लेकिन सच्चाई यह है कि शिर्क ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े अक्लमंद लोगों की अक्ल (बुद्धि) पर भी पर्दा डाल देती है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

"और बेशक हम ने बहुत से जिनों और इंसानों को जहन्नम (नरक) के लिए तैयार किया है जिन के दिल तो हैं लेकिन समझने के लायक़ नहीं, उन की आँखें हैं जिन से देखते नहीं, उन के कान हैं लेकिन सुनते नहीं, ऐसे लोग जानवरों की तरह बल्कि उन से भी बदतरीन भटके हुए हैं, यही ग़ाफ़िल लोग हैं।" (अल-आराफ़ : १७९)

जब उन लोगों ने अपने दिल और दिमाग़ और कान और आँख को अल्लाह के दीन को समझने और अल्लाह की मख़लूक़ में विचार-विमर्श (सोच-फ़िक्र) करने में नहीं लगाया तो जानवरों से भी कम दर्जा में जा पहुँचे। मख़लूकों पर विचार-विमर्श भी इंसान को सच्चे रास्ते पर लाने का बहुत बड़ा ज़रिया है। क्योंकि सृष्टि का कण-कण अल्लाह की वहदानियत का मज़हर है।

क़ुफ़्र वाले कुछ बातिल अक़ीदे

१. यह अक़ीदा रखना कि अल्लाह तआला ने दुनिया मुहम्मद ﷺ की वजह से पैदा की है जिसकी बुनियाद एक मनगढ़न्त हदीस को बनाया जाता है कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

ऐ मुहम्मद यदि तुम न होते तो मैं दुनिया को पैदा ही न करता।

अल्लामा इब्ने जौज़ी رحمه الله फ़रमाते हैं कि यह हदीस झूठी और मनगढ़न्त है क्योंकि इस क़िस्म का अक़ीदा अल्लाह तआला के उस फ़रमान का विरोधी (मुख़ालिफ़) है :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾

"यानी मैंने जिनों और इंसानों को केवल अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।" (अज़्ज़ारियात : ५६)

बल्कि मुहम्मद ﷺ का उद्देश्य (मक़सद) भी अल्लाह तआला की इबादत ही था, जैसाकि अल्लाह तआला आप ﷺ से फ़रमाते हैं :

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾

"अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ पहुँचे।" (अल-हिज्र : ९९)

इसी तरह सभी रसूलों की पैदाईश का मक़सद भी अल्लाह की इबादत के लिए दावत देना था, जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

"और बेशक हम ने हर उम्मत की ओर रसूल भेजा ताकि तुम अल्लाह की इबादत करो और ग़ैरूल्लाह की इबादत से बचो।" (अन-नहल : ३६)

ये सभी चीज़ें मालूम हो जाने के बाद एक मुसलमान को कैसे शोभा (ज़ेब) देता है कि वह क़ुरआन करीम और रसूलों के तरीक़े के ख़िलाफ़ अक़ीदा अपनाये।

२. यह कहना कि अल्लाह तआला ने सब से पहले नूरे मुहम्मदी पैदा किया और फिर उस से दूसरी चीज़ें पैदा कीं, यह भी ऐसा गुमराह करने वाला अक़ीदा है जिसकी कोई दलील नहीं। ताज्जुब यह है कि इस क़िस्म की बातों का बयान मिस्र के एक मशहूर आलिम मुहम्मद मुतवल्ली शाअरावी ने अपनी किताब (अन्त तस्अल वल-इस्लाम युजीब) में अन-नूर अल मुहम्मदी और बिदायतुल ख़लक़ शीर्षक से किया है। वह लिखते हैं कि उन से सवाल किया गया :

सवाल: एक हदीस में आता है कि जब जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़िअल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल ﷺ से पूछा कि कौन सी चीज़ सब से पहले पैदा हुई, तो आप ने फ़रमाया कि ऐ जाबिर ! 'तेरे नबी का नूर।' इस हदीस को इस सच्चाई से कैसे जोड़ा जा सकता है कि सब से पहली मख़लूक आदम है और उनको मिट्टी से पैदा किया गया है ?

जवाब : अल्लाह के कमाल और फ़ितरत की माँग यही है कि पहले सब से अच्छी चीज़ पैदा की जाये उस के बाद उस से कमतर चीज़ पैदा की जाये और यह माक़ूल बात नहीं कि पहले तो मिट्टी का माद्दा

पैदा किया जाये और उस से मुहम्मद को पैदा किया जाये, क्योंकि इंसानों में सर्वश्रेष्ठ (सब से बेहतर) अम्बिया हैं और सब रसूलों में सर्वश्रेष्ठ मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं, इसलिए यह नामुमकिन है कि पहले कोई द्रव पैदा कर के उस से मुहम्मद को पैदा किया जाये उस से पता चला कि नूरे मोहम्मदी का पहले पाया जाना ज़रूरी है, जिस से दूसरी चीज़ों को पैदा किया जाये और हज़रत जाबिर की यह हदीस उसकी मिसाल है। इसी तरह विज्ञान भी इस बात का समर्थन (ताईद) करता है कि पहले नूर पैदा किया गया और फिर उस से दूसरी चीज़ें पैदा हुईं। (पृष्ठ : ३८)

शारावी का यह जवाब निम्नलिखित कारणों से मरदूद है :

१. यह अक़ीदा क़ुरआन करीम की उस आयत से टकराता है जिस में अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾

"ऐ (पैग़म्बर) जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ।" (साद : ७१)

आगे फ़रमाया है :

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾

"(अल्लाह तआला) वही है जिस ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया उस के बाद नुतफ़ा (मनी) से पैदा किया।" (ग़ाफ़िर : ६७)

अल्लामा इब्ने जरीर तबरी उसकी व्याख्या करते हुए फ़रमाते हैं : अल्लाह तआला ने तुम्हारे बाप आदम को मिट्टी से पैदा किया उस के बाद तुम को नुतफ़ा से पैदा किया।

उसी तरह शारावी की यह बात उस हदीस के भी ख़िलाफ़ है जिस में आप ने फ़रमाया : तुम सभी आदम से हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है। (रवाहु अल-बज़ार व अलबानी की सहीहुल जामे ४४४४)

२. दूसरा यह कि शारावी का यह कथन कि फ़ितरी तौर पर पहले बेहतर चीज़ पैदा होती है फिर उस से हक़ीर चीज़ हासिल होती है, यह भी क़ुरआन का विरोधी है, बल्कि यह शैतानी फ़लसफ़ा है जिसका क़ुरआन ने रद्द किया है। शैतान ने कहा था :

﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾

"कि मैं उस (आदम ﷺ) से बेहतर (श्रेष्ठ) हूँ क्योंकि मुझे तूने आगे से पैदा किया है जबकि आदम को मिट्टी से पैदा किया है।" (साद : ७६)

अल्लामा इब्ने कसीर फ़रमाते हैं, शैतान ने बेहतर होने का दावा इसलिए किया था कि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया था और शैतान आग से पैदा हुआ था और उस के विचार में आग मिट्टी से बेहतर है।

उसी तरह अल्लामा इब्ने जरीर ने बयान किया है कि शैतान ने अपने रब से कहा कि मैं आदम (अलैहिस्सलाम) को सज्दा नहीं करूँगा क्योंकि मैं उन से श्रेष्ठ हूँ, मुझे आप ने आग से पैदा किया है और आदम (अलैहिस्सलाम) को मिट्टी से, और आग मिट्टी को जला देती है। इसलिए आग मिट्टी से बेहतर है और मैं आदम (अलैहिस्सलाम) से बेहतर हूँ।

जबकि अक़्ल और हिक्मत की माँग यही है कि किसी द्रव की रचना

हुई हो फिर उस से मुहम्मद ﷺ को पैदा किया गया हो और मुहम्मद ﷺ उस आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और सन्तान (औलाद) से हैं, जैसाकि आप (ﷺ) ने फ़रमाया है:

«أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ»

"मैं आदम की औलाद का सरदार हूँ।" (मुस्लिम)

३. तीसरा यह कि शारावी ने कहा है कि सब से पहले नूरे मुहम्मदी का अस्तित्व (वजूद) में आना ज़रूरी है, यह ऐसा क़ौल है जिसकी कोई दलील नहीं, बल्कि क़ुरआन से साबित है कि इंसानों में सब से पहले आदम और बाक़ी मख़लूकों में अर्श के बाद सब से पहले क़लम बनाया गया जैसाकि आप ﷺ ने फ़रमाया:

«أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ»

"सब से पहले अल्लाह ने क़लम को पैदा किया।" (तिर्मिज़ी, अलबानी ने सहीह कहा)

जबकि नूर मुहम्मदी की ज़ियारत का क़ुरआन और सुन्नत या अक़्ल की नज़र से कोई अस्तित्व (वजूद) ही नहीं, क़ुरआन अल्लाह के रसूल ﷺ से कह रहा है कि वह लोगों को स्पष्ट (वाज़ेह) कर दें।

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾

"कह दो कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ केवल मुझ पर वह्य की जाती है।" (अल-कहफ़ : ११०)

और फिर अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने ख़ुद फ़रमाया :

«إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثلكم»

"मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ।" (अहमद, अलबानी ने सही कहा)

और यह भी हर अक़्लमंद को मालूम है कि मुहम्मद ﷺ) ने अपने माता-पिता अब्दुल्लाह और आमिना से ऐसे ही जन्म लिया था जैसे अन्य लोग पैदा होते हैं, फिर आप के अपने दादा और चचा के यहाँ पालन-पोषण हुआ। इन बातों से यह साबित हो गया कि इंसानों में सब से पहले पैदा होने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बाक़ी मख़लूक़ों में सब से पहले पैदा होने वाली चीज़ क़लम है। इस के साथ ही अल्लाह के रसूल ﷺ को सब से पहली मख़लूक़ कहने वालों का भी खुले तौर पर रद् हो गया और मालूम हुआ कि ऐसा अक़ीदा क़ुरआन और रसूल के विरोध में है।

हालाँकि कुछ ऐसी हदीसें मिलती हैं जिन से मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले अल्लाह के रसूल ﷺ का आख़िरी नबी होना लिखा हुआ था। जैसाकि आप ﷺ फ़रमाते हैं :

"आदम अभी तक गूँधी हुई मिट्टी में थे जबकि अल्लाह तआला ने मुझे आख़िरी नबी होना लिख दिया।" (सही अल-हाकिम व अलबानी)

इसलिए इस हदीस में आप ने फ़रमाया है कि अल्लाह ने मेरा आख़िरी नबी होना लिख दिया था, यह नहीं फ़रमाया कि मुझे पैदा किया था।

उसी तरह एक हदीस में आप ﷺ ने फ़रमाया :

"आदम अभी तक रूह और शरीर के बिचली हालत में थे जबकि अल्लाह तआला ने मुझे रसूल बना दिया था।" (अहमद-सही)

इस से भी यही मुराद है कि अल्लाह तआला ने आप ﷺ का रसूल होना उसी समय तय कर दिया था।

लेकिन वह हदीस जिस में है :

"मैं नबियों में सब से पहले पैदा होने वाला और सब से आख़िर में आने वाला हूँ।"

तो यह हदीस सही नहीं है, क्योंकि इसे अल्लामा इब्ने कसीर, मुनावी और अलबानी ने कमज़ोर क़रार दिया है।

इसके साथ-साथ यह हदीस क़ुरआन और अन्य हदीसों के ख़िलाफ़ होने के अलावा अक़्ल और हिक्मत के भी ख़िलाफ़ है क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई बशर पैदा नहीं हुआ।

४. शारावी का कहना है कि नूर मुहम्मदी से दूसरी सभी चीज़ें पैदा हुईं और सब चीज़ों में आदम अलैहिस्सलाम, शैतान, इंसान, जिन्न, हैवानात, किटाणु और जरासीम आदि भी शामिल हैं, तो शारावी के इस कथन की माँग तो यही हुई कि उपरोक्त सभी चीज़ें भी नूर से पैदा हुई हैं, हालाँकि यह बात क़ुरआन के ख़िलाफ़ है जिस से यह मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया और शैतान को आग से पैदा किया गया और इंसान की पैदाईश 'मनी' की बूँद से हुई।

इसी तरह शारावी की यह बात अल्लाह के रसूल ﷺ के फ़रमान के भी ख़िलाफ़ है। आप ﷺ ने फ़रमाया :

"फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जिनों को आग से पैदा किया गया और आदम (अलैहिस्सलाम) को जैसे उसका बयान हो चुका है वैसे (यानी मिट्टी से) पैदा किया गया।" (मुस्लिम)

इस तरह यह बात अक़्ल और हिक्मत के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि इंसान और हैवान तनासुल व तवालुद के ज़रिया पैदा होते हैं।

और अगर दुष्ट कीटाणु और मूज़ी जीव भी नूर मोहम्मदी से पैदा हुए हैं तो हम उन्हें मारते क्यों हैं बल्कि हम को उन में से साँप अजगर, छिपकली, मच्छर और गिरगिट को उन के दुष्ट होने की वजह से मारने का आदेश दिया गया है।

५. फिर शारावी ने हज़रत जाबिर की ओर मंसूब हदीस को अपने उस कथन की दलील बनाया कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

"ऐ जाबिर! सब से पहले तेरे नबी का नूर पैदा किया गया।"

तो मालूम होना चाहिए कि यह हदीस नहीं बल्कि हुज़ूर ﷺ की ओर मंसूब किया जाने वाला झूठ है और शारावी के दावे की दलील कभी नहीं हो सकती, उस के साथ-साथ उन क़ुरआनी आयतों के भी मुख़ालिफ़ है जिन में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है कि इंसानों में हज़रत आदम सब से पहली मख़लूक़ और बाक़ी चीज़ों में क़लम सब से पहले पैदा किया गया है और मुहम्मद ﷺ भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सन्तानों में से हैं, बल्कि क़ुरआन की ज़बानी वह हमारी ही तरह इंसान हैं अलबत्ता अल्लाह ने उन को नबूअत और वहय से नवाज़ा है। इसलिए वह नूर नहीं बल्कि बाक़ी इंसानों की तरह एक इंसान हैं और सहाबियों ने भी अल्लाह के रसूल ﷺ को एक बशर की हैसियत से जाना है न कि नूर होने की हैसियत से।

और जिस हदीस को शारावी ने सही कहा है वह मुहद्दिसीन के नज़दीक ग़लत, झूठ और गढ़ी हुई है।

६. गुमराह करने वाले अक़ीदों में से कुछ सूफ़ियों का यह कथन भी है

कि सारी चीज़ें अल्लाह ने अपने नूर से पैदा कीं, इसलिए शारावी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब हम को यह मालूम हो गया कि अल्लाह ने तमाम चीज़ें अपने नूर से पैदा कीं और यह सही है तो उसका मतलब यह हुआ कि नूर की किरणों से सारी भौतिक अस्तित्व (वजूद) में आयीं।

यह भी ऐसी ही बेहूदा बात है जिसकी क़ुरआन और सुन्नत से और अक़्ल से कोई दलील नहीं, पहले इस बात का बयान हो चुका है कि अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से, शैतान को आगे से, और इंसानों को नुतफ़ा (मनी) से पैदा किया है।

इतना ही समझ लेना शारावी की इस बात को रद्द करने के लिए काफ़ी है।

दूसरा यह कि शारावी की ये बातें आपस में टकराती हैं, पहले तो वह यह कह रहे थे कि सभी चीज़ें नूरे मोहम्मदी से पैदा की गयी हैं और यहाँ यह कह रहे हैं कि अल्लाह तआला ने तमाम चीज़ें अपने नूर से पैदा कीं, हालाँकि अल्लाह तआला के नूर और नूरे मोहम्मदी में बहुत अन्तर है।

फिर यह कि अल्लाह के नूर से पैदा होने वाली चीज़ों में साँप, बिच्छू, बन्दर और सुअर आदि भी शामिल हैं क्योंकि शारावी का कहना है कि सभी चीज़ें अल्लाह के नूर से पैदा हुई हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर उन मूज़ी (दुष्ट) जानवरों को हम क्यों मारते हैं।

मुसलमान भाईयो ! आप सोचिये, कहीं आप में ऐसे गुमराह करने वाले अक़ीदे तो नहीं आ गये हैं, यदि कहीं इस क़िस्म की बीमारियों में घिर चुके हैं तो उस से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कीजिए

क्योंकि ये ऐसे गुमराह करने वाले अक़ीदे हैं जिन से इंसान इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है और कुफ़्र के दायरे में दाख़िल हो जाता है। (अल्लाह तआला हमें और आप को हिदायत नसीब फ़रमाये।) आमीन

या अल्लाह हमें हक़ बात को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता कर और बातिल को बातिल समझकर उस से बचने की तौफ़ीक़ दे और हमें अल्लाह और उसके रसूल ﷺ के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता कर।

आमीन या रब्बल आलमीन

حضرت ابراهیم علیہ السلام کی

قربانی کا قصہ

تفسیر و دروس

تالیف پروفیسر ڈاکٹر فضل الٰہی

صفحات: 101 قیمت: -/55

مثالی خاتون

دنیا اور آخرت میں اعزاز اور امتیاز

پانے والی خواتین کی صفاتِ جمیلہ

فضیلۃ الشیخ: مجدی فتحی السید حفظہ اللہ

ترجمہ: ابو محمد محمد اجمل حفظہ اللہ

صفحات: 207 قیمت: -/110

رسول اللہ ﷺ کی خانگی زندگی کا آنکھوں دیکھا حال

ایک دن

رسول اکرم ﷺ کے گھر میں

مؤلف: عبدالملک القاسم

صفحات: 80 قیمت: -/50

خواتین کے حقوق و فرائض

اسلامی اور مغربی نظریہ کا تقابلی مطالعہ

سیرت النبی ﷺ کی روشنی میں

مؤلف: پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر

صفحات: 88 قیمت: -/50

हमारी अन्य अहम खूबसूरत और मालूमाती पुस्तकें